



पत्रांक 1157 /07 व्यघ-सा0/2019

दिनांक:- 23 /12 /2019

कार्यालय ज्ञाप

इस कार्यालय के ज्ञाप संख्या-556/07 व्यघ-सा0/2019 दिनांक 28.06.2019 द्वारा कनिष्ठ अभियन्ता (सिविल) की अन्तिम ज्येष्ठता सूची क्रमांक-658 से 1007 तक तैयार कर प्रख्यापित की गयी थी, उक्त प्रख्यापित अन्तिम ज्येष्ठता सूची के सम्बन्ध में उत्तराखण्ड डिप्लोमा इंजीनियर्स संघ लोक निर्माण विभाग, अधीनस्थ कार्यालयों के माध्यम से तथा कनिष्ठ अभियन्ता/अपर सहायक अभियन्ता (सिविल) के माध्यम से प्राप्त प्रत्यावेदनों में की गयी आपत्तियों के सम्बन्ध में समयक विचारोपरान्त इस कार्यालय के उपरोक्त ज्ञाप दिनांक 28.06.2019 से निर्गत कनिष्ठ अभियन्ता (सिविल) की अन्तिम ज्येष्ठता सूची भाग-3 क्रमांक 658 से 1007 तक को पुनः संशोधित करते हुये इस कार्यालय के ज्ञाप संख्या 820/07 व्यघ-सा0/2019 दिनांक 09.09.2019 द्वारा कनिष्ठ अभियन्ता (सिविल) की अन्तिम ज्येष्ठता सूची भाग-3 क्रमांक 658 से 1020 तक तैयार कर प्रख्यापित कर परिचालित करते हुए सूचीवद्ध कनिष्ठ अभियन्ता (सिविल) से अपेक्षा की गयी थी कि यदि किसी कनिष्ठ अभियन्ता (सिविल) को अपनी ज्येष्ठता के सम्बन्ध में कोई आपत्ति हो तो वे अपना प्रत्यावेदन इस पत्र के निर्गत होने के 15 दिनों के भीतर उचित माध्यम से इस कार्यालय को उपलब्ध करा दें, निर्धारित तिथि के पश्चात् प्राप्त प्रत्यावेदन स्वीकार्य नहीं होंगे और उक्त निर्धारित तिथि तक प्राप्त प्रत्यावेदन पर ही सम्यक रूप से विचार करते हुए अन्तिम निर्णय ले लिया जायेगा।

उक्त क्रम में कुल 18 कार्मिकों के प्रत्यावेदन (सूची संलग्न) प्राप्त हुये, इन प्राप्त प्रत्यावेदनों के निस्तारण हेतु इस कार्यालय के ज्ञाप संख्या 887/07 व्यघ-सा0/2019 दिनांक 21.10.2019 द्वारा 05 सदस्यीय समिति का गठन किया गया। गठित समिति की दिनांक 05.11.2019 को हुई बैठक में प्रकरण के परीक्षणोपरान्त बैठक का कार्यवृत्त पत्रांक 993/07 व्यघ-सा0/2016 दिनांक 07.11.2019 जारी किया गया जिसके अनुसार उक्त प्राप्त 18 प्रत्यावेदनों से सम्बन्धित आपत्तिकर्ता कार्मिकों की 5 प्रतिशत कोटे के अन्तर्गत कनिष्ठ अभियन्ता (सिविल) के पद पर वर्ष 2010 से 2014 के मध्य तदर्थ पदोन्नति की गयी थी परन्तु उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग के द्वारा उक्त कार्मिकों की विभिन्न चयन वर्षों में पदोन्नति हेतु संस्तुति दिनांक 25.04.2017 को की गई, तत्पश्चात् इस कार्यालय द्वारा पत्र दिनांक 05.05.2017 से पदोन्नति आदेश जारी किये गये जिस कारण उक्त पदोन्नत कार्मिकों की ज्येष्ठता (पदोन्नति तिथि दिनांक 05.05.2017 के आधार पर) वर्ष 2011 एवं वर्ष 2013 में सीधी भर्ती से नियुक्त हुये कनिष्ठ अभियन्ता (सिविल) तथा वर्ष 2016 में संविदा से विनियमित हुये कनिष्ठ अभियन्ता (सिविल) के नीचे निर्धारित की गयी। उक्त आपत्तिकर्ताओं द्वारा तदर्थ पदोन्नति की तिथि के आधार पर ही ज्येष्ठता निर्धारित किये जाने का अनुरोध किया गया। आपत्तिकर्ताओं द्वारा अपने पक्ष के समर्थन में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा Direct Recruits Class II...vs State of Maharashtra And Ors में दिनांक 02.05.1990 के निर्णय का सन्दर्भ दिया गया। उक्त निर्णय में मा0 न्यायालय के द्वारा तदर्थ सेवा को जोड़े जाने के आदेश दिये गये थे जो कि निम्नवत् हैं :-

44- To sum up we hold that:

(A) Once an incumbent is appointed to a post according to rule, his seniority has to be counted from the date of his appointment and not according to the date of his confirmation.

The Corollary of the above rule is that where the initial appointment is only adhoc and not according to rules and made as a stop-gap arrangement, the officiation in such post cannot be taken into account for considering the seniority.

(B) If the initial appointment is not made by following the procedure laid down by the rules but the appointee continues in the post uninterruptedly till the regularization of his service in accordance with the rules, the period of officiating service will be counted.

(C) When appointments are made from more than one source, it is permissible to fix the ratio for recruitment from the different sources, and if rules are framed in this regard they must ordinarily be followed strictly.

(D) If it becomes impossible to adhere to the existing quota rule, it should be substituted by an appropriate rule to meet the needs of the situation. In case, however, the quota rule is not followed continuously for a number of years because it was impossible to do so the inference is irresistible that the

quota rule had broken down.....

कमरा :- 2 पर

तदर्थ पदोन्नति प्राप्त कनिष्ठ अभियन्ता (सिविल) के नियमित पदोन्नति आदेशों में कोई पूर्ववर्ती दिनांक का उल्लेख नहीं है तथा मात्र चयन वर्ष का उल्लेख किया गया है एवं तदर्थ पदोन्नति की तिथि को मौलिक नियुक्ति की तिथि माने जाने के सम्बन्ध में उत्तराखण्ड सरकारी सेवक ज्येष्ठता नियमावली, 2002 में प्राविधान उल्लेखित नहीं है। माननीय उच्चतम न्यायालय के उपरोक्त वर्णित आदेश दिनांक 02.05.1990 में तदर्थ नियुक्ति की तिथि से ही ज्येष्ठता का लाभ प्रदान किये जाने के आदेश दिये गये हैं।

समिति द्वारा उपरोक्त के दृष्टिगत अन्तिम ज्येष्ठता सूची निर्गत करने से पूर्व कनिष्ठ अभियन्ता (सिविल) के पद पर तदर्थ रूप से पदोन्नत कार्मिकों की मौलिक नियुक्ति की तिथि, तदर्थ पदोन्नति की तिथि अथवा लोक सेवा आयोग के अनुमोदन के पश्चात् पदोन्नति आदेश की तिथि में से किसे माना जाय, के सम्बन्ध में शासन से दिशा-निर्देश प्राप्त किये जाने की संस्तुति की गयी। उक्त के क्रम में इस कार्यालय के पत्र संख्या 1015/07व्यघ-सामान्य/16 दिनांक 21.11.2019 द्वारा अपर मुख्य सचिव, लोक निर्माण विभाग उत्तराखण्ड शासन से दिशा-निर्देश हेतु प्रकरण शासन को सन्दर्भित किया गया था।

इस सम्बन्ध में शासकीय पत्र संख्या 1716/111(1)/19-49(अधि)/11टी0सी0 दिनांक 06.12.2019 द्वारा उत्तराखण्ड लोक निर्माण विभाग, अधीनस्थ अभियन्त्रण (कनिष्ठ अभियन्ता सिविल, प्राविधिक, विद्युत तथा यांत्रिक) सेवा नियमावली 2007 दिनांक 22.11.2007 को जारी नियमावली के भाग 3 बिन्दु संख्या-5 भर्ती के स्रोत में निम्नवत् स्पष्ट किया गया है कि:-

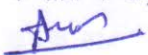
सेवा में विभिन्न श्रेणी के पदों पर भर्ती उसी मानक के अनुसार सीधी भर्ती तथा पदोन्नति द्वारा मा0 लोक सेवा आयोग के माध्यम से की जायेगी, जो कि इस नियमावली के प्रख्यापन से ठीक पूर्व सुसंगत नियमो/शासनादेशों में निहित है। अर्थात् मा0 लोक सेवा आयोग के अनुमोदन/स्वीकृति के उपरान्त ज्येष्ठता सक्षम अधिकारी द्वारा जारी कार्यालय ज्ञाप निर्गत तिथि से जारी किये जायेंगे।

उपरोक्त शासकीय पत्र दिनांक 06.12.2019 से प्राप्त निर्देशों के क्रम में समिति द्वारा कनिष्ठ अभियन्ता (सिविल) की प्रसारित अनन्तिम ज्येष्ठता सूची के सम्बन्ध में पुनः दिनांक 10.12.2019 बैठक आहूत की गयी। समिति की बैठक के कार्यवृत्त पत्रांक 1090/07 व्यघ-सा0/16 दिनांक 13.12.2019 में उक्त शासकीय पत्र दिनांक 06.12.2019 से प्राप्त दिशा निर्देशों का संज्ञान लेते हुए प्रश्नगत अनन्तिम ज्येष्ठता सूची दिनांक 09.09.2019 के क्रमांक 658, 659 एवं 660 पर अंकित कार्मिकों जिनकी कनिष्ठ अभियन्ता (सिविल) के पद पर तदर्थ पदोन्नति वर्ष 2002 एवं 2006 में की गई थी परन्तु लोक सेवा आयोग के पत्रांक 1063/0ई0-02/डी0पी0सी0-12/13 दिनांक 10.01.2013 के द्वारा अनुमोदन के उपरान्त इस कार्यालय के ज्ञाप संख्या 02/28 व्यघ-सामान्य/2012 दिनांक 14.02.2013 से कनिष्ठ अभियन्ता (सिविल) के पद पर नियमित पदोन्नति आदेश जारी किये गये। उपरोक्त शासकीय पत्र दिनांक 06.12.2019 में दिये गये निर्देशों के अनुसार नियमित पदोन्नति के आदेश जारी होने की तिथि के आधार पर उक्त तीनों कार्मिकों को अनन्तिम ज्येष्ठता सूची दिनांक 09.09.2019 के ज्येष्ठता क्रमांक 720 श्री मदन सिंह भैसौडा कनिष्ठ अभियन्ता (सिविल) के ठीक नीचे तथा ज्येष्ठता सूची क्रमांक 721 श्री रविन्द्र डिमरी कनिष्ठ अभियन्ता (सिविल) के ठीक ऊपर निर्धारित करते हुये पुनः अनन्तिम ज्येष्ठता सूची प्रख्यापित किये जाने की संस्तुति की गयी। उक्त के क्रम में कार्यालय के ज्ञाप संख्या 1091/07व्यघ-सा0/2019 दिनांक 13.12.2019 द्वारा ज्ञाप संख्या 820/07 व्यघ-सा0/2019 दिनांक 09.09.2019 से निर्गत कनिष्ठ अभियन्ता (सिविल) की अनन्तिम ज्येष्ठता सूची भाग-3 क्रमांक 658 से 1020 को पुनः संशोधित करते हुए कनिष्ठ अभियन्ता (सिविल) की अनन्तिम ज्येष्ठता सूची भाग-3 क्रमांक 658 से 1020 तक प्रख्यापित कर परिचालित करते हुये सूचीबद्ध कनिष्ठ अभियन्ता (सिविल) से अपेक्षा की गयी कि यदि किसी कनिष्ठ अभियन्ता (सिविल) को अपनी ज्येष्ठता के सम्बन्ध में कोई आपत्ति हो तो वे अपना प्रत्यावेदन पत्र निर्गत होने के सात (07) दिनों के भीतर उचित माध्यम से इस कार्यालय को उपलब्ध करा दें, निर्धारित तिथि के पश्चात् प्राप्त प्रत्यावेदन स्वीकार्य नहीं होंगे और उक्त निर्धारित अवधि तक प्राप्त आवेदन पर ही सम्यक रूप से विचार करते हुये अन्तिम निर्णय ले लिया जायेगा।

उक्त निर्धारित समयावधि के अन्तर्गत कुल 07 प्रत्यावेदन प्राप्त हुये, जिनका निस्तारण कर अन्तिम ज्येष्ठता सूची हेतु मन्तव्य/संस्तुति हेतु गठित समिति की बैठक दिनांक 21.12.2019 में लिये गये निर्णय/संस्तुति पत्रांक 1155/07 व्यघ-सा0/2019 दिनांक 21.12.2019 से निम्नवत् प्राप्त हुई है :-

(अ) अनन्तिम ज्येष्ठता सूची के क्रमांक 974 पर अंकित श्री सन्दीप वर्मा, कनिष्ठ अभियन्ता (सिविल), निर्माण खण्ड, बड़कोट से प्राप्त आपत्ति :-

बिन्दु संख्या-01 लोक सेवा आयोग के द्वारा प्रार्थी का चयन वर्ष उत्तराखण्ड शासन की संस्तुति के उपरान्त वर्ष 2011-12 नियत किया गया है तथा आपके कार्यालय ज्ञाप संख्या 285/20 व्यघ-सामान्य/17 दिनांक 05.05.2017 के द्वारा मेरे नियमित पदोन्नति के आदेश चयन वर्ष 2011-12 के लिए ही किये गये हैं। यहाँ यह भी सूच्य है कि लोक सेवा आयोग द्वारा चयन वर्ष नियत करने का अभिप्राय उस वर्ष की 01 जुलाई से 30 जून के मध्य की अवधि होती है। आपके सन्दर्भित कार्यालय ज्ञाप दिनांक 13.12.2019 के द्वारा विभागीय नियमवाली 2007 दिनांक 22.11.2007 के भाग 3 बिन्दु संख्या 5 भर्ती के स्रोत के अनुसार सूचित किया गया है कि "सेवा में विभिन्न श्रेणी के पदों पर भर्ती उसी मानक के अनुसार सीधी भर्ती



तथा पदोन्नति मा0 लोक सेवा आयोग के माध्यम से की जायेगी, जो कि नियमावली के प्रख्यापन से ठीक पूर्व सुसंगत नियमों/शासनादेशों में निहित है। इस सम्बन्ध में अनुरोध करना है कि विभाग द्वारा हमारी तदर्थ पदोन्नति विभागीय 5 प्रतिशत कोटे के अंतर्गत समस्त औपचारिकताएं पूर्ण करने के पश्चात्, अर्थात् उस समय उपलब्ध रिक्तियों, विभाग में नियमित सेवा में पात्रता, शासनादेश के अनुसार उस पद हेतु 5 प्रतिशत आरक्षित कोटा, शैक्षणिक/तकनीकी योग्यता, चयन चार्ट तथा विभागीय डी0पी0सी0 के गठन के पश्चात् नियमानुसार की गई थी। यदि तदर्थ पदोन्नति के समय विभागीय नियमावली के अनुसार मेरी पदोन्नति मा0 लोक सेवा आयोग के माध्यम से की जानी थी, तो मेरा प्रकरण पदोन्नति हेतु वर्ष 2010-11 में ही मा0 लोक सेवा आयोग को भेजा जाना चाहिये था। महोदय इसमें मेरा कोई दोष नहीं है, विभाग ही इसके लिये जिम्मेदार है क्योंकि विभाग द्वारा मेरा प्रकरण मा0 लोक सेवा आयोग को विनियमितीकरण हेतु 6 वर्ष बाद भेजा गया और अब संदर्भित पत्र दिनांक 13.12.2019 द्वारा जारी अनन्तिम ज्येष्ठता सूची में मुझे पूर्व में जारी ज्येष्ठता क्रमांक 679-ए से बदलकर ज्येष्ठता क्रमांक 974 पर ज्येष्ठता प्रदान की गई है। जो किसी भी प्रकार व्यवहारिक नहीं है। यहाँ पर यह भी संज्ञान में लाना है कि पूर्व में संविदा पर कार्यरत लगभग 38 कार्मिकों की ज्येष्ठता को मेरी ज्येष्ठता से उपर रखा गया है, जबकि अभी तक भी इन 38 कार्मिकों का अध्याचन विनियमितीकरण हेतु मा0 लोक सेवा आयोग को प्रेषित नहीं किया गया है। अतः इन 38 कार्मिकों को किस आधार पर मेरे से उपर ज्येष्ठता प्रदान की गई है।

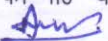
यहाँ पर यह भी संज्ञान में लाना है कि "उत्तराखण्ड लोक निर्माण विभाग अधीनस्थ अभियंत्रण (कनिष्ठ अभियन्ता, सिविल, प्राविधिक, विद्युत तथा यांत्रिक) सेवा नियमावली, 2007" के भाग 5 में ही बिंदू-18 में यह भी स्पष्ट नियम है कि "यदि भर्ती के किसी वर्ष में नियुक्तियों, सीधी भर्ती और पदोन्नति दोनों द्वारा की जाय तो एक संयुक्त चयन सूची तैयार की जायेगी, जिसमें अभ्यर्थियों के नाम सुसंगत सूचियों से इस प्रकार लिए जायेगे कि विहित प्रतिशत बना रहे। सूची में पहला नाम पदोन्नति द्वारा नियुक्त व्यक्ति का होगा। यह बिन्दु पूर्व में भी मेरे द्वारा प्रस्तुत की गई आपत्ति में उल्लिखित था परन्तु इस बिन्दु के निराकरण के सम्बन्ध में कोई उल्लेख संदर्भित कार्यालय ज्ञाप में नहीं किया गया है। उक्त नियम के अनुसार संयुक्त सूची नहीं बनाये जाने के कारण मेरी ज्येष्ठता प्रभावित हो रही है। और इसके लिये भी विभाग ही जिम्मेदार है। चूंकि उक्त नियम भी नियमावली 2007 में सम्मिलित है अतः अन्तिम ज्येष्ठता सूची जारी करने से पूर्व उक्त बिन्दु का संज्ञान अवश्य ले लिया जाय।

बिन्दु संख्या-02 प्रार्थी की पदोन्नति कनिष्ठ अभियन्ता के पद पर वर्ष 2010-11 (अगस्त 2011) में हुयी है तथा प्रार्थी पदोन्नति की तिथि से ही कनिष्ठ अभियन्ता सिविल के पद पर निरन्तर कार्यरत है। स्पष्ट है कि प्रार्थी की पदोन्नति की तिथि से ही कनिष्ठ अभियन्ता की ज्येष्ठता सूची में क्रमांक 679-ए पर नियत होने का पात्र है, किन्तु आप द्वारा उक्त सन्दर्भित अनन्तिम ज्येष्ठता सूची में मेरा क्रमांक बदलना "उत्तराखण्ड सरकारी सेवक ज्येष्ठता नियमवाली 2002" की धारा-8 का स्पष्ट उल्लंघन है। यहाँ पर यह भी अवगत कराना है कि शासन द्वारा पूर्व में अपने कार्यालय ज्ञाप 589/111(1)/18-101(अधि0)/2010 दिनांक 08.05.2018 एवं कार्यालय ज्ञाप 612/111(1)/18-101(अधि0)/2010 दिनांक 01.05.2018 (कार्यालय ज्ञाप संलग्न) द्वारा स्पष्ट रूप से उल्लिखित किया गया है कि उत्तराखण्ड सरकारी सेवक ज्येष्ठता नियमावली 2002 में निहित प्राविधानों के अनुसार ज्येष्ठता सूची में पूर्व चयन वर्ष प्राप्त कार्मिकों को उपर रखा गया है। शासन के आदेश में कोई भी तिथि का जिक्र नहीं किया गया है। शासन के प्रत्येक आदेश में चयन वर्ष का ही उल्लेख है। मेरे विनियमितीकरण के आदेश में भी मा0 लोक सेवा आयोग द्वारा चयन वर्ष 2011-12 ही उल्लेखित है जिसके आधार पर आपके कार्यालय ज्ञाप संख्या 285/20व्यघ-सामान्य/17 दिनांक 05.05.2017 के द्वारा मेरे नियमित पदोन्नति के आदेश चयन वर्ष 2011-12 के लिए ही किये गये हैं। अतः मेरी ज्येष्ठता क्रमांक 679-ए से बदलकर ज्येष्ठता क्रमांक 974 पर करना किसी भी प्रकार से व्यवहारिक प्रतीत नहीं होता है। तथा अब यह कहना कि पदोन्नति आदेश में कोई पूर्ववर्ती दिनांक का उल्लेख नहीं है, सरासर गुमराह करने का प्रयास है।

बिन्दु संख्या-03 महोदय उपरोक्त के सम्बन्ध में यह भी अनुरोध करना है कि ज्येष्ठता निर्धारण हेतु मा0 उच्चतम न्यायालय के द्वारा वाद Direct Recruits Class II...vs State of Maharashtra And Ors on 2 May, 1990 के निर्णय क्रमांक 44 (A), के अनुसार निर्देशित है कि यदि तदर्थ पदोन्नति नियमानुसार की गई है तो उसकी ज्येष्ठता तदर्थ पदोन्नति की तिथि से ही निर्धारित की जायेगी न कि Confirmation की तिथि से। मेरे द्वारा पूर्व में प्रस्तुत की गई आपत्ति में मा0 उच्चतम न्यायालय के उक्त वाद के निर्णय की प्रति भी प्रस्तुत की गई थी। मा0 उच्चतम न्यायालय के उक्त वाद के निर्णय को क्या आधार मानकर अब deny किया गया है इसका कहीं पर भी उल्लेख संदर्भित कार्यालय ज्ञाप में नहीं किया गया है। यहाँ पर स्पष्ट रूप से मा0 उच्चतम न्यायालय के आदेशों का उल्लंघन किया गया है।

बिन्दु संख्या-04 संदर्भित कार्यालय-ज्ञाप द्वारा जारी अनन्तिम ज्येष्ठता सूची में ज्येष्ठता क्रमांक 430 व 432 की शासन/आयोग द्वारा जारी विनियमितीकरण/पदोन्नति आदेश दिनांक 29.02.2016 को जारी किये गये, परन्तु इन दोनों कार्मिकों को वर्ष 2013-14 की रिक्ति के सापेक्ष चयन वर्ष 2013-14 मानते हुये ज्येष्ठता प्रदान की गई। मेरी पदोन्नति भी 5 प्रतिशत कोटे के अंतर्गत वर्ष 2011-12 की रिक्ति के सापेक्ष की गई है अतः मेरे साथ दोहरा मापदंड क्यों अपनाया जा रहा है। मुझे भी पूर्व की भांति व नियमानुसार वर्ष 2011-12 से ही ज्येष्ठता प्रदान की जानी चाहिये।

अतः अनुरोध है कि आपके उपरोक्त सन्दर्भित कार्यालय ज्ञाप द्वारा जारी अनन्तिम ज्येष्ठता सूची में जारी क्रमांक 974 में संशोधन कर पूर्ववत् अर्थात् क्रमांक 679-ए रखने की कृपा करे, क्योंकि यह नियमानुकूल एवं विधिसंगत है तथा इससे गलत तरीके से परिवर्तन किया जाना माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेशों की भी अवमानना है। अन्यथा प्रार्थी को मा0 न्यायालय की शरण लेने के अतिरिक्त अन्य कोई विकल्प शेष नहीं बचा है।



(ब) अनन्तिम ज्येष्ठता सूची के क्रमांक 994, 975, 980 एवं 979 पर अंकित श्री आशीष सेमवाल, कनिष्ठ अभियन्ता (सिविल), निर्माण खण्ड, बड़कोट/श्री दिनेश सिंह, कनिष्ठ अभियन्ता (सिविल), अस्थाई खण्ड, चकराता/श्री आशीष मिततल, कनिष्ठ अभियन्ता (सिविल), प्रान्तीय खण्ड, हरिद्वार/श्री ललित मोहन खत्री, कनिष्ठ अभियन्ता (सिविल), प्रान्तीय खण्ड, नई टिहरी से प्राप्त आपत्ति (उक्त कार्मिकों से प्राप्त आपत्तियाँ एक समान होने के कारण) :-

महोदय लोक सेवा आयोग द्वारा प्रार्थी का चयन वर्ष, उत्तराखण्ड शासन की संस्तुति के उपरान्त वर्ष 2011-12 नियत किया गया है तथा आपके कार्यालय ज्ञाप संख्या 285/20 व्यघ-सामान्य/17 दिनांक 05.05.2017 के द्वारा मेरे नियमित पदोन्नति के आदेश चयन वर्ष 2011-12 के लिए किये गये हैं। आपके सन्दर्भित कार्यालय ज्ञाप दिनांक 13.12.2019 के द्वारा विभागीय नियमावली 2007 दिनांक 22.11.2017 के भाग-3 बिन्दु संख्या-5 भर्ती के स्रोत के अनुसार सूचित किया गया है कि "सेवा में विभिन्न श्रेणी के पदों पर भर्ती उसी मानक के अनुसार सीधी भर्ती तथा पदोन्नति मा0 लोक सेवा आयोग के माध्यम से की जायेगी, जो कि इस नियमावली के प्रख्यापन से ठीक पूर्व सुसंगत नियमों/शासनादेशों में निहित है"। इस सम्बन्ध में अनुरोध कराना है कि विभाग द्वारा हमारी तदर्थ पदोन्नति विभागीय 5 प्रतिशत कोटे के अन्तर्गत समस्त औपचारिकताएँ पूर्ण करने के पश्चात उस समय उपलब्ध रिक्तियाँ, विभाग में नियमित सेवा में पात्रता, शासनादेश के अनुसार उस पद हेतु 5 प्रतिशत आरक्षित कोटा, शैक्षणिक/तकनीकी योगता, चयन चार्ट तथा विभागीय डी0पी0सी0 के गठन के पश्चात नियमानुसार की गई थी, यदि तदर्थ पदोन्नति के समय विभागीय नियमावली अनुसार मेरे पदोन्नति मा0 लोक सेवा आयोग के माध्यम से की जानी थी तो मेरा प्रकरण पदोन्नति हेतु वर्ष 2011-12 में ही मा0 लोक सेवा आयोग को भेजा जाना चाहिए था। महोदय इसमें मेरा कोई दोष नहीं है, विभाग ही इसके लिए उत्तरदायी है, क्योंकि विभाग द्वारा मेरा प्रकरण मा0 लोक सेवा आयोग को विनियमितीकरण हेतु 5 वर्ष बाद भेजा गया और अब सन्दर्भित पत्र दिनांक 13.12.2019 द्वारा जारी की अनन्तिम ज्येष्ठता सूची में मुझे पूर्व में जारी ज्येष्ठता क्रमांक बदलकर ज्येष्ठता प्रदान की गई है, जो किसी भी प्रकार न्याय संगत नहीं है, यहाँ पर यह भी संज्ञान में लाना है कि पूर्व में संविदा पर कार्यरत लगभग 38 कार्मिकों की ज्येष्ठता को मेरी ज्येष्ठता से उपर रखा गया है, जबकि अभी तक भी इन 38 कार्मिकों का अध्यायन विनियमितीकरण हेतु मा0 लोक सेवा आयोग को प्रेषित नहीं किया गया है। अतः इन 38 कार्मिकों को किस आधार पर मेरे से पहले ज्येष्ठता प्रदान की गई है।

अतः अनुरोध है कि आपके उपरोक्त संदर्भित कार्यालय ज्ञाप द्वारा जारी अनन्तिम ज्येष्ठता सूची में मेरा क्रमांक संशोधन कर पूर्ववत ज्येष्ठता क्रमांक पर रखने की कृपा करें, क्योंकि यह नियमानुकूल एवं विधिसंगत है अन्यथा प्रार्थी को मा0 न्यायालय की शरण लेने के अतिरिक्त अन्य कोई विकल्प शेष नहीं बचा है।

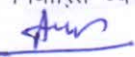
(स) अनन्तिम ज्येष्ठता सूची के क्रमांक 982 पर अंकित श्री योगेश ततराड़ी, कनिष्ठ अभियन्ता (सिविल), प्रान्तीय खण्ड, रुद्रपुर से प्राप्त आपत्ति :-

बिन्दु संख्या 01 महोदय ज्येष्ठता निर्धारण के सम्बन्ध में कृपया उत्तराखण्ड शासन, लोक निर्माण अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या 589/111(1)/18-101(अधि0)/10 दिनांक 08 मई, 2018 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। जिसके द्वारा उत्तराखण्ड शासन स्तर से सहायक अभियन्ता (सिविल) की क्रमांक 381 से 469 तक (भाग-4) की अन्तिम ज्येष्ठता सूची प्रख्यापित की गई है। उक्त कार्यालय ज्ञाप के बिन्दु संख्या 3 में स्पष्ट रूप से अंकित है कि उत्तराखण्ड ज्येष्ठता नियमावली 2002 में निहित प्राविधानों के अनुरूप प्रश्नगत ज्येष्ठता सूची में पूर्व चयन वर्ष प्राप्त कार्मिकों को उपर रखा गया है। उक्त निर्गत ज्येष्ठता सूची के क्रमांक 363 (ए) से 430 एवं क्रमांक 432 पर अंकित अभियन्ताओं को उनकी नियमित नियुक्ति से पूर्व तिथि का नियमानुसार चयन वर्ष निर्धारित होने के कारण उनकी ज्येष्ठता भी उत्तराखण्ड ज्येष्ठता नियमावली 2002 की धारा 8 (1) में निहित होने के अनुरूप निर्धारित की गई है, जो कि पूर्णतया नियमसंगत है। अतः अनुरोध है कि ज्येष्ठता निर्धारण हेतु शासन द्वारा अपनाई गयी नीति का भी संज्ञान अवश्य लिया जाय।

उदाहरण स्वरूप उक्त सूची के क्रमांक 430 एवं 432 की लोक सेवा आयोग से अनुमोदन उपरान्त नियमित नियुक्ति तिथि दिनांक 29.02.2016 है, जबकि उनका चयन, चयन वर्ष 2013-14 के अन्तर्गत किये जाने के फलस्वरूप उन्हें क्रमांक 433 से 466 में अंकित कार्मिकों, जिनकी नियमित नियुक्ति तिथि दिनांक 05.02.2014/01.11.2014 एवं 07.03.2015 है, से ज्येष्ठता सूची में उपर स्थान दिया गया है, जो कि नियम संगत है।

बिन्दु संख्या 02 इसी प्रकार शासनादेश सं0 612/111(1)/18-101(अधि0)/10 दिनांक 21 मई, 2018 द्वारा सहायक अभियन्ता (वि0/यां0) संवर्ग की प्रख्यापित ज्येष्ठता सूची भाग-3 के क्रमांक 30 से 35 पर अंकित कनिष्ठ/अपर सहायक अभियन्ताओं को उनकी नियमित नियुक्ति से पूर्व वर्षों का चयन वर्ष निर्धारित होने के कारण उनको भी ज्येष्ठता सूची में उत्तराखण्ड ज्येष्ठता नियमावली 2002 की धारा 8(1) में नियमित प्राविधानों के अनुसार वरिष्ठता प्रदान की गयी है। एवं कार्यालय ज्ञाप के बिन्दु संख्या 2 में स्पष्ट रूप से अंकित है कि उत्तराखण्ड ज्येष्ठता नियमावली 2002 में निहित प्राविधानों के अनुरूप प्रश्नगत ज्येष्ठता सूची में पूर्व चयन वर्ष प्राप्त कार्मिकों को उपर रखा गया है।

महोदय उपरोक्त सन्दर्भित पत्र द्वारा सेवा नियमावली 2007 दिनांक 22.11.2007 के भाग तीन बिन्दु संख्या-05 की व्याख्या गलत करते हुये अनन्तिम ज्येष्ठता सूची जारी की गयी है, जो कि स्वीकार योग्य नहीं है। उक्त प्रकार निर्गत ज्येष्ठता सूची, विभाग एवं शासन की अनुशंसा पर मा0 लोक सेवा आयोग द्वारा चयन वर्षवार की गई नियमित पदोन्नति पर प्रश्नचिन्ह के साथ-साथ लोक निर्माण अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या 589/111(1)/18-101 (अधि0)/10 दिनांक 08 मई, 2018 एवं शासनादेश दिनांक 612/111(1)/18-101 (अधि0)/10 दिनांक 21 मई, 2018 द्वारा अभियन्ताओं की निर्धारित ज्येष्ठता सूची के विरोधाभासी है।



महोदय यदि शासन को उनके ज्येष्ठता निर्धारण सम्बन्धित उपरोक्त ओदशों का हवाला देते हुये दिशा-निर्देश मांगे जाते तो निश्चित रूप से उत्तराखण्ड शासन द्वारा चयन वर्षवार ही ज्येष्ठता निर्धारण के निर्देश प्राप्त होते। बिन्दु संख्या 02 महोदय प्रार्थी की शैक्षिक योग्यता, पदोन्नति हेतु ससमय आवेदन किये जाने, तत्समय कोटे के अन्तर्गत रिक्त पदों एवं पदोन्नति हेतु वांछित समस्त योग्यताओं को ध्यान में रखते हुए शासन की संस्तुति एवं लोक सेवा आयोग के अनुमोदन के उपरान्त विभाग द्वारा उत्तराखण्ड ज्येष्ठता नियमावली 2002 की धारा 8 (1) के अनुसार चयन वर्षवार निर्धारित करते हुए मेरा ज्येष्ठता क्रमांक 720 (ए) अन्तिम रूप से निर्धारित किया गया था। जिसे परिवर्तन न किये जाने हेतु मेरे द्वारा पूर्व पत्र दिनांक 27.07.2019 द्वारा भी अनुरोध किया जा चुका है।

अतः पुनः अनुरोध है कि विभाग द्वारा उपरोक्त सन्दर्भित पत्र द्वारा निर्गत अनन्तिम ज्येष्ठता सूची को निरस्त करते हुये विभाग द्वारा द्वारा पूर्व में नियमानुसार प्रख्यापित की गयी कनिष्ठ अभियन्ता अन्तिम ज्येष्ठता सूची भाग-3 दिनांक 28.06.2019 को प्रख्यापित करने की कृपा करें। यदि मेरे प्रार्थना पत्र पर अमल न किये जाने से मुझे आर्थिक नुकसान के साथ-साथ ज्येष्ठता में भी नुकसान होता है तो, इस दशा में प्रार्थी को मजबूरन न्यायालय की शरण में जाने की बाध्यता रहेगी। जिससे विभाग की छवि धूमिल होगी तथा इसका पूर्ण उत्तरदायित्व विभाग का होगा।

(द) अनन्तिम ज्येष्ठता सूची के क्रमांक 1015 पर अंकित श्री मनोज कुमार, अपर सहायक अभियन्ता (सिविल), पी0एम0जी0एस0वाई0 खण्ड, नरेन्द्रनगर से प्राप्त आपत्ति :-

बिन्दु संख्या 01 माननीय उच्च न्यायालय नैनीताल द्वारा रिट पिटीशन सं0-1646/2013 द्वारा ग्रामीण निर्माण विभाग से लो0नि0वि0 में आये जूनियर इंजीनियर के समायोजन के आदेश पारित किये थे, उसमें माननीय उच्च न्यायालय द्वारा प्रतिनियुक्ति को खारिज किया गया था तथा हमारी सर्विस को सर्विस ट्रांसफर माना था। अतः आपके द्वारा प्रतिनियुक्ति के नियम के आधार पर हमारी ज्येष्ठता निर्धारित नहीं की जा सकती है। हम अक्टूबर/नवम्बर 2005 से लो0नि0वि0 में कार्यरत हैं तब से हमारी ज्येष्ठता निर्धारित होनी चाहिए। इस संदर्भ में प्रमुख सचिव, उत्तराखण्ड शासन पत्रांक 490/XXX(2)/2015 दिनांक 21.12.2015 का अवलोकन करने का कष्ट करें, जिसमें स्पष्ट है कि एक सरकारी विभाग से दूसरे सरकारी विभाग में तैनाती सेवा स्थानान्तरण माना जायेगा, प्रतिनियुक्ति नहीं।

बिन्दु संख्या 02 ग्रामीण निर्माण विभाग से लो0नि0वि0 विभाग में आये जूनियर इंजीनियर लोक सेवा आयोग से वर्ष 2004 में चयनित है, परन्तु आपके द्वारा लोक सेवा आयोग 2011 एवं 2013 में चयनित कनिष्ठ अभियन्ता को ज्येष्ठता सूची में मुझसे उपर रखा गया है। जिसमें मुझे आपत्ति है।

बिन्दु संख्या 03 संविदा से रेगुलर हुए जूनियर इंजीनियर एवं मिनिस्ट्रीयल कोटे से बने जूनियर इंजीनियर को हमसे उपर रखा गया है। जबकि जूनियर इंजीनियर के पद पर लो0नि0वि0 में उनकी तैनाती हमारे बाद की है। अतः मुझे इसमें आपत्ति है।

बिन्दु संख्या 04 लोक सेवा आयोग से वर्ष 2013 में चयनित कुछ कनिष्ठ अभियन्ता एवं संविदा से रेगुलर हुए सभी कनिष्ठ अभियन्ता एवं मिनिस्ट्रीयल कोटे से बने जूनियर इंजीनियर का पद कनिष्ठ अभियन्ता है। जबकि महोदय में अप्रैल 2011 से अपर सहायक अभियन्ता के पद पर हूँ। अतः आपके द्वारा कनिष्ठ अभियन्ता को अपर सहायक अभियन्ता के उपर रखा गया है, क्या यह उचित है ?

बिन्दु संख्या 05 मान्यवर, मेरी लेन्थ ऑफ सर्विस लो0नि0वि0 में इस ज्येष्ठता सूची में सर्वोच्च ज्येष्ठता क्रमांक 658 से अधिक है परन्तु मुझे ज्येष्ठता क्रमांक 1015 पर रखा गया है, जिसमें मुझे आपत्ति है।

बिन्दु संख्या 06 उपरोक्त सभी बिन्दुओं का अवलोकन करने के पश्चात यही निष्कर्ष निकलता है कि, मेरा ज्येष्ठता क्रमांक 658 से उपर तथा वर्ष 2004 में लोक सेवा आयोग से चयनित कनिष्ठ अभियन्ता के साथ होना चाहिए।

अतः आपसे अनुरोध है कि उपरीक्त बिन्दुओं का गहनता से विचार करते हुए मेरी ज्येष्ठता क्रमांक को पुनः निर्धारित करने का कष्ट करेंगे।

समिति द्वारा उपरोक्त आपत्ति (अ), (ब), (स) एवं (द) पर लिया गया निर्णय निम्नवत् है:-

(अ), (ब) एवं (स) हेतु :- लोक निर्माण विभाग में 5 प्रतिशत कोटे के अन्तर्गत कनिष्ठ अभियन्ता (सिविल) के पद पर वर्ष 2010 से 2014 के मध्य तदर्थ पदोन्नति की गयी थी (जिसमें उपरोक्त आपत्तिकर्ता भी सम्मिलित हैं) परन्तु उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग के द्वारा उक्त कार्मिकों की विभिन्न चयन वर्षों में पदोन्नति हेतु संस्तुति उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग के पत्रांक 27/09/ई-2/लो0नि0वि0/क0अभि0/पदो0/2015-16 दिनांक 25.04.2017 द्वारा प्रदान की गयी है। यह भी संज्ञान लिया गया है कि मौलिक नियुक्ति के सम्बन्ध में मा0 उच्चतम न्यायालय द्वारा वाद Direct Recruits Class II...vs State of Maharashtra And Ors on 2 May,1990 में पारित निर्णय के आलोक में प्रकरण दिशा-निर्देश हेतु प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष, लोक निर्माण विभाग, देहरादून के पत्रांक-1015/07व्यघ-सामान्य/16 दिनांक 21.11.2019 द्वारा शासन को सन्दर्भित किया गया था, जिसके क्रम में शासकीय पत्र संख्या 1716/।।।(1)/19-49(अधि)/11टी0सी0 दिनांक 06.12.2019 द्वारा "सेवा में विभिन्न श्रेणी के पदों पर भर्ती उसी मानक के अनुसार सीधी भर्ती तथा पदोन्नति द्वारा मा0 लोक सेवा आयोग के माध्यम से की जायेगी, जो कि इस नियमावली के प्रख्यापन से ठीक पूर्व सुसंगत नियमो/शासनादेशों में निहित है। अर्थात् मा0 लोक सेवा आयोग के अनुमोदन/स्वीकृति के उपरान्त ज्येष्ठता सक्षम अधिकारी द्वारा जारी कार्यालय ज्ञाप निर्गत तिथि से जारी किये जायेंगे" के दिशा निर्देश हैं।

(अ), (ब), (स) एवं (द) हेतु :- लोक निर्माण विभाग में संविदा में कनिष्ठ अभियन्ता (सिविल) के पद पर कार्यरत कार्मिकों के विनियमितीकरण की कार्यवाही उत्तराखण्ड शासन, कार्मिक अनुभाग-2 की अधिसूचना संख्या 1298/XXX(2)/2013-3(1)/2016 दिनांक 30.12.2013 द्वारा प्रख्यापित "दैनिक वेतन, कार्यप्रभारित, संविदा, नियत वेतन, अंशकालिक तथा तदर्थ रूप में नियुक्त कार्मिकों का विनियमितीकरण नियमावली, 2013" में निहित प्राविधानों के तहत की गयी है, जिसके नियम-2 (अध्यारोही प्रभाव) के अनुसार :-

इस नियमावली के उपबन्ध संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक के अधीन राज्यपाल द्वारा उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग की परिधि के अन्तर्गत तथा उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग की परिधि के बाहर के पदों हेतु बनाये गये किन्हीं अन्य नियमों या तत्समय प्रवृत्त आदेशों में किसी प्रतिकूल बात के होते हुए भी प्रभावी होंगे।

इस प्रकार संविदा के आधार पर कार्यरत कार्मिकों के विनियमितीकरण हेतु लोक सेवा आयोग के परामर्श की बाध्यता प्रदर्शित नहीं होती है।

(द) हेतु :- रिट याचिका संख्या- 1646/एस0एस0/2013 मनोज कुमार बनाम राज्य व अन्य तथा 03 अन्य रिट याचिकाओं में मा0 उच्च न्यायालय नैनीताल उत्तराखण्ड के निर्णय दिनांक 05.05.2017 के अनुपालन में शासकीय आदेश संख्या- 610/111(1)/18-04(99)/2013 दिनांक 12.05.2018 द्वारा निम्नवत् निर्देश दिये गये हैं:-

"माननीय उच्च न्यायालय में दायर रिट याचिका संख्या 1646/2013 रिट याचिका संख्या 1259/2013, रिट याचिका संख्या 1573/2013 एवं रिट याचिका संख्या 1612/2013 में माननीय उच्च न्यायालय नैनीताल द्वारा पारित निर्णय दिनांक 05.05.2017 के अनुपालन में लोक निर्माण विभाग में वर्ष 2005 से प्रतिनियुक्ति के आधार पर तैनात 14 कनिष्ठ अभियन्ताओं को उक्त नियमावली के नियम-4, नियम-5, नियम-6, नियम-7 एवं नियम-8 के प्राविधानों के अन्तर्गत लोक निर्माण विभाग में संविलियन किये जाने की स्वीकृति एतद्वारा प्रदान की जाती है। कृपया संविलियन नियमावली के उपरोक्त नियमों को दृष्टिगत रखते हुये तत्काल संविलियन आदेश निर्गत करने का कष्ट करें।"

उक्त के कम में विभागाध्यक्ष कार्यालय के ज्ञाप संख्या- 233/09 व्यघ-सा0/16 दिनांक 23.05.2018 द्वारा संविलियन नियमावली 2012 के नियम-04, नियम-05 नियम-06, नियम-07 एवं नियम-08 में प्राविधानों के अन्तर्गत संविलियन किये जाने के आदेश पारित किये गये हैं।

नियम-7 (संविलियन की शर्तों का निर्धारण) के अनुसार-

(1) लोक निर्माण विभाग में कनिष्ठ अभियन्ता (सिविल) के पद पर संविलियन के आदेश में इंगित तारीख सम्बन्धित अभियन्ता की लोक निर्माण विभाग में कनिष्ठ अभियन्ता के पद पर मौलिक नियुक्ति की तारीख मानी जायेगी तथा उस तारीख के उपरान्त सम्बन्धित पद पर उसकी ज्येष्ठता, पदोन्नति एवं अन्य सेवा सम्बन्धी मामले सुसंगत सेवा नियमावली के अन्तर्गत व्यवहृत होंगे।

(2) संविलियन के पश्चात् सम्बन्धित कनिष्ठ अभियन्ताओं की ज्येष्ठता का निर्धारण संविलियन की तारीख से ही किया जायेगा।

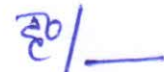
अतः उक्त आपत्तिकर्ता अभियन्ता की ज्येष्ठता का निर्धारण संविलियन नियमावली 2012 के प्राविधानों के अन्तर्गत ही किया गया है।

गठित समिति द्वारा उपरोक्त वर्णित समस्त आपत्तिकर्ताओं की पत्रांक 1091/07 व्यघ-सा0/2019 दिनांक 13.12.2019 द्वारा निर्धारित अनन्तिम ज्येष्ठता उपरोक्त प्राविधानों के अनुसार उचित कम पर निर्धारित होने तथा आपत्तिकर्ताओं द्वारा ज्येष्ठता के सम्बन्ध में की गयी आपत्तियाँ ग्राह्य न होने की टिप्पणी अंकित करते हुये आपत्तिकर्ताओं की आपत्ति का निराकरण संगत शासनादेशों, नियमावलियों एवं शासन से प्राप्त दिशा निर्देशों के आलोक में प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष, लोक निर्माण विभाग, उत्तराखण्ड, देहरादून के ज्ञाप संख्या 1091/07 व्यघ-सा0/2019 दिनांक 13.12.2019 द्वारा प्रख्यापित कनिष्ठ अभियन्ता (सिविल) की अनन्तिम ज्येष्ठता सूची को ही अन्तिम ज्येष्ठता सूची के रूप में प्रख्यापित किये जाने की संस्तुति की गयी है।

अतः समिति की संस्तुति के आधार पर कनिष्ठ अभियन्ता (सिविल) की अन्तिम ज्येष्ठता सूची भाग-3 (क्रमांक 658 से 1020 तक) एतद्वारा प्रख्यापित की जाती है।

संलग्न:- अन्तिम ज्येष्ठता सूची भाग-3

(क्रमांक 658 से 1020 तक)

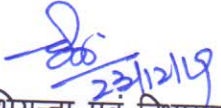


प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष
लोक निर्माण विभाग, देहरादून

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को अन्तिम ज्येष्ठता सूची की प्रति सहित इस आशय से प्रेषित है कि क्षेत्रीय/वृत्तीय/खण्डीय कार्यालयों में कार्यरत सभी कनिष्ठ अभियन्ता (सिविल) के मध्य यह सूची परिचालित (सर्कुलेट) करा दें एवं उनका इकनॉलेजमेन्ट प्राप्त कराकर उनको व्यक्तिगत पत्रावली में सुरक्षित रख दें।

1. समस्त मुख्य अभियन्ता, लो0नि0वि0,।
2. समस्त अधीक्षण अभियन्ता,वां वृत्त, लो0नि0वि0,।
3. समस्त अधिशासी अभियन्ता,खण्ड, लो0नि0वि0,।

4. अधिशासी अभियन्ता, प्रान्तीय/निर्माण/अस्थाई खण्ड, लोक निर्माण विभाग, बड़कोट/चकराता/हरिद्वार/नई टिहरी/रुद्रपुर एवं अधिशासी अभियन्ता, पी0एम0जी0एस0वाई0 खण्ड, नरेन्द्रनगर को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि उक्त अन्तिम ज्येष्ठता सूची को अपने खण्ड से सम्बन्धित आपत्तिकर्ता कनिष्ठ अभियन्ता (सिविल) (श्री संदीप वर्मा, श्री आशीष सेमवाल, श्री दिनेश सिंह, श्री आशीष मिततल, श्री ललित मोहन खत्री, श्री योगेश ततराड़ी एवं श्री मनोज कुमार) को अपने स्तर से उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।
 5. अधिशासी अभियन्ता, आई0टी0 सैल, विभागाध्यक्ष कार्यालय, लो0नि0वि0, देहरादून को उक्त अन्तिम ज्येष्ठता सूची विभागीय वेबसाईट में अपलोड किये जाने हेतु।
 6. प्रान्तीय अध्यक्ष/महामंत्री, उत्तराखण्ड डिप्लोमा इंजीनियर संघ, लोक निर्माण विभाग।
- संलग्न :- अन्तिम ज्येष्ठता सूची भाग-3 (क्रमांक 658 से 1020 तक)


प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष

23.12.19

(क्रमांक 658 से 1007 तक) हेतु प्राप्त आपत्तियाँ

क्र. सं.	आपत्तिका कारण का नाम / पदनाम	अनंतिम ज्येष्ठता सूची का क्रमांक	वर्तमान सैन्यी कार्यलय का नाम	आपत्तियाँ
1.	श्री संदीप शर्मा/ कनिष्ठ अविद्यता		निर्माण स्थल, बरकोट	1. लोक सेवा आयोग द्वारा 1971 का कानून नई उत्तराखण्ड शासन की संसदीय को उपपन्न वर्ष 2011-12 नियत किया गया है तथा विभागाध्यक्ष कार्यलय के डाप संख्या 285/2009-सामान्य/17 दिनांक 05.08.2017 द्वारा भी नियमित पदोन्नति के आदेश कानून वर्ष 2011-12 के लिए है किन्तु यह भी स्पष्ट है कि लोक सेवा आयोग द्वारा कानून नई नियत करने का अभिप्राय उस वर्ष की 01 जुलाई से 30 जून के मध्य की अवधि होती है। यहाँ तक वे संज्ञा में लाते हैं कि उत्तराखण्ड लोक निर्माण विभाग अविद्यता अधिनियम (कनिष्ठ अविद्यता विधित, प्राथमिक, विद्युत तथा सैन्यी) सेवा नियमावली, 2007 के भाग 5 विनू-18 में स्पष्ट नियम है कि "यदि भर्ती के किसी वर्ष में नियुक्ति, सेवा भर्ती और पदोन्नति दोनों द्वारा की जाये तो एक कानून कानून सूची के तहत की जायेगी, जिसमें अधिनियम के भाग सुसंगत सूचियों से इस प्रकार लिए जायेंगे कि विहित प्रतिपाद बना रहे। सूची में पदनाम पदोन्नति द्वारा नियुक्त कनिष्ठ का होगा। सम्भवतः इस नियमानुसार कोई कानून सूची नहीं बनाई गई है। क्योंकि यदि इस नियम से कोई संयुक्त सूची बनायी गयी होती, तो ज्येष्ठता निर्धारण में कोई समस्या नहीं होती। मेरी 4 माह के बाद अनंतिम ज्येष्ठता निर्धारण करने में इस प्रकार की कोई सूची बनायी जाने तथा अनंतिम ज्येष्ठता सूची प्रकाशित किये जाने के बाद किसी भी कार्मिक की सेवा भर्ती तथा पदोन्नति नहीं होने के उपरान्त भी बिना किसी सुसंगत नियम के अनंतिम ज्येष्ठता सूची प्रकाशित कर ज्येष्ठता क्रमक सलन उस सेवा नियमावली के नियमों के प्रतिकूल है। 2. 1971 की पदोन्नति कनिष्ठ अविद्यता के पद पर वर्ष 2011-12 (अगस्त 2016) में ही हुई है तथा प्रार्थी की पदोन्नति की तिथि से ही कनिष्ठ अविद्यता सिविल के पद पर नियुक्त कर्मचारी है। स्पष्ट है कि 1971 की पदोन्नति की तिथि से ही कनिष्ठ अविद्यता की ज्येष्ठता सूची में क्रमांक 658 पर नियत होने का मान है, किन्तु आज द्वारा उक्त सन्दर्भित अनंतिम ज्येष्ठता सूची में मेरा क्रमांक बदलना "उत्तराखण्ड सार्वजनिक सेवा ज्येष्ठता नियमावली 2002" के धारा-8 का स्पष्ट उल्लंघन है। यहाँ पर यह भी अवगत करना है कि जिस वर्ष मेरी पदोन्नति हुई थी उसी समय हमारी नियुक्ति की ज्येष्ठता सूची में क्रमांक में पदोन्नति अतिरिक्त कर दिया गया था। अब कनिष्ठ अविद्यता की अनंतिम ज्येष्ठता सूची में मेरा क्रमांक 658 वर्ष 2011 में अतिरिक्त किया गया है। अर्थात् 7 वर्ष में मैं किसी ज्येष्ठता में नहीं रहा। यह बात किसी भी स्तर पर उचित प्रतीत नहीं हो रही है। 3. महोदय पूर्व में भी 5 प्रतिशत कोट से पदोन्नति कनिष्ठ अविद्यताओं की ज्येष्ठता समी इसी प्रकार पर नियत की गयी थी, उपरान्त लोक सेवा आयोग के पत्रांक 1853/02-02 दौर्भाग्यवश 12-13 दिनांक 10.01.2013 के द्वारा 5 प्रतिशत कोट के अनर्गत पदोन्नति (तदर्थ) कनिष्ठ अविद्यताओं को नियमित पदोन्नति/विनियमितिकरण यद्यपि विलम्बित वर्ष 2015 में किया गया किन्तु आयोग द्वारा उक्त तदर्थ पदोन्नति कनिष्ठ अविद्यताओं का कानून वर्ष 2010-11 में नियत किया गया तथा विभाग के द्वारा उन्हें वर्ष 2011 से पूर्व ज्येष्ठता सूची में स्थान दिया गया है। ज्येष्ठता सूची में क्रमांक 658 से 800 को आपके द्वारा इस अनुसार ज्येष्ठता दी गयी है। 4. महोदय लोक अविद्यताओं के द्वारा "UTTARAKHAND PUBLIC SERVICE TRIBUNAL AT DEHRADUN CLAIM PETITION-08/002 BHAGWATI PRASAD NAUTIAL V/S STATE OF UTTARAKHAND" में खर्च निर्णय से अपार नजारा या राह है जोकि तदर्थ गलत है क्योंकि यह निर्णय केवल उनकी खर्च/प्रतिपत्ति पर लागू होता है जिसके बिना यह निर्णय निर्गत किया गया है न कि सभी पर या अधिक में होने वाले सभी विवादों पर इसे नज़ीर के तौर पर रखा नहीं दिया जा सकता है। ज्येष्ठता के सम्बन्ध में देश के सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय को मॉडर बना जाता है तथा देश के सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय पूरे देश के लिये कानून बन जाता है, जोकि विनू संख्या 5 में निम्नलिखित है। 5. महोदय उपरोक्त सम्बन्ध में यह भी अनुरोध करता है कि ज्येष्ठता निर्धारण हेतु भारतीय राजपत्र न्यायालय के द्वारा यह Direct Recruit Class II...vs State of Maharashtra And Ors on 2 May, 1990 के निर्णय क्रमांक 4(A), (B), (C) व (D) में स्पष्ट आदेश दिये गये हैं कि - 44- To sum up we hold that: (A) Once an incumbent is appointed to a post according to rule, his seniority has to be counted from the date of his appointment and not according to the date of his confirmation. The Corollary of the above rule is that where the initial appointment is only adhoc and not according to rules and made as a stop-gap arrangement, the officiation in such post cannot be taken into account for considering the seniority. (B) If the initial appointment is not made by following the procedure laid down by the rules but the appointee continues in the post uninterruptedly till the regularization of his service in accordance with the rules, the period of officiating service will be counted. (C) When appointments are made from more than one source, it is permissible to fix the ratio for recruitment from the different sources, and if rules are framed in this regard they must ordinarily be followed strictly. (D) If it becomes impossible to adhere to the existing quota rule, it should be substituted by an appropriate rule to meet the needs of the situation. In case, however, the quota rule is not followed continuously for a number of years because it was impossible to do so the inference is irresistible that the quota rule had broken down.... 5. महोदय मैं विभाग में विनियमित रूप से पूर्व से ही स्थान पर तथा विभाग द्वारा मेरी तदर्थ पदोन्नति (पदोन्नति हेतु कानून अधिनियमों द्वारा पूर्ण करने के परभाव, अर्थात् उस समय उपलब्ध स्थिति, विभाग में नियमित सेवा में पात्रता, कानूननियम के अनुसार उस पर हेतु 5 प्रतिशत आरक्षित कोट, सैन्यी/सैन्यी कोट, सैन्यी वार्ड तथा सैन्यी दौर्भाग्यवश के तहत के परभाव सभी नियमों का अनुपालन करते हुए कानून किया गया है, जो कि भारतीय न्यायालय के उपरोक्त निर्णय क्रमांक 44 (D) के तहत वैधानिक के अनुसार है। आदेश की प्रति आपके अवलोकनार्थ सलन है। 6. तदर्थ कर्मिकों की ज्येष्ठता निर्धारण के सम्बन्धित यह उपलब्ध न्यायालय है वापर कानून संख्या 3386 वर्ष 2006 एवं कानून में यह उक्त न्यायालय नैनीताल द्वारा एलटीओ प्रेड टीवर्त से सम्बन्धित यह प्रिविक सिटि कुनर बनाम स्टेट ऑफ उत्तराखण्ड में प्राप्ति निर्णयानुसार मेरी तदर्थ कर्मिक की ज्येष्ठता उसकी तदर्थ पर पर नियुक्ति की तिथि से ही मान्य होती। मेरी ज्येष्ठता निर्धारण में इन निर्णयों का भी उल्लंघन किया गया है (प्रति संलग्न)। उत्तराखण्ड शासन द्वारा तदर्थ निकायों को भी उनकी नियुक्ति की तिथि से ही ज्येष्ठता निर्धारित करने का निर्णय दिया गया है। (सलन समाचार पत्र कटिंग 8.9.2019) अतः अनुरोध है कि आपके उपरोक्त सन्दर्भित कार्यलय द्वारा प्राप्त जाते प्रार्थी की अनंतिम ज्येष्ठता सूची में प्रती क्रमांक में संशोधन कर पूर्ववा कर्मांक क्रमांक 658 रखा जाय, क्योंकि यह नियमानुसार एवं विनियमित है तथा इसमें तलर तदर्थ से परिवर्तन किया जाय भारतीय सर्वोच्च न्यायालय एवं उक्त न्यायालय के आदेशों की अवगलना होती अथवा प्रार्थी का यह न्यायालय की शरण लेने के अतिरिक्त अन्य कोई विकल्प शेष नहीं रह जायेगा।

(Handwritten signatures and marks)

क्र.	आपत्तिकर्ता का नाम / पदनाम	अनतिम ज्येष्ठता सूची का क्रमांक	वर्तमान तैनाती कार्यालय का नाम	आपत्तिपूर्ण
2	श्री अनुप कुमार शकसाणी/ कनिष्ठ अभियन्ता सिविल		निर्माण सभ्य नरेन्द्रनगर	1. लोक सेवा आयोग द्वारा प्रारंभ का समय वर्ष उत्तराखण्ड शासन की संसुति के उपरान्त वर्ष 2011-12 नियत किया गया है तथा विशालकाय कार्यालय के प्रायः संख्या 285/2004-समाप्ति/17 दिनांक 05.05.2017 द्वारा मेरे नियमित पदोन्नति के आदेश प्राप्त वर्ष 2011-12 के लिए ही किये गये हैं। यहाँ यह भी सूचित है कि लोक सेवा आयोग द्वारा समय वर्ष निश्चित करने का अभिप्राय उस वर्ष की 01 जुलाई से 31 जून के मध्य की अवधि होती है। यहाँ यह भी संज्ञान में राना है कि उत्तराखण्ड लोक निर्माण विभाग अधीनस्थ अभियन्ता (कनिष्ठ अभियन्ता सिविल, प्रविधिक, विद्युत तथा सौकरिक) सेवा नियमावली, 2007 के मध्य 5 बिन्दु-18 में स्पष्ट निम्न है कि "यदि मर्ती के किसी वर्ष में नियुक्तियों, सीसी मर्ती और पदोन्नति दोनों द्वारा की जावे तो एक संयुक्त समय सूची तैयार की जायेगी, जिसमें अपरिचित के नाम सुसंगत सुविधों से इस प्रकार लिए जायेंगे कि विहित प्रतिस्था बना रहे। सूची में पहला नाम पदोन्नति द्वारा नियुक्त व्यक्ति का होगा।" सम्भव इस नियमानुसार कोई संयुक्त सूची नहीं बनाई गई है। क्योंकि यदि इस नियम से कोई संयुक्त सूची बनायी गयी होती, तो ज्येष्ठता निर्धारण में कोई समस्या नहीं होती। मेरी 4 माह के बाद अनतिम ज्येष्ठता निर्धारण करने में इस प्रकार की कोई सूची बनाये जाने तथा अनतिम ज्येष्ठता सूची प्रख्यापित किये जाने के बाद किसी भी कार्मिक की सीसी नहीं तथा पदोन्नति नहीं होने के उपरान्त भी बिना किसी सुसंगत नियम के अनतिम ज्येष्ठता सूची प्रख्यापित कर ज्येष्ठता क्रमांक बदलना उक्त सेवा नियमावली के नियमों के प्रतिषेध है। 2. प्रारंभ की पदोन्नति कनिष्ठ अभियन्ता के पद पर वर्ष 2011-12 (अगस्त 2011) में ही हुयी है तथा प्रारंभ की पदोन्नति के दिवस से ही कनिष्ठ अभियन्ता सिविल के पद पर नियुक्त कार्यरत है। स्पष्ट है कि प्रारंभ की पदोन्नति की दिवस से ही कनिष्ठ अभियन्ता की ज्येष्ठता सूची में क्रमांक 880 पर रिकॉर्ड होने का बात है, किन्तु अग्रे द्वारा उक्त सन्दर्भित अनतिम ज्येष्ठता सूची में मेरा क्रमांक बदलना "उत्तराखण्ड सरकारी सेवा ज्येष्ठता नियमावली 2002" की धारा-8 का स्पष्ट उल्लंघन है। 3. नोटिस पूर्व में मैं 5 प्रतिशत कोटे से पदोन्नत कनिष्ठ अभियन्ताओं की ज्येष्ठता सूची हट्टी अक्षर पर नियत की गयी थी, उदाहरणार्थ लोक सेवा आयोग के प्रकाश 1853/02ई-02 सीपीसीसी 12-13 दिनांक 10.01.2013 के द्वारा 5 प्रतिशत कोटे के अन्तर्गत पदोन्नत (प्राथमिक) कनिष्ठ अभियन्ताओं की नियमित पदोन्नति/विनियमितकरण गद्यी दिनांकवत् वर्ष 2013 में किया गया किन्तु आरोप द्वारा उक्त तदर्थ पदोन्नत कनिष्ठ अभियन्ताओं का समय वर्ष 2010-11 ही नियत किया गया तथा विभाग के द्वारा उन्हें वर्ष 2011 से पूर्व ज्येष्ठता सूची में स्थान दिया गया है। ज्येष्ठता सूची में क्रमांक 858 से 880 को आपके द्वारा इस अनुसार ज्येष्ठता दी गयी है। 4. नोटिस कुछ अभियन्ताओं के द्वारा "UTTRAKHAND PUBLIC SERVICE TRIBUNAL AT DEHRADUN CLAIM PETITION-08/2002 BHAGWATI PRASAD NAUTIYAL V/S STATE OF UTTRAKHAND" में परित निर्णय को अक्षर बनाया जा रहा है क्योंकि कर्मचारी नलर है क्योंकि यह निर्णय केवल उन्हीं गयी/प्रतिवादी पर लागू होता है जिसके विरुद्ध यह निर्णय निर्यात किया गया है न कि सभी पर का भविष्य में होने वाले सभी विवादों पर इसे नजीर के तौर पर पेश नहीं किया जा सकता है। ज्येष्ठता के सम्बन्ध में देश की सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय को नजीर माना जाता है तथा देश के सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय पूरे देश के लिये कानून बन जाता है, जोकि किन्तु संख्या 5 में निम्नवत् है। 5. नोटिस उत्तराखण्ड सम्बन्ध में यह भी अनुवेष्ट करना है कि ज्येष्ठता निर्धारण हेतु मानीय उत्तराखण्ड न्यायालय के द्वारा बाद Direct Recruit Class II...vs State of Maharashtra And Ors on 2 May, 1990 के निर्णय क्रमांक 44(A), (B), (C) र (D) में स्पष्ट ज्ञेय किये गये हैं कि:- 44-To sum up we hold that: (A) Once an incumbent is appointed to a post according to rule, his seniority has to be counted from the date of his appointment and not according to the date of his confirmation. The Corollary of the above rule is that where the initial appointment is only adhoc and not according to rules and made as a stop-gap arrangement, the officiation in such post cannot be taken into account for considering the seniority. (B) If the initial appointment is not made by following the procedure laid down by the rules but the appointee continues in the post uninterruptedly till the regularization of his service in accordance with the rules, the period of officiating service will be counted. (C) When appointment are made from more than one source, it is permissible to fix the ratio for recruitment from the different sources, and if rules are framed in this regard they must ordinarily be followed strictly. (D) If it becomes impossible to adhere to the existing quota rule, it should be substituted by an appropriate rule to meet the needs of the situation. In case, however, the quota rule is not followed continuously for a number of years because it was impossible to do so the inference is irresistible that the quota rule had broken down. 5. नोटिस में विमत में विनिर्दिष्ट वर्ष में पूर्व से ही कर्मचारी का उक्त विभाग द्वारा मेरी तदर्थ पदोन्नति (पदोन्नति हेतु सभ्य औपचारिकताएं पूर्ण करने के पश्चात, अर्थात् उस समय उपलब्ध सिविल, विभाग में नियमित सेवा में सज्जत, उत्तराखण्ड के अनुसार उक्त पद हेतु 5 प्रतिशत आरक्षित कोटा, सौकरिक/उत्तरीय सेवा, समय सार्त तथा विशालकाय सीपीसीसी के पठन के पश्चात सभी नियमों का अनुपालन करते हुए चयन किया गया है, जो कि मानीय उत्तराखण्ड न्यायालय के उपरोक्त निर्णय क्रमांक 44 (A) के प्रथम पैराग्राफ के अनुरूप है। आदेश की प्रति आपके अवलोकनार्थ संलग्न है तथा मानीय उत्तराखण्ड न्यायालय की वेबसाइट पर भी देखी जा सकती है। 6. उत्तराखण्ड की ज्येष्ठता निर्धारण से सम्बन्धित मा. उत्तराखण्ड न्यायालय ने उक्त अधीन संख्या 3396 वर्ष 2006 एवं संलग्न में मा. उच्च न्यायालय नैनीताल द्वारा एलपीडी ट्रेड टीपरी से सम्बन्धित बाद जिविन सिंह कुंवर बनाम स्टेट ऑफ उत्तराखण्ड में परित निर्णयानुसार भी तदर्थ कर्मिक की ज्येष्ठता उसकी तदर्थ पद पर नियुक्ति की दिवस से ही माना होती। मेरी ज्येष्ठता निर्धारण में इन निर्णयों का भी उल्लेखन किया गया है (प्रति संलग्न)। उत्तराखण्ड शासन द्वारा उत्तराखण्ड को भी लकी नियुक्ति की दिवस से ही ज्येष्ठता निर्धारित करने का निर्णय लिया गया है। (प्रति संलग्न) 7. उत्तराखण्ड लोक निर्माण विभाग अधीनस्थ अभियन्ता (कनिष्ठ अभियन्ता सिविल, प्रविधिक, विद्युत तथा सौकरिक) सेवा नियमावली, 2007 के मध्य 5 बिन्दु-18 में स्पष्ट निम्न है कि "यदि मर्ती के किसी वर्ष में नियुक्तियों, सीसी मर्ती और पदोन्नति दोनों द्वारा की जावे तो एक संयुक्त समय सूची तैयार की जायेगी, जिसमें अपरिचित के नाम सुसंगत सुविधों से इस प्रकार लिए जायेंगे कि विहित प्रतिस्था बना रहे। सूची में पहला नाम पदोन्नति द्वारा नियुक्त व्यक्ति का होगा।" मेरी 03 माह के भीतर दुरुर्त बार ज्येष्ठता निर्धारण करने में इस प्रकार की कोई सूची बनाये जाने तथा अनतिम ज्येष्ठता सूची प्रख्यापित किये जाने के बाद किसी भी कार्मिक की सीसी नहीं तथा पदोन्नति नहीं होने के उपरान्त भी बिना किसी सुसंगत नियम के अनतिम ज्येष्ठता सूची प्रख्यापित कर ज्येष्ठता क्रमांक बदलना उक्त सेवा नियमावली के नियमों के प्रतिषेध है। (प्रति संलग्न) अतः अनुरोध है कि आपके उत्तराखण्ड सन्दर्भित कार्यालय द्वारा जारी प्रारंभ की अनतिम ज्येष्ठता सूची में जारी क्रमांक में संशोधन कर पूर्ववत् क्रमांक 880 पर रखा जाय, क्योंकि यह नियमानुसार एवं विनियमित है तथा इसमें गलत तथेके से परिवर्तन किया जाना मानीय सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालय के आदेशों की अवमानना होगी अतः प्रारंभ को मा. न्यायालय की सलाह लेने के अनिवार्य अन्तर्गत कोई विकल्प ही नहीं रह जायेगा।

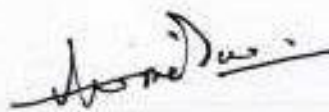
क्र.	आपत्तिकर्ता कार्य का नाम / पदनाम	अन्योन्य जोषिता सूची का उपनाम	समान तैयारी कार्यलय का नाम
3	श्री दिनेश शिंदे/ कनिष्ठ अभिन्न विहित	बलराज खन्ने, भरतपुरा	आपत्तिर्ती

Domine



mag

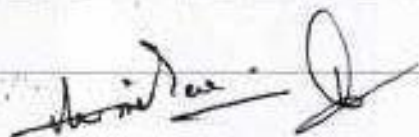
सं०	आपत्ति का कारिक नाम / परामर्श	अनन्त ज्येष्ठता सूची का कमर्क	रहित सेवा की कारिक नाम	आपत्ति
1	श्री सदीय कुमार/अभिषेक सिंह		निर्देशक, ज्येष्ठ	1. लोक सेवा आयोग द्वारा प्रार्थी का चयन वर्ष 2011-12 नियत किया गया है तथा विधानमंडल कार्यलय के द्वारा संख्या 285/2008-सामान्य/17 दिनांक 05.05.2011 द्वारा भी नियमित पदोन्नति के आदेशावली वर्ष 2011-12 के तहत ही किया गया है। यहाँ का भी मुख्य है कि लोक सेवा आयोग द्वारा चयन वर्ष नियत करने का अभिप्राय उस वर्ष की 01 जुलाई से 30 जून के बीच की अवधि होती है। 2. प्रार्थी की पदोन्नति कनिष्ठ अभियन्ता के पद पर विधानमंडल कार्यलय के द्वारा संख्या 1335/20 ज्येष्ठ-सामान्य/10 दिनांक 20.08.2011 में हुई है तथा प्रार्थी की पदोन्नति की तिथि से ही कनिष्ठ अभियन्ता नियमित के पद पर कार्यरत है। साथ ही कि प्रार्थी की पदोन्नति की तिथि से ही कनिष्ठ अभियन्ता की ज्येष्ठता सूची में क्रमांक 719-ई पर नियत होने का प्राव है, किन्तु अब द्वारा उक्त सन्दर्भित अनन्त ज्येष्ठता सूची में मेरा क्रमांक बदलना। 3. महोदय पूर्व में भी 5 प्रतिशत कोट से पदोन्नति कनिष्ठ अभियन्ताओं की ज्येष्ठता सूची में आकर पर नियत की गयी थी, उदाहरणार्थ लोक सेवा आयोग के क्रमांक 1853/02-ई-02 डीपीसीसी 12-13 दिनांक 10.01.2013 के द्वारा 2010-11 की नियत किया गया उक्त विमान के द्वारा तदर्थ वर्ष 2011 से पूर्व ज्येष्ठता सूची में स्थान दिया गया है। ज्येष्ठता सूची में क्रमांक 658 से 660 को आपके द्वारा इस अनुसार ज्येष्ठता दी गयी है। 4. महोदय कुछ अभियन्ताओं के द्वारा "UTTARAKHAND PUBLIC SERVICE TRIBUNAL AT DEHRADUN CLAIM PETITION-08/2002 BHAGWATI PRASAD NAUTIYAL V/S STATE OF UTTARAKHAND" में शरित निर्णय के आधार बनाया जा रहा है जोकि सत्य नहीं है क्योंकि यह निर्णय केवल एक ही बारी/प्रतिवादी पर लागू होता है जिनके लिये वह निर्णय निर्गत किया गया है न कि सभी पर या विशेष में होने वाले सभी विवादों पर इसे नवीन के तौर पर देना नहीं किया जा सकता है। ज्येष्ठता के सम्बन्ध में देश के लोक न्यायालय के निर्णय को नवीन बना जाता है तथा देश के सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय पूरे देश के लिये कानून बन जाता है, जोकि किन्तु संख्या 5 में नियत है। 5. महोदय उपरोक्त सम्बन्ध में कभी अनुमति नहीं है कि ज्येष्ठता निर्धारण हेतु कानूनी आधार न्यायालय के द्वारा अब Direct Recruit Class II...vs State of Maharashtra And Ors on 2 May, 1990 के निर्णय क्रमांक 44(A), (B), (C) व (D) में स्पष्ट बन्दोबस्त दिये गये हैं कि - 44- To sum up we hold that: (A) Once an incumbent is appointed to a post according to rule, his seniority has to be counted from the date of his appointment and not according to the date of his confirmation. The Corollary of the above rule is that where the initial appointment is only adhoc and not according to rules and made as a stop-gap arrangement, the officiation in such post cannot be taken into account for considering the seniority. (B) If the initial appointment is not made by following the procedure laid down by the rules but the appointee continues in the post uninterruptedly till the regularization of his service in accordance with the rules, the period of officiating service will be counted. (C) When appointment are made from more than one source, it is permissible to fix the ratio for recruitment from the different sources, and if rules are framed in this regard they must ordinarily be followed strictly. (D) If it becomes impossible to adhere to the existing quota rule, it should be substituted by an appropriate rule to meet the needs of the situation. In case, however, the quota rule is not followed continuously for a number of years because it was impossible to do so the inference is irresistible that the quota rule had broken down..... 6. महोदय विमान द्वारा की तदर्थ पदोन्नति (पदोन्नति हेतु तत्पक्ष कोपवादिताएँ पूर्ण करने के पश्चात्, जहाँ उस समय उपलब्ध रिक्तियों, विमान में नियमित सेवा में पात्रता, साक्षात्कार के अनुसार उस पद हेतु 5 प्रतिशत अपेक्षित कोट, शैक्षणिक/तकनीकी योग्यता, चयन चार्ज तथा विधायी डीपीसीसी के मान के पश्चात् सभी नियमों का अनुपालन करते हुए चयन किया गया है, जो कि माननीय उच्चतम न्यायालय के उपरोक्त निर्णय क्रमांक 44 (A) के प्रथम पैराग्राफ के अनुरूप है। आदेश की प्रति यह उच्चतम न्यायालय की वेबसाइट पर भी देखी जा सकती है। 7. तदर्थ अभियन्ता की ज्येष्ठता निर्धारण से सम्बन्धित यह उच्चतम न्यायालय के द्वारा अपील संख्या 3396 वर्ष 2006 एवं कॉमन में यह उच्च न्यायालय नैनीताल द्वारा एलटीओ गेट टीकॉ से सम्बन्धित यह प्रिवियत सिट सुनर बनाम स्टेट बैंक उत्तराखण्ड में शरित निर्णयानुसार भी तदर्थ कार्रवाई की ज्येष्ठता सूची तदर्थ पर पर नियुक्ति की तिथि से ही मान होगी। मेरी ज्येष्ठता निर्धारण में इन निर्णयों का भी उल्लेख किया गया है। 8. "उत्तराखण्ड लोक निर्माण विभाग अधिनियम अधिनियम (कनिष्ठ अभियन्ता नियमित, प्राविधिक, नियुक्त तथा श्रमिक) संक नियमवली 2007" के क्रमांक-18 में स्पष्ट निम्न है कि "यदि भर्ती के किसी वर्ष में नियुक्तियों, सीधी भर्ती और पदोन्नति दोनों द्वारा की जाय तो एक संयुक्त चयन सूची तैयार की जायेगी जिसमें अभ्यर्थियों के नाम क्रमिक सूचियों से इस प्रकार लिए जायेंगे कि विशिष्ट प्रतिशत बना रहे। सूची में पहला नाम पदोन्नति द्वारा नियुक्त व्यक्ति का होगा।" मेरी चयन माह के दौरान दूसरी मात्र अनन्त ज्येष्ठता निर्धारण करने में इस प्रकार की कोई सूची तैयार करने तथा अनन्त ज्येष्ठता सूची प्रत्यक्षित किये जाने के बाद किसी भी कार्रवाई की सीधी भर्ती तथा पदोन्नति नहीं होने के उपलब्ध भी निम्न किसी सुलभ निम्न के अनन्त ज्येष्ठता सूची प्रत्यक्षित कर ज्येष्ठता क्रमांक बदलना उक्त सेवा विभागाधीन के नियमों के अतिकूल है। अतः अनुरोध है कि आपके उपरोक्त सन्दर्भित कार्यलय और द्वारा जारी प्रार्थी की अनन्त ज्येष्ठता सूची में जारी क्रमांक में संशोधन कर पूर्वतः अर्द्ध क्रमांक 719-ई तथा जाय, क्योंकि यह विधानमंडल एवं विधिवत है तथा इसमें तत्पक्ष तदर्थ से परिवर्तन किया जाना माननीय सर्वोच्च न्यायालय एवं उक्त न्यायालय के आदेशों की अनुमति होगी अन्यथा प्रार्थी को यह न्यायालय की शरण लेने के अतिरिक्त अन्य कोई विकल्प नहीं रह जायेगा।







क्र. सं.	आपत्तिवर्ती कर्मिक का नाम / पदनाम	आपत्ति ज्येष्ठता सूची का क्रमांक	संमान तैयारी कार्यालय का नाम	आपत्तिवर्ती
5	श्री अश्विनी अरोड़ा/कनिष्ठ अभियन्ता सिविल		राज्य सरकार देहरादून	1. उत्तराखण्ड शासन, देहरादून की संसृति पर लोक सेवा आयोग, हरिद्वार द्वारा उनके कार्यलय पत्रांक 27/08/11-2/तंत्राधिक/अभियन्ता/पदे/2015-16 दिनांक 25.04.2017 से मेरा चयन कनिष्ठ अभियन्ता पद पर चयन वर्ष 2013-14 हेतु किया गया। जिसके क्रम में उत्तराखण्ड शासन के पत्र संख्या 504/11(1)/17-16(अभियन्ता)/2011 दिनांक 02.05.2017 से प्राप्त निर्देशों के अनुपालन में विभागाध्यक्ष कार्यालय के द्वारा संख्या 285/2854-सामान्य/17 दिनांक 05.05.2017 द्वारा चयन वर्ष 2013-14 में निर्धारित पदोन्नति के आदेश निर्गत किये गये। 2. उक्त के क्रम में विभागाध्यक्ष कार्यालय के द्वारा संख्या 83/07 जग-सा/2019 दिनांक 18.01.2019 को कनिष्ठ अभियन्ताओं की अनतिम ज्येष्ठता सूची नाम-3 क्रमांक 685 से 1007 प्रख्यापित की गयी। उक्त ज्येष्ठता सूची में मेरे को क्रमांक 720(ए) पर स्थान दिया गया था। उक्त निर्गत अनतिम ज्येष्ठता सूची पर आपत्ति करने वाले कुल 06 अलग सहायक अभियन्ताओं की आपत्तियों का निराकरण कर अनतिम ज्येष्ठता सूची प्रख्यापित करते हुए मेरी ज्येष्ठता क्रमांक 720 (ए) पर निश्चित की जा चुकी थी। 3. महोदय सम्मान्य विभागीय प्रमुख निम्नानुसार किसी भी संदर्भ की ज्येष्ठता सूची प्रथम चरण में अनतिम निर्गत की जाती है। उक्त सम्बन्धित कार्यों से आपत्ति प्राप्त कर उनका निराकरण करते हुए अनतिम ज्येष्ठता सूची निम्नानुसार जारी की जाती है। ज्येष्ठता सूची निम्नानुसार निर्गत की गई ज्येष्ठता सूची पर परिवर्तन किया जाना पश्चिम प्रतीत नहीं होता है। 4. महोदय, ज्येष्ठता निर्धारण के सम्बन्ध में कृपया उत्तराखण्ड शासन, लोक निर्माण अनुभाग-1 के कार्यलय प्राप्त संख्या 504/11(1)/18-10(अभियन्ता)/10 दिनांक 08 मई 2018 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। जिसके द्वारा उत्तराखण्ड शासन स्तर से सहायक अभियन्ता (सिविल) की क्रमांक 381 से 430 तक (मार्ग -4) की अनतिम ज्येष्ठता सूची प्रख्यापित की गई है। उक्त कार्यलय प्राप्त के बिन्दु संख्या 3 में स्पष्ट रूप से उल्लिखित है कि उत्तराखण्ड ज्येष्ठता नियमवली 2002 में निहित प्रविष्टियों के अनुसार प्रथम ज्येष्ठता सूची में पूर्व चयन वर्ष प्राप्त कार्यों को उपर रखा गया है। उक्त निर्गत ज्येष्ठता सूची के क्रमांक 383(ए) से 430 एवं क्रमांक 432 पर उल्लिखित कनिष्ठ/अपर सहायक अभियन्ताओं को उनकी निम्नलिखित नियुक्ति से पूर्व स्थिति का निम्नानुसार चयन वर्ष निर्धारित होने के कारण उनकी ज्येष्ठता भी उत्तराखण्ड ज्येष्ठता नियमवली 2002 की धारा 8(1) के अनुसार निर्धारित की गई है, जो कि पूर्णतया विवक्षित है। अतः अनुरोध है कि ज्येष्ठता निर्धारण हेतु शासन द्वारा अनर्थाई गई नीति का भी संज्ञान अवश्य लिया जाए। संलग्नक-1 5. महोदय मेरी शैक्षिक योग्यता, पदोन्नति हेतु ससमय आवेदन किये जाने, उत्तमय कोटे के अनुरोध रिक्त पदों एवं पदोन्नति हेतु सहायक सहायक योग्यताओं को ध्यान में रखते हुए शासन की संसृति एवं लोक सेवा आयोग के अनुमोदन के उपरान्त विभाग द्वारा उत्तराखण्ड ज्येष्ठता नियमवली 2002 की धारा 8(1) के अनुसार चयन वर्ष निर्धारित करते हुए मेरा ज्येष्ठता क्रमांक 720 (ए) अनतिम रूप से निर्धारित किया गया है। जिसे परिवर्तित किया जाना नियमवली नहीं है। अतः अनुरोध है कि विभाग द्वारा निम्नानुसार प्रख्यापित की गयी कनिष्ठ अभियन्ता अनतिम ज्येष्ठता सूची नाम-3 दिनांक 25.04.2017 में परिवर्तन न करने की कृपा करें। यदि मेरे प्रार्थना पत्र पर अवल न किये जाने से ज्येष्ठता में नुकसान होता है तो इस दशा में प्रार्थना की मजबूरन न्यायलय की शरण में जाने की बाध्यता होगी। जिससे विभाग जिम्मेदार होगा।
6	श्री सोनम उत्तराखण्ड/कनिष्ठ अभियन्ता सिविल		राज्य सरकार देहरादून	1. उत्तराखण्ड शासन, देहरादून की संसृति पर लोक सेवा आयोग, हरिद्वार द्वारा उनके कार्यलय पत्रांक 27/08/11-2/तंत्राधिक/अभियन्ता/पदे/2015-16 दिनांक 25.04.2017 से मेरा चयन कनिष्ठ अभियन्ता पद पर चयन वर्ष 2013-14 हेतु किया गया। जिसके क्रम में उत्तराखण्ड शासन के पत्र संख्या 504/11(1)/17-16(अभियन्ता)/2011 दिनांक 02.05.2017 से प्राप्त निर्देशों के अनुपालन में विभागाध्यक्ष कार्यालय के द्वारा संख्या 285/2854-सामान्य/17 दिनांक 05.05.2017 द्वारा चयन वर्ष 2013-14 में निर्धारित पदोन्नति के आदेश निर्गत किये गये। 2. उक्त के क्रम में विभागाध्यक्ष कार्यालय के द्वारा संख्या 83/07 जग-सा/2019 दिनांक 18.01.2019 को कनिष्ठ अभियन्ताओं की अनतिम ज्येष्ठता सूची नाम-3 क्रमांक 685 से 1007 प्रख्यापित की गयी। उक्त ज्येष्ठता सूची में मेरे को क्रमांक 720(ए) पर स्थान दिया गया था। उक्त निर्गत अनतिम ज्येष्ठता सूची पर आपत्ति करने वाले कुल 06 अलग सहायक अभियन्ताओं की आपत्तियों का निराकरण कर अनतिम ज्येष्ठता सूची प्रख्यापित करते हुए मेरी ज्येष्ठता क्रमांक 720 (ए) पर निश्चित की जा चुकी थी। 3. महोदय सम्मान्य विभागीय प्रमुख निम्नानुसार किसी भी संदर्भ की ज्येष्ठता सूची प्रथम चरण में अनतिम निर्गत की जाती है। उक्त सम्बन्धित कार्यों से आपत्ति प्राप्त कर उनका निराकरण करते हुए अनतिम ज्येष्ठता सूची निम्नानुसार जारी की जाती है। इस प्रक्रिया को अपनाते हुए विभाग द्वारा कनिष्ठ अभियन्ता (सिविल) की अनतिम ज्येष्ठता सूची प्रख्यापित की जा चुकी है। अतः निम्नानुसार उक्त अनतिम ज्येष्ठता सूची में किसी प्रकार से परिवर्तन किया जाना नियम व संघ एवं न्यायविरुद्ध नहीं है। 4. महोदय, ज्येष्ठता निर्धारण के सम्बन्ध में कृपया उत्तराखण्ड शासन, लोक निर्माण अनुभाग-1 के कार्यलय प्राप्त संख्या 504/11(1)/18-10(अभियन्ता)/10 दिनांक 08 मई 2018 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। जिसके द्वारा उत्तराखण्ड शासन स्तर से सहायक अभियन्ता (सिविल) की क्रमांक 381 से 430 तक (मार्ग -4) की अनतिम ज्येष्ठता सूची प्रख्यापित की गई है। उक्त कार्यलय प्राप्त के बिन्दु संख्या 3 में स्पष्ट रूप से उल्लिखित है कि उत्तराखण्ड ज्येष्ठता नियमवली 2002 में निहित प्रविष्टियों के अनुसार प्रथम ज्येष्ठता सूची में पूर्व चयन वर्ष प्राप्त कार्यों को उपर रखा गया है। उक्त निर्गत ज्येष्ठता सूची के क्रमांक 383(ए) से 430 एवं क्रमांक 432 पर उल्लिखित कनिष्ठ/अपर सहायक अभियन्ताओं को उनकी निम्नलिखित नियुक्ति से पूर्व स्थिति का निम्नानुसार चयन वर्ष निर्धारित होने के कारण उनकी ज्येष्ठता भी उत्तराखण्ड ज्येष्ठता नियमवली 2002 की धारा 8(1) के अनुसार निर्धारित की गई है, जो कि पूर्णतया विवक्षित है। अतः अनुरोध है कि ज्येष्ठता निर्धारण हेतु शासन द्वारा अनर्थाई गई नीति का भी संज्ञान अवश्य लिया जाए। संलग्नक-1 इसी प्रकार शासनपत्र संख्या 812 दिनांक 21 मई 2018 द्वारा सहायक अभियन्ताओं/अभियन्ताओं की प्रख्यापित ज्येष्ठता सूची नाम-3 के क्रमांक 30 से 35 पर उल्लिखित कनिष्ठ/अपर सहायक अभियन्ताओं को उनकी निम्नलिखित नियुक्ति से पूर्व वर्ष का चयन वर्ष निर्धारित होने के कारण उनके भी ज्येष्ठता सूची में उत्तराखण्ड ज्येष्ठता नियमवली 2002 की धारा 8(1) में निहित प्रविष्टियों के अनुसार ज्येष्ठता प्रदान की गयी है। संलग्नक-2 5. महोदय मेरी शैक्षिक योग्यता, पदोन्नति हेतु ससमय आवेदन किये जाने, उत्तमय कोटे के अनुरोध रिक्त पदों एवं पदोन्नति हेतु सहायक सहायक योग्यताओं को ध्यान में रखते हुए शासन की संसृति एवं लोक सेवा आयोग के अनुमोदन के उपरान्त विभाग द्वारा उत्तराखण्ड ज्येष्ठता नियमवली 2002 की धारा 8(1) के अनुसार चयन वर्ष निर्धारित करते हुए मेरा ज्येष्ठता क्रमांक 720(ए) अनतिम रूप से निर्धारित किया गया है। जिसे परिवर्तित न किये जाने हेतु मेरे द्वारा अपने पूर्व पत्र दिनांक 27.07.2019 द्वारा भी अनुरोध किया जा चुका है। अतः अनुरोध है कि विभाग द्वारा निम्नानुसार प्रख्यापित की गयी कनिष्ठ अभियन्ता अनतिम ज्येष्ठता सूची नाम-3 दिनांक 25.04.2017 में परिवर्तन न करने की कृपा करें। यदि मेरे प्रार्थना पत्र पर अवल न किये जाने से मुझे अधिक नुकसान के साथ-साथ ज्येष्ठता में भी नुकसान होता है तो इस दशा में प्रार्थना की मजबूरन न्यायलय की शरण में जाने की बाध्यता होगी। जिससे विभाग की उचित धूमिल होगी तथा इसका पूर्ण उत्तराखण्ड विभाग का होगा।









[illegible]

Amelia



~~5~~



100%

क्र.सं.	आपातकालीन कार्य का नाम / वर्णनाम	अनन्तिम ज्योत्सवा सूची का क्रमांक	वर्तमान रैनाली कार्यालय का नाम	अपत्तियाँ
1	डी लॉन्ग सोहन खत्री / कनिष्ठ अभियन्ता सिविल		राष्ट्रीय सड़क, नई दिल्ली	1. नतीजा लोक सेवा आयोग द्वारा प्रार्थी का चयन वर्ष 2011-12 नियत किया गया है तथा नियुक्तता कर्मचारी के द्वारा संख्या 285/2009-सामान्य/17 दिनांक 05.06.2017 द्वारा भेजे नियुक्ति पदोन्नति के आदेश प्रमाण वर्ष 2011-12 के लिए ही किये गये हैं। यहाँ यह भी सूचना है कि लोक सेवा आयोग द्वारा चयन का निर्णय करने का अधिकार उस वर्ष की 31 जुलाई से 31 जून को मग की अवधि होती है। 2. प्रार्थी की पदोन्नति कनिष्ठ अभियन्ता के पद पर वर्ष 2011-12 में ही हुई है तथा प्रार्थी की पदोन्नति की दिवि से ही कनिष्ठ अभियन्ता सिविल के पद पर नियुक्त कार्यरत है। तथा है कि प्रार्थी की पदोन्नति की दिवि से ही कनिष्ठ अभियन्ता की ज्योत्सवा सूची में क्रमांक 743-सी पर स्थित होने का पता है, किन्तु अब इस जय सम्पत्ति अनन्तिम ज्योत्सवा सूची में फेर कर्मक बदलना "वर्तमानवक साकली लोक ज्योत्सवा नियमावली 2002" की धारा-8 का स्पष्ट उल्लंघन है। 3. नतीजा पूर्व में है 8 इतिहास कोटे में पदोन्नत कनिष्ठ अभियन्ताओं की ज्योत्सवा सूची इसे अलग पर नियत की गयी थी, सहायक लोक सेवा आयोग के पत्रांक 1853/001-02 डीपीसीसी 12-13 दिनांक 18.01.2013 के द्वारा 5 प्रतिशत कोटे के अन्तर्गत पदोन्नत (सभी) कनिष्ठ अभियन्ताओं की नियुक्ति पदोन्नति/विनिर्दिष्टकरण यद्यपि निम्नवत् वर्ष 2013 में किया गया किन्तु आयोग द्वारा उक्त वर्ष पदोन्नत कनिष्ठ अभियन्ताओं का चयन वर्ष 2010-11 ही नियत किया गया तथा विभाग के द्वारा उन्हें वर्ष 2011 से पूर्व ज्योत्सवा सूची में स्थान दिया गया है। ज्योत्सवा सूची में क्रमांक 688 को ध्यान दे इस बात अनुरूप ज्योत्सवा सूची में है। 4. नतीजा कुछ अभियन्ताओं के द्वारा "UTTARAKHAND PUBLIC SERVICE TRIBUNAL AT DEHRADUN CLAIM PETITION-08/2002 BHAGWATI PRASAD NAUTIYAL V/S STATE OF UTTARAKHAND" में धारित निर्णय को प्रकाश बनाया जा रहा है जोकि सारांश यन्त्र है क्योंकि वह निर्णय केवल सनरी यद्यपि/प्रतिवादी का खलू होता है जिसके सिद्धे वह निर्णय निर्णय किया गया है न कि सही पर या यद्यपि न होने वाले सही विचारों पर इसे नतीजा के डेर पर पेस नहीं किया जा सकता है। ज्योत्सवा के समय में देश के सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय को नतीजा बना जाता है तथा देश के सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय पूरे देश के सिद्धे अंगूठ बन जाता है, जोकि किन्तु संख्या 5 में निम्नवत् है। 5. नतीजा उपरोक्त सम्बन्ध में यह भी अनुरोध करना है कि ज्योत्सवा निर्धारण हेतु माननीय उच्चतम न्यायालय के द्वारा कर Dred Recruit Class II Vs State of Maharashtra And Ors on 2 May, 1990 के निर्णय क्रमांक 44(1), 44 (C) व 44(D) में स्पष्ट आदेश दिये गये हैं कि - 44-To sum up we hold that: (A) Once an incumbent is appointed to a post according to rule, his seniority has to be counted from the date of his appointment and not according to the date of his confirmation. The Corollary of the above rule is that where the initial appointment is only ad hoc and not according to rules and made as a stop-gap arrangement, the officiation in such post cannot be taken into account for considering the seniority. (B) If the initial appointment is not made by following the procedure laid down by the rules but the appointee continues in the post uninterrupted till the regularization of his service in accordance with the rules, the period of officiating service will be counted. (C) When appointment are made from than one source, it is permissible to fix the ratio for recruitment from the different sources, and if rules are framed in this regard they must ordinarily be followed strictly. (D) If becomes impossible to adhere to the existing quota rule, it should be substituted by an appropriate rule to meet the needs of the situation. In case, however, the quota rule is not followed continuously for a number of years because it was impossible to do so the inference is inescapable that the quota rule had broken down..... 6. नतीजा विभाग में भेजे तथ्य पदोन्नति (पदोन्नति हेतु समस्त अभ्यर्थी/उत्तरा पूर्ण करने के परका, अर्थात् उस समय चलता स्थिति/विचार में नियुक्ति सेवा में पावता साक्षात्कार के अनुसार उस पद हेतु 5 प्रतिशत आवेदनित कोटा, रैनालीक/सभीकी ज्योत्सवा चयन धारा तथा विधिवीय डीपीसीसी के ध्यान के धारण सही निर्णयों का अनुपालन करते हुए स्थान किया गया है, जो कि माननीय उच्चतम न्यायालय के उपरोक्त निर्णय क्रमांक 44 (1) के प्रथम पैराग्राफ के अनुरूप है। आदेश की प्रति आपके अवलोकनार्थ संलग्न है तथा साथ उत्पन्न न्यायालय की वेबसाइट पर भी देखी जा सकती है। 7. तथ्य कर्मिकों की ज्योत्सवा निर्धारण में सम्बन्धित यह उत्पन्न न्यायालय में दावा अविल संख्या 3386 वर्ष 2008 एवं कर्मिकों में यह दावा न्यायालय नतीजा द्वारा हाइकोर्ट ग्रेड टीसीसी में सम्बन्धित यह विविध सिद्ध अनुसन्धान स्टेट ऑफ उत्तराखण्ड में धारित निर्णयानुसार ही तथ्य कर्मिकों की ज्योत्सवा उत्तरी तथ्य पद पर नियुक्ति की दिवि से ही कर्मक होगी। नतीजा ज्योत्सवा निर्धारण में इन निर्णयों का भी उल्लंघन किया गया है (प्रति संलग्न)। 8. उत्तराखण्ड लोक निर्माण विभाग अधीनस्थ अभियन्ता (कनिष्ठ अभियन्ता सिविल, इन्फ्रिस्ट, विद्युत तथा यंत्रिक) सेवा नियमावली, 2007 के क्रमांक-18 में स्पष्ट निम्न है कि "यदि यहाँ के किसी वर्ष में नियुक्तियों, तीथी यहाँ और पदोन्नति दोनों द्वारा की जाय तो एक अनुसूचित चयन सूची तैयार की जायेगी, जिसमें अवधि/वर्षों के नाम सुसंगत रूपों से इस प्रकार सार जायेगे कि स्थिति प्रतिष्ठित बन रहे। सूची में पावता नाम पदोन्नति द्वारा नियुक्त यद्यपि का होगा।" नतीजा यह सूच में भीतर दृष्टी कर अनन्तिम ज्योत्सवा निर्धारण करने में इस प्रकार की कोई सूची बनाये जाने तथा अनन्तिम ज्योत्सवा सूची प्रस्थापित किये जाने के बाद किसी भी कर्मिक की तीथी यहाँ तथा पदोन्नति नहीं होने के उपरान्त भी बिना किसी सुसंगत नियम के अनन्तिम ज्योत्सवा सूची प्रस्थापित कर ज्योत्सवा क्रमांक बदलना उक्त सेवा नियमावली के नियमों के प्रतिष्ठित है। (प्रति संलग्न) अतः अनुरोध है कि आपके उपरोक्त सम्पत्ति कार्यलय द्वारा जारी प्रार्थी की अनन्तिम ज्योत्सवा सूची में जारी कर्मक में संशोधन कर पूर्वत आर्द्ध क्रमांक 719-सी स्थापन कर, क्योंकि यह निर्णयानुसार एवं विधिसंगत है तथा इसमें यन्त्र तरीके से परिवर्तन किया जाय माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेशों की अन्यायन होगी जिसके सिद्धे प्रार्थी को यह न्यायालय की राय देने के अधीनस्थ अन्य कोई विकल्प रहे नहीं कर जायेगा।







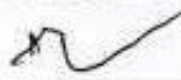
[illegible]

Done

row 2

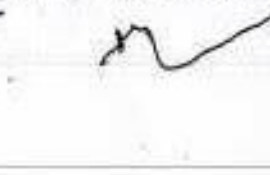
			अनुमोदन के उपरान्त विभाग द्वारा उत्तराखण्ड ज्योत्सना निवमावली 2002 की धारा 8(1) के अनुसार चयन संबंध निर्धारित करते हुए मेरा ज्योत्सना क्रमांक 938 अंतिम रूप से निर्धारित किया गया है। जिसे परिवर्तित किया जाने हेतु मेरे द्वारा अनुरोध किया जा रहा है। अतः अनुरोध है कि विभाग द्वारा नियमानुसार प्रख्यापित की गयी कनिष्ठ अभिवृत्त अंतिम ज्योत्सना सूची भाग-3 दिनांक 28.08.2019 में परिवर्तन न करने की कृपया करें। यदि में प्रार्थना पर पर अमल न किये जाने से मुझे आर्थिक नुकसान के साथ-साथ ज्योत्सना में भी नुकसान होगा। ये इस तरह मैं प्रार्थी को मजबूरन न्यायालय की शरण में जाने की बाध्यता देखी। जिससे विभाग द्वारा हेतु निम्न पूर्ण उत्तरदायित्व विभाग का होगा।
12	श्री. नमनीत कुमार रावरी/अभिषेक शिविल	निर्माण कार्य, संयोजक	1. उत्तराखण्ड शासन, देहरादून की संसुति पर लोक सेवा आयोग, हरिद्वार द्वारा उनके कार्यालय पत्रांक 27/08/ई-2/सो/नियोजि/का/अभि/पदा/2015-16 दिनांक 25.04.2017 से मेरा चयन कनिष्ठ अभिवृत्त पर पर धरन वर्ष 2015-16 हेतु किया गया। जिसके क्रम में उत्तराखण्ड शासन के पत्र संख्या 504/11(1)/17-18(अभि)/2011 दिनांक 02.05.2017 से प्राप्त निर्देशों के अनुपालन में विभागका कार्यालय के द्वारा संख्या 277/02043-समाप्त/17 दिनांक 03.05.2017 द्वारा चयन वर्षाव नियमित पदोन्नति के आदेश निर्गत किये गये। 2. उक्त के क्रम में विभागका कार्यालय के द्वारा संख्या 53/17 जय-सा/2019 दिनांक 18.01.2019 को कनिष्ठ अभिवृत्तों की अभिलेख ज्योत्सना सूची भाग-3 क्रमांक 558 से 1807 प्रख्यापित की गयी। उक्त ज्योत्सना सूची में प्रार्थी का क्रमांक 941 पर स्थान दिया गया था। उक्त निर्गत अभिलेख ज्योत्सना सूची पर अपडेट करने वाले हुए 36 अपर सहायक अभिवृत्तों की अपरिपूर्णा का निराकरण कर अंतिम ज्योत्सना सूची प्रख्यापित करते हुए मेरी ज्योत्सना क्रमांक 941 पर निर्धारित की जा चुकी थी। 3. महोदय शासक विभागीय प्रमुख नियमानुसार किसी भी वर्ग की ज्योत्सना सूची प्रकाश करने में अनिवार्य निर्गत की जाती है तथा कनिष्ठ अभिवृत्तों से अपडेट प्राप्त कर उनका निराकरण करते हुये ज्योत्सना सूची नियमानुसार जारी की जाती है। उदोपान्त नियमानुसार निर्गत की गई अंतिम ज्योत्सना सूची पर परिवर्तन किया जाना उचित प्रतीत नहीं होता है। 4. महोदय ज्योत्सना निर्धारण के तत्त्व में कृपया उत्तराखण्ड शासन, लोक निर्माण अनुभाग-1 के कार्यालय द्वारा संख्या 509/11(1)/18-19(अभि)/10 दिनांक 08 मई 2018 का संदर्भ ग्रहण करने का कृपया करें। जिसके द्वारा उत्तराखण्ड शासन स्तर से सहायक अभिवृत्त (शिथिल) की क्रमांक 381 से 488 तक (भाग-4) की अंतिम ज्योत्सना सूची प्रख्यापित की गई है। उक्त कार्यालय द्वारा के सिन्धु संख्या 3 में स्पष्ट रूप से उल्लेख है कि उत्तराखण्ड ज्योत्सना निवमावली 2002 में निर्मित अभिवृत्तों के अनुसार प्रसंगत ज्योत्सना सूची में पूर्व चयन वर्ष प्राप्त क्रमांकों को अपर रखा गया है। उक्त निर्गत ज्योत्सना सूची के क्रमांक 363(ए) से 430 एवं क्रमांक 432 पर अधिक कनिष्ठ/अपर सहायक अभिवृत्तों को उनकी निर्धारित नियुक्ति से पूर्व स्थिति का नियमानुसार चयन वर्ष निर्धारित होने के कारण उनकी ज्योत्सना में उत्तराखण्ड ज्योत्सना निवमावली 2002 की धारा 8(1) निर्मित अभिवृत्तों के अनुसार निर्धारित की गई है, जो कि पूर्णतया नियमविरुद्ध है। अतः अनुरोध है कि ज्योत्सना के निराकरण हेतु शासन द्वारा अन्याय या वीरि का भी प्रमाण प्रस्तुत किया जाय। (संलग्न-1) 5. महोदय प्रार्थी की शैक्षिक योग्यता, पदोन्नति हेतु सक्षम आवेदन किये जाने, अनुसूचन कोटे के अंतर्गत स्थित वर्गों एवं पदोन्नति हेतु स्थित सरसत योग्यताओं को ध्यान में रखते हुए शासन की संसुति एवं लोक सेवा आयोग के अनुमोदन के उपरान्त विभाग द्वारा उत्तराखण्ड ज्योत्सना निवमावली 2002 की धारा 8(1) के अनुसार चयन संबंध निर्धारित करते हुए मेरा ज्योत्सना क्रमांक 941 अंतिम रूप से निर्धारित किया गया है। जिसे परिवर्तित किया जाना नियमविरुद्ध नहीं है। 6. मुझे कनिष्ठ अभिवृत्त के पर पर धरन लोक सेवा आयोग के माध्यम से जो जारी है मेरे द्वारा वर्ष 2014 में उक्त पद आवेदन किया गया था किन्तु विभागीय निम्नतर के कारण आयोग द्वारा कोई भी प्रेषण की तिथि निर्धारित करने पर धरन ने जीपीसीडी 2017 में की गई। निम्न आयोग के अनुमोदन के इस पद तबित पर नियुक्त कर्मियों को हस्त ज्योत्सना दित जाना आवश्यक नहीं है जबकि का उक्त न्यायालय ने भी इस प्रकार समिदा पर नियुक्त करने के उपरान्त निर्धारित किया जाना उचित नहीं माना है। अतः अनुरोध है कि विभाग द्वारा नियमानुसार प्रख्यापित की गयी कनिष्ठ अभिवृत्त अंतिम ज्योत्सना सूची भाग-3 दिनांक 28.08.2019 में परिवर्तन न करने की कृपया करें। यदि में प्रार्थना पर पर अमल न किये जाने से मुझे आर्थिक/आर्थिक नुकसान के साथ-साथ ज्योत्सना में भी नुकसान होगा है तो, इस तरह मैं प्रार्थी को मजबूरन न्यायालय की शरण में जाने की बाध्यता देखी। जिससे विभाग द्वारा हेतु निम्न पूर्ण उत्तरदायित्व होगा।
13	श्री नमनीत सिंह रावरा	प्रतियोगिता, पीसी	1. उत्तराखण्ड शासन, देहरादून की संसुति पर लोक सेवा आयोग, हरिद्वार द्वारा उनके कार्यालय पत्रांक 27/08/ई-2/सो/नियोजि/का/अभि/पदा/2015-16 दिनांक 25.04.2017 से मेरा चयन कनिष्ठ अभिवृत्त पर पर धरन वर्ष 2015-16 हेतु किया गया। जिसके क्रम में उत्तराखण्ड शासन के पत्र संख्या 504/11(1)/17-18(अभि)/2011 दिनांक 02.05.2017 से प्राप्त निर्देशों के अनुपालन में विभागका कार्यालय के द्वारा संख्या 277/02043-समाप्त/17 दिनांक 03.05.2017 द्वारा चयन वर्षाव नियमित पदोन्नति के आदेश निर्गत किये गये। 2. उक्त के क्रम में विभागका कार्यालय के द्वारा संख्या 53/17 जय-सा/2019 दिनांक 18.01.2019 को कनिष्ठ अभिवृत्तों की अभिलेख ज्योत्सना सूची प्रख्यापित की गयी। उक्त ज्योत्सना सूची में प्रार्थी का क्रमांक 941 पर स्थान दिया गया था। उक्त निर्गत अभिलेख ज्योत्सना सूची पर अपडेट करने वाले हुए अभिवृत्तों की अपरिपूर्णा का निराकरण कर अंतिम ज्योत्सना सूची प्रख्यापित करते हुए मेरी ज्योत्सना क्रमांक 941 पर निर्धारित की जा चुकी थी। 3. महोदय शासक विभागीय प्रमुख नियमानुसार किसी भी वर्ग की ज्योत्सना सूची प्रकाश करने में अनिवार्य निर्गत की जाती है तथा कनिष्ठ अभिवृत्तों से अपडेट प्राप्त कर उनका निराकरण करते हुये ज्योत्सना सूची नियमानुसार जारी की जाती है। उदोपान्त नियमानुसार निर्गत की गई अंतिम ज्योत्सना सूची पर परिवर्तन किया जाना उचित प्रतीत नहीं होता है। 4. महोदय ज्योत्सना निर्धारण के तत्त्व में कृपया उत्तराखण्ड शासन, लोक निर्माण अनुभाग-1 के कार्यालय द्वारा संख्या 509/11(1)/18-19(अभि)/10 दिनांक 08 मई 2018 का संदर्भ ग्रहण करने का कृपया करें। जिसके द्वारा उत्तराखण्ड शासन स्तर से सहायक अभिवृत्त (शिथिल) की क्रमांक 381 से 488 तक (भाग-4) की अंतिम ज्योत्सना सूची प्रख्यापित की गई है। उक्त कार्यालय द्वारा के सिन्धु संख्या 3 में स्पष्ट रूप से उल्लेख है कि उत्तराखण्ड ज्योत्सना निवमावली 2002 में निर्मित अभिवृत्तों के अनुसार प्रसंगत ज्योत्सना सूची में पूर्व चयन वर्ष प्राप्त क्रमांकों को अपर रखा गया है। उक्त निर्गत ज्योत्सना सूची के क्रमांक 363(ए) से 430 एवं क्रमांक 432 पर अधिक कनिष्ठ/अपर सहायक अभिवृत्तों को उनकी निर्धारित नियुक्ति से पूर्व स्थिति का नियमानुसार चयन वर्ष निर्धारित होने के कारण उनकी ज्योत्सना में उत्तराखण्ड ज्योत्सना निवमावली 2002 की धारा 8(1) के अनुसार निर्धारित की गई है, जो कि पूर्णतया नियमविरुद्ध है। अतः अनुरोध है कि ज्योत्सना के निराकरण हेतु शासन द्वारा अन्याय या वीरि का भी प्रमाण प्रस्तुत किया जाय। 5. महोदय प्रार्थी की शैक्षिक योग्यता, पदोन्नति हेतु सक्षम आवेदन किये जाने, अनुसूचन कोटे के अंतर्गत स्थित वर्गों एवं पदोन्नति हेतु स्थित सरसत योग्यताओं को ध्यान में रखते हुए शासन की संसुति एवं लोक सेवा आयोग के अनुमोदन के उपरान्त विभाग द्वारा उत्तराखण्ड ज्योत्सना निवमावली 2002 की धारा 8(1) के अनुसार चयन संबंध निर्धारित करते हुए मेरा ज्योत्सना क्रमांक 941 अंतिम रूप से निर्धारित किया गया है। जिसे परिवर्तित किया जाना नियमविरुद्ध नहीं है। 6. महोदय चयन वर्ष के सम्बन्ध में विभागका कार्यालय के द्वारा संख्या 402/28 जय-समाप्त/18 दिनांक 20.05.2019 का भी संदर्भ लेते की कृपया करें जिसमें आयोग द्वारा आयोग से चयनित 17 कर्मियों का चयन वर्ष 2015-16 माना है। अतः अनुरोध है कि विभाग द्वारा नियमानुसार प्रख्यापित की गयी कनिष्ठ अभिवृत्त अंतिम ज्योत्सना सूची भाग-3 दिनांक 28.08.2019 में परिवर्तन न करने की कृपया करें। यदि में प्रार्थना पर पर अमल न किये जाने से मुझे आर्थिक/आर्थिक नुकसान के साथ-साथ ज्योत्सना में भी नुकसान होगा है तो, इस तरह मैं प्रार्थी को मजबूरन न्यायालय की शरण में जाने की बाध्यता देखी। जिससे विभाग द्वारा हेतु निम्न पूर्ण उत्तरदायित्व होगा।




क्र.सं.	अपशिष्टों का नाम / परमाणु	अन्य जल स्रोतों का नाम	अन्य जल स्रोतों का नाम	अपशिष्ट
10	श्री. बालक सुन्दर शर्मा		प्रादेशिक जल स्रोत	1. उत्तराखण्ड शासन, देहरादून की संसुति पर लोक सेवा आयोग, हरिद्वार द्वारा उनके कार्यलय परामर्श 27/08/15-2/10/निर्देश/क/अ/प/परी/2015-16 दिनांक 25.04.2017 से मेल बनाने के लिए अनिवार्य पद पर परामर्श 2015-16 में निम्न पदों के सापेक्ष एवं उत्तुल्यता के लिए अनिवार्य पद हेतु प्रार्थना को पूर्ण करने के उपरान्त ही किया गया। जिसके क्रम में उत्तराखण्ड शासन के पत्र संख्या 504/11(1)/17-10(अ/प/परी)/2011 दिनांक 02.05.2017 से प्राप्त निर्देशों के अनुपालन में विभाग द्वारा कार्यलय के पत्र संख्या 27/02/अ/अ-सामान्य/17 दिनांक 02.05.2017 द्वारा ज्ञान कर्मचारियों के अनिवार्य पदोन्नति के आदेश निर्गत किये गये। 2. उक्त के क्रम में विभाग द्वारा कार्यलय के पत्र संख्या 63/07 अ/अ-सामान्य/2019 दिनांक 18.01.2019 को अनिवार्य अनिवार्यताओं की अनिवार्य जल स्रोत सूची प्रकाशित की गयी। उक्त जल स्रोत सूची में प्रार्थी का क्रमांक 947 पर स्थान दिया गया था। उक्त निर्गत अनिवार्य जल स्रोत सूची पर आपत्ति करने वाले अनिवार्यताओं की आपत्तियों का निराकरण कर अनिवार्य जल स्रोत सूची प्रकाशित करते हुए नयी जल स्रोत सूची में प्रार्थी को भी स्थिति दी जा चुकी थी। 3. महोदय सामान्य विभागीय प्रवर्तित नियमानुसार किसी भी वर्ग की जल स्रोत सूची प्रथम परामर्श में अनिवार्य निर्गत की जाती है। आ सम्बन्धित कर्मियों से आपत्ति प्राप्त कर उनका निराकरण करते हुए जल स्रोत सूची नियमानुसार जारी की जाती है। उद्योगिक नियमानुसार निर्गत की गई अनिवार्य जल स्रोत सूची पर परीक्षण किया जाना उचित प्रतीत नहीं होता है। 4. महोदय जल स्रोत निर्धारण के सम्बन्ध में कृपया उत्तराखण्ड शासन, लोक निर्माण अनुभाग-1 के कार्यलय पत्र संख्या 504/11(1)/17-10(अ/प/परी)/10 दिनांक 08 मई 2018 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। जिसके द्वारा उत्तराखण्ड शासन सार से साक्ष्यक अभियन्ता (निविदा) की क्रमांक 31 से 48 तक (सामान्य-4) की अनिवार्य जल स्रोत सूची प्रकाशित की गई है। उक्त कार्यलय पत्र के बिन्दु संख्या 3 में स्पष्ट रूप से उल्लिखित है कि उत्तराखण्ड जल स्रोत नियमावली 2002 में निर्दिष्ट प्रविष्टियों के अनुसार प्रथम जल स्रोत सूची में पूर्ण परामर्श प्राप्त कर्मियों को उचित स्थान दिया गया है। उक्त निर्गत जल स्रोत सूची के क्रमांक 303(ए) से 430 एवं क्रमांक 432 पर उल्लिखित अनिवार्यताओं के अनिवार्यताओं को उनकी निविदा निविदा से पूर्ण दिशि का निमानुसार बनाने का निर्धारित होने के कारण उनको जल स्रोत सूची में उत्तराखण्ड जल स्रोत नियमावली 2002 की धारा 8(1) के अनुसार निर्धारित की गई है जो कि पूर्णतया निरवरोध है। आ अनुरोध है कि जल स्रोत सूची में निविदा हेतु शासन द्वारा अनिवार्य निर्गत की गई निति का भी संज्ञान अवगत किया जाय। 5. महोदय प्रार्थी की वैधिक योग्यता, पदोन्नति हेतु सक्षम आयोग किये जाने उत्तुल्यता के अन्तर्गत निम्न पदों पर पदोन्नति हेतु वांछित समस्त योग्यताओं को ध्यान में रखते हुए शासन की संसुति एवं लोक सेवा आयोग के अनुमोदन के उपरान्त विभाग द्वारा उत्तराखण्ड जल स्रोत नियमावली 2002 की धारा 8(1) के अनुसार बनाने का निर्धारित करते हुए नया जल स्रोत सूची 31 अनिवार्य रूप से निर्धारित किया गया है। जिसे परिवर्तित किया जाना निरवरोध नहीं है। 6. महोदय जल स्रोत के सम्बन्ध में विभाग द्वारा कार्यलय के पत्र संख्या 402/25 अ/अ-सामान्य/18 दिनांक 20.05.2019 का भी संज्ञान रखने की कृपया करें। जिसमें आदेश द्वारा आयोग से परामर्श 17 कर्मियों का पत्र संख्या 2015-16 बना है। अतः अनुरोध है कि विभाग द्वारा निमानुसार प्रकाशित की गयी अनिवार्यता अनिवार्य जल स्रोत सूची पत्र-3 दिनांक 28.06.2019 में परिवर्तन न करने की कृपया करें। यदि यह प्रार्थना पत्र पर अमल न किये जाने से जुड़े कर्मिक/आर्थिक नुकसान के साथ-साथ जल स्रोत सूची में भी नुकसान होता है तो, इस दस्तावे में प्रार्थी को नुकसान न्यायलय की शरण में जाने की सलाह देनी। जिस हेतु विभाग पूर्णतया उत्तरदायी होगा।
11	श्री. बालक सुन्दर शर्मा		प्रादेशिक जल स्रोत	1. उत्तराखण्ड शासन, देहरादून की संसुति पर लोक सेवा आयोग, हरिद्वार द्वारा उनके कार्यलय परामर्श 27/08/15-2/10/निर्देश/क/अ/प/परी/2015-16 दिनांक 25.04.2017 से मेल बनाने के लिए अनिवार्य पद पर परामर्श 2015-16 हेतु किया गया। जिसके क्रम में उत्तराखण्ड शासन के पत्र संख्या 504/11(1)/17-10(अ/प/परी)/2011 दिनांक 02.05.2017 से प्राप्त निर्देशों के अनुपालन में विभाग द्वारा कार्यलय के पत्र संख्या 27/02/अ/अ-सामान्य/17 दिनांक 02.05.2017 द्वारा ज्ञान कर्मचारियों के अनिवार्य पदोन्नति के आदेश निर्गत किये गये। 2. उक्त के क्रम में विभाग द्वारा कार्यलय के पत्र संख्या 63/07 अ/अ-सामान्य/2019 दिनांक 18.01.2019 को अनिवार्य अनिवार्यताओं की अनिवार्य जल स्रोत सूची प्रकाशित की गयी। उक्त जल स्रोत सूची में प्रार्थी का क्रमांक 944 पर स्थान दिया गया था। उक्त निर्गत अनिवार्य जल स्रोत सूची पर आपत्ति करने वाले ज्ञान कर्मचारियों के अनिवार्यताओं की आपत्तियों का निराकरण कर अनिवार्य जल स्रोत सूची प्रकाशित करते हुए नयी जल स्रोत सूची में प्रार्थी को भी स्थिति दी जा चुकी थी। 3. महोदय सामान्य विभागीय प्रवर्तित नियमानुसार किसी भी वर्ग की जल स्रोत सूची प्रथम परामर्श में अनिवार्य निर्गत की जाती है। आ सम्बन्धित कर्मियों से आपत्ति प्राप्त कर उनका निराकरण करते हुए जल स्रोत सूची नियमानुसार जारी की जाती है। उद्योगिक नियमानुसार निर्गत की गई अनिवार्य जल स्रोत सूची पर परीक्षण किया जाना उचित प्रतीत नहीं होता है। 4. महोदय, जल स्रोत निर्धारण के सम्बन्ध में कृपया उत्तराखण्ड शासन, लोक निर्माण अनुभाग-1 के कार्यलय पत्र संख्या 504/11(1)/17-10(अ/प/परी)/10 दिनांक 08 मई 2018 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। जिसके द्वारा उत्तराखण्ड शासन सार से साक्ष्यक अभियन्ता (निविदा) की क्रमांक 31 से 48 तक (सामान्य-4) की अनिवार्य जल स्रोत सूची प्रकाशित की गई है। उक्त कार्यलय पत्र के बिन्दु संख्या 3 में स्पष्ट रूप से उल्लिखित है कि उत्तराखण्ड जल स्रोत नियमावली 2002 में निर्दिष्ट प्रविष्टियों के अनुसार प्रथम जल स्रोत सूची में पूर्ण परामर्श प्राप्त कर्मियों को उचित स्थान दिया गया है। उक्त निर्गत जल स्रोत सूची के क्रमांक 303(ए) से 430 एवं क्रमांक 432 पर उल्लिखित अनिवार्यताओं के अनिवार्यताओं को उनकी निविदा निविदा से पूर्ण दिशि का निमानुसार बनाने का निर्धारित होने के कारण उनको जल स्रोत सूची में उत्तराखण्ड जल स्रोत नियमावली 2002 की धारा 8(1) निर्दिष्ट प्रविष्टियों के अनुसार निर्धारित की गई है जो कि पूर्णतया निरवरोध है। आ अनुरोध है कि जल स्रोत सूची में निविदा हेतु शासन द्वारा अनिवार्य निर्गत की गई निति का भी संज्ञान अवगत किया जाय। (संलग्न-1) 5. महोदय प्रार्थी की वैधिक योग्यता, पदोन्नति हेतु सक्षम आयोग किये जाने उत्तुल्यता के अन्तर्गत निम्न पदों पर पदोन्नति हेतु वांछित समस्त योग्यताओं को ध्यान में रखते हुए शासन की संसुति एवं लोक सेवा आयोग के अनुमोदन के उपरान्त विभाग द्वारा उत्तराखण्ड जल स्रोत नियमावली 2002 की धारा 8(1) के अनुसार बनाने का निर्धारित करते हुए नया जल स्रोत सूची 31 अनिवार्य रूप से निर्धारित किया गया है। जिसे परिवर्तित किया जाना निरवरोध नहीं है। 7. यदि कर्मिक अभियन्ता के पद पर बनाने लोक सेवा आयोग के सम्बन्ध में की जाती है तो द्वारा वर्ष 2014 में उक्त पर आदेश देया गया था किन्तु विभाग द्वारा शासन आयोग द्वारा कई दौरे पर आयोग की दिशि निर्धारित करने उपरान्त भी दौरे पर आयोग के अनुमोदन के इस पर खिददा पर नियुक्त कर्मियों को इनसे जल स्रोत दिया जाना न्यायोचित नहीं है, जबकि मात्र उक्त न्यायोचित में भी इस प्रकार खिददा पर नियुक्त करने के उपरान्त निरवरोध किया जाना उचित नहीं माना है। अतः अनुरोध है कि विभाग द्वारा निमानुसार प्रकाशित की गयी अनिवार्यता अनिवार्य जल स्रोत सूची पत्र-3 दिनांक 28.06.2019 में परिवर्तन न करने की कृपया करें। यदि यह प्रार्थना पत्र पर अमल न किये जाने से जुड़े कर्मिक/आर्थिक नुकसान के साथ-साथ जल स्रोत सूची में भी नुकसान होता है तो, इस दस्तावे में प्रार्थी को नुकसान न्यायलय की शरण में जाने की सलाह देनी। जिसके विभाग जिस हेतु विभाग पूर्णतया उत्तरदायी होगा।






क्र. सं.	आपत्तिकर्ता का नाम / पदनाम	अन्योन्या ज्ञेयता सूची का क्रमांक	परामर्श देने वाली कर्मिका का नाम	विवरण
18	श्री राजेश कुमार शर्मा		रचना सक्सेना श्री मार	1. लोक सेवा आयोग द्वारा प्रार्थी का चयन वर्ष उत्तराखण्ड शासन की संसुति के उपरान्त वर्ष 2011-12 विगत किया गया है तथा विभागका कार्यलय के डाटा रजिस्ट्रार 289/2009-समान/ 7 दिनांक 05.05.2017 द्वारा मेरे नियुक्ति पदोन्नति के अंदेश वचन वर्ष 2011-12 के लिए ही किये गये हैं। यहाँ यह भी स्पष्ट है कि लोक सेवा आयोग द्वारा चयन वर्ष निश्चित करने का अनुरोध उस वर्ष को ही जुलाई से 30 पूरा के रूप में करवा होना चाहिए। प्रार्थी की पदोन्नति त्रैमासिक कार्यलय के कार्यालय डाटा संख्या 851/20 धारा सम्बन्ध 2011 दिनांक 21 मार्च 2013 में की गई अंदेश वचन वर्ष 2011-12 होने चाहिए था तथा उस समय कोई के वर्तमान रिक्तियों के अनुसार ही पदोन्नति की गयी। तत्कालीन राज्य पदोन्नति के अधिनियम किसी भी कनिष्ठ अभियन्ताओं का विभाग में चयन नहीं किया गया था। जिस कारण प्रार्थी की ज्योत्स्ना का निर्धारण सितंबर 2011 में सीबी एमटी से नियुक्त कनिष्ठ अभियन्ताओं से पहले किया जाना आवश्यक होता। 2. प्रार्थी की पदोन्नति कनिष्ठ अभियन्ता के पद पर वर्ष 2011-12 में ही हुई है तथा प्रार्थी की पदोन्नति की स्थिति से ही कनिष्ठ अभियन्ता समिल के पा पर नियुक्त करवाया है। स्पष्ट है कि प्रार्थी की पदोन्नति की स्थिति से ही कनिष्ठ अभियन्ता के ज्योत्स्ना सूची सितंबर 2011 को सीबी एमटी से नियुक्त कनिष्ठ अभियन्ताओं से पहले नियुक्त होने का पात्र था किन्तु आपके द्वारा इस ओर ध्यान न देते हुए ज्योत्स्ना निर्धारण की गयी तथा उक्त सन्दर्भित अनुरोध ज्योत्स्ना सूची में भी उक्त कर्मिका बदलने " उत्तराखण्ड सरकारी लोक ज्योत्स्ना नियमावली 2002 " की धारा-8 का लम्बे उपयोग है। 3. मोदीय पूर्व में मैं 5 प्रतिशत कोट से पदोन्नति कनिष्ठ अभियन्ताओं की ज्योत्स्ना सूची हई आधार पर नियुक्ति की गयी थी, उदाहरणार्थ लोक सेवा आयोग के पत्रांक 163/2011-02 डीपीसीओ 12-13 दिनांक 13.01.2013 के द्वारा 5 प्रतिशत कोट के अनुरोध पदोन्नति (स्थायी) कनिष्ठ अभियन्ताओं के नियुक्ति पदोन्नति/विनिर्माणकल्प सहित विलम्बाई वर्ष 2013 में किया गया किन्तु आयोग द्वारा उक्त ज्योत्स्ना पदोन्नति कनिष्ठ अभियन्ताओं का चयन वर्ष 2011-12 ही किया किया गया तथा विभाग के द्वारा उन्हें वर्ष 2011 से पूर्व ज्योत्स्ना सूची में स्थान दिया गया है। ज्योत्स्ना सूची में क्रमांक 888 से 890 को आपके द्वारा इसी अनुक्रम ज्योत्स्ना दी गयी है। 4. मोदीय कुल अभियन्ताओं के द्वारा " PUBLIC SERVICE TRIBUNAL AT DEHRADUN Q.A.M PETITION-08/2002 BHAGWATI PRASAD NAUTYAL V/S STATE OF UTTARANCHAL " में खरीद निर्णय को स्वीकार बचाया जा रहा है जोकि सर्वोच्च न्यायालय में खड़े हैं क्योंकि वह निर्णय केवल उच्च न्यायाधीशों/प्रतिवेदी पर लागू होता है किन्तु जिन्हें यह निर्णय निर्गत किया गया है न कि उच्च न्यायाधीशों पर इसे नज़र के नीचे ला देना नहीं किया जा सकता है। ज्योत्स्ना के सम्बन्ध में देश के सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय को नज़र बना जाता है तथा देश के सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय पूरे देश के लिये बाध्य बन जाता है, जोकि सिद्ध संस्था 5 में निम्नलिखित है। 5. मोदीय उपरोक्त सम्बन्ध में यह भी अनुरोध करना है कि ज्योत्स्ना निर्धारण हेतु भारतीय राज्यपाल नागरिक के द्वारा या Direct Recruit Class I...vi State of Maharashtra And Ors on 2 May, 1990 के निर्णय क्रमांक 44 (I) (B), (C) व (D) में स्पष्ट अंदेश दिये गये हैं कि - 44- To sum up we hold that: (A) Once an incumbent is appointed to a post according to rule, his seniority has to be counted from the date of his appointment and not according to the date of his confirmation. The Corollary of the above rule is that where the initial appointment is only adhoc and not according to rules and made as a stop-gap arrangement, the officiation in such post cannot be taken into account for considering the seniority. (B) If the initial appointment is not made by following the procedure laid down by the rules but the appointee continues in the post uninterrupted till the regularization of his service in accordance with the rules, the period of officiating service will be counted. (C) When appointments are made from than one source, it is permissible to fix the ratio for recruitment from the different sources, and if rules are framed in this regard they must ordinarily be followed strictly. (D) If becomes impossible to adhere to the existing quota rule, it should be substituted by an appropriate rule to meet the needs of the situation. In case, however, the quota rule is not followed continuously for a number of years because it was impossible to do so the inference is irresistible that the quota rule had broken down.... 6. मोदीय विभाग द्वारा मेरे तत्काल पदोन्नति (पदोन्नति हेतु समाप्त औपचारिकताएं पूर्ण करने के पश्चात्) अर्थात् उस समय व्यवस्था अधिकारी, विभाग में नियुक्ति सेवा में पश्चात् शासनादेश के अनुसार उस पर हेतु 5 प्रतिशत आवंटित कोटा वैधानिक/तकनीकी योग्यता, ध्वन घाट तथा विशालीय डीपीसीओ के पत्रों के पश्चात् सभी नियमों का अनुपालन करते हुए चयन किया गया है, जो कि समस्त उच्चतम न्यायालय के उपरोक्त निर्णय क्रमांक 44 (I) के प्राग प्रस्ताव के अनुक्रम है। अंदेश को मा उच्चतम न्यायालय की वेबसाइट पर भी देखी जा सकता है। 7. तत्काल कर्मिकों की ज्योत्स्ना निर्धारण से सम्बंधित मा उच्चतम न्यायालय में दाखल अपील संख्या 3398 वर्ष 2006 एवं वर्तमान में मा उच्च न्यायालय नैनीताल द्वारा एलटीडी फोर टीएस से सम्बंधित का डिस्कस सिंह कुमार मामा स्टेट ऑफ उत्तराखण्ड में खरीद निर्णयानुसार भी तत्काल कर्मिकों की ज्योत्स्ना उसकी तरफ पा पा नियुक्ति की स्थिति से ही मान्य होगी। 8. उत्तराखण्ड लोक निर्माण विभाग अधिनियम अधिनियम (कनिष्ठ अभियन्ता शिक्षित, अधिकाधिक, विद्युत तथा खनिज) सेवा विभागाधी, 2004 के विन्यू-18 में स्पष्ट नियम है कि " यदि यहाँ के किसी वर्ष में नियुक्तिपूर्व सीबी एमटी और पदोन्नति दोनों द्वारा की जाय तो एक संयुक्त चयन सूची तैयार की जायेगी, जिसमें अधिकाधिक के नाम सुसुचारु सूचीयों से इस प्रकार लिखे जायेंगे कि विहित प्रतिशत बना रहे। सूची में फलाना नाम पदोन्नति द्वारा नियुक्त व्यक्ति का होगा " मैरी 03 यह के पक्षर दूसरी बार ज्योत्स्ना निर्धारण करने में इस प्रकार की कोई सूची बनाये जाने तथा अंतिम ज्योत्स्ना सूची प्रत्यक्षित किने जाने के बाद किसी भी कर्मिक की सीबी एमटी तथा पदोन्नति नहीं होने के उपरान्त भी बिना किसी सुरंगत नियम के अंतिम ज्योत्स्ना सूची प्रत्यक्षित कर ज्योत्स्ना क्रमांक बदलना उक्त सेवा नियमावली के नियमों के प्रतिकूल है। इस अनुरोध है कि आपके उत्तराखण्ड सन्दर्भित कार्यलय प्राप्त द्वारा जारी प्रार्थी की अंतिम ज्योत्स्ना सूची में जारी क्रमांक में संशोधन करते हुए प्रार्थी को नियमानुसार ज्योत्स्ना क्रमांक 661 से पूर्व तथा बाएँ, क्योंकि यह नियमानुसार एवं विधिमत है तथा हमारे महत्त्व तकके से संदर्भित किया जाना भारतीय सर्वोच्च न्यायालय के अंदेशों की अवधान होना। जिससे लिए प्रार्थी को मा न्यायालय की शरण लेने के अधिकृत अन्य कोई विकल्प सेवा नहीं रह जायेगा।

[illegible]

Amelia    

उत्तराखण्ड लोक निर्माण विभाग के अर्न्तगत कनिष्ठ अभियन्ता (सिविल) की कार्यालय ज्ञाप संख्या 1091/07 व्यघ-सा0/2019 दिनांक 13.12.2019 से जारी अनन्तिम ज्येष्ठता सूची हेतु निर्धारित समयान्तर्गत प्राप्त आवेदनों/आपत्तियों के निराकरण हेतु गठित समिति की आख्या/संस्तुति के आधार पर कनिष्ठ अभियन्ता (सिविल) की अन्तिम ज्येष्ठता सूची भाग- 03 क्रमांक 658 से 1020 तैयार कर प्रख्यापित की जा रही है।

ज्येष्ठता क्रमांक	लोक सेवा आयोग का क्रमांक	नाम (सर्व श्री/श्रीमती/कु0)	पिता का नाम (सर्व श्री)	पदनाम	जन्मतिथि	जाति	श्रेणी जिसके अर्न्तगत चयन हुआ है।	पोषक संवर्ग में मौलिक नियुक्ति की तिथि	पोषक संवर्ग का ज्येष्ठता क्रमांक	लोक सेवा आयोग का पत्रांक	कनिष्ठ अभियन्ता के पद पर विभाग में नियुक्ति/ पदोन्नति का पत्रांक	टिप्पणी
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
658	1	मुकेश रतूड़ी	विजेन्द्र दत्त रतूड़ी	कनिष्ठ अभियन्ता (सि0)	25.01.77	सामान्य	सामान्य / उ0रा0आन्दो0 आश्रित	—	—	1661/04/ई-2/2005-06 दिनांक 26.09.2011 संशोधित आदेश संख्या- 3193/04/ई-02/2005-06 दिनांक 12.03.2012	1458/28 व्यघ-सामान्य/2011 दिनांक 08.10.2011	
659	3	अजीत सिंह	हरपाल सिंह	कनिष्ठ अभियन्ता (सि0)	20.08.84	अनुसूचित जाति	सामान्य	—	—	1661/04/ई-2/2005-06 दिनांक 26.09.2011 संशोधित आदेश संख्या- 3193/04/ई-02/2005-06 दिनांक 12.03.2012	1504/28 व्यघ/7/2011 दिनांक 19.10.2011	
660	4	जाबिर अली	तौहिद अली	कनिष्ठ अभियन्ता (सि0)	12.04.86	सामान्य	सामान्य	—	—	1661/04/ई-2/2005-06 दिनांक 26.09.2011 संशोधित आदेश संख्या- 3193/04/ई-02/2005-06 दिनांक 12.03.2012	1458/28 व्यघ-सामान्य/2011 दिनांक 08.10.2011	
661	5	विनोद कुमार नौटियाल	महिमानन्द नौटियाल	कनिष्ठ अभियन्ता (सि0)	04.08.76	अ0पि0व0	सामान्य	—	—	1661/04/ई-2/2005-06 दिनांक 26.09.2011 संशोधित आदेश संख्या-3193/04/ई-02/2005-06 दिनांक 12.03.2012	1458/28 व्यघ-सामान्य/2011 दिनांक 08.10.2011	

Am
Q.12.11

ज्येष्ठता क्रमांक	लोक सेवा आयोग का क्रमांक	नाम (सर्व श्री/श्रीमती/श्री)	पिता का नाम (सर्व श्री)	पदनाम	जनतिथि	जाति	केवी जिसके अन्तर्गत चयन हुआ है।	पोषक चरण में शैक्षिक निपुणता की तिथि	पोषक चरण का ज्येष्ठता क्रमांक	लोक सेवा आयोग का पत्रांक	कनिष्ठ अभियन्ता के पद पर विमान में नियुक्ति/ पदोन्नति का पत्रांक	टिप्पणी
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
662	6	मुकेश कुमार	मूर्तिराम	कनिष्ठ अभियन्ता (सि०)	10.07.75	सामान्य	सामान्य	—	—	1661/04/ई-2/2005-06 दिनांक 26.09.2011 संशोधित आदेश संख्या- 3193/04/ई-02/2005-06 दिनांक 12.03.2012	1458/28 व्यध-सामान्य/2011 दिनांक 08.10.2011	आ० अभि० सेवा में सहाय-अभि० के पद पर दिनांक 12.09.13 नियुक्त होने पर स्थान-पत्र
663	7	अभिषेक चौहान	राजेश सिंह चौहान	कनिष्ठ अभियन्ता (सि०)	07.07.82	अ०भि०व०	सामान्य	—	—	1661/04/ई-2/2005-06 दिनांक 26.09.2011 संशोधित आदेश संख्या- 3193/04/ई-02/2005-06 दिनांक 12.03.2012	1458/28 व्यध-सामान्य/2011 दिनांक 08.10.2011	
664	8	मदन मोहन जोशी	नारायण दत्त जोशी	कनिष्ठ अभियन्ता (सि०)	01.02.81	सामान्य	सामान्य	—	—	1661/04/ई-2/2005-06 दिनांक 26.09.2011 संशोधित आदेश संख्या- 3193/04/ई-02/2005-06 दिनांक 12.03.2012	1458/28 व्यध-सामान्य/2011 दिनांक 08.10.2011	
665	9	प्रकाश चन्द	स्व० बालादत्त	कनिष्ठ अभियन्ता (सि०)	11.06.73	सामान्य	सामान्य	—	—	1661/04/ई-2/2005-06 दिनांक 26.09.2011 संशोधित आदेश संख्या- 3193/04/ई-02/2005-06 दिनांक 12.03.2012	1458/28 व्यध-सामान्य/2011 दिनांक 08.10.2011	
666	10	उमाशंकर कुकरेती	स्व० बृजमोहन कुकरेती	कनिष्ठ अभियन्ता (सि०)	28.01.77	सामान्य	सामान्य	—	—	1661/04/ई-2/2005-06 दिनांक 26.09.2011 संशोधित आदेश संख्या- 3193/04/ई-02/2005-06 दिनांक 12.03.2012	1458/28 व्यध-सामान्य/2011 दिनांक 08.10.2011	
667	11	राजेश सिंह	कानूराम	कनिष्ठ अभियन्ता (सि०)	10.03.78	अनु० जनजाति	अनु० जनजाति	—	—	1661/04/ई-2/2005-06 दिनांक 26.09.2011 संशोधित आदेश संख्या- 3193/04/ई-02/2005-06 दिनांक 12.03.2012	1458/28 व्यध-सामान्य/2011 दिनांक 08.10.2011	

(Handwritten signatures and marks)

ज्योत्सना कर्मचारी	लोक सेवा आयोग का क्रमिक	नाम (पति श्री/पत्नी /पुत्र)	पिता का नाम (पति श्री)	परिवार	जन्मतिथि	जाति	श्रेणी जिससे अर्जित किया हुआ है।	लोक सेवा में शैक्षणिक नियुक्ति की तिथि	लोक सेवा का क्रमिक	लोक सेवा आयोग का पत्रांक	कनिष्ठ अभियन्ता के पद पर दिनांक से नियुक्ति/ पदोन्नति का पत्रांक	टिप्पणी
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
668	13	शेषराज सिंह	वीरत सिंह	कनिष्ठ अभियन्ता (सि०)	22.08.74	सामान्य	सामान्य विकलांग (श्रवण ह्रास)	-	-	1661/04/ई-2/2005-06 दिनांक 26.09.2011 संशोधित आदेश संख्या- 3193/04/ई-02/2005-06 दिनांक 12.03.2012	1458/28- व्य-सामान्य/2011 दिनांक 08.10.2011	
669	14	छत्रपाल	रव० जगदाम	कनिष्ठ अभियन्ता (सि०)	04.01.86	अनुसूचित जाति	अनुसूचित जाति	-	-	1661/04/ई-2/2005-06 दिनांक 26.09.2011 संशोधित आदेश संख्या- 3193/04/ई-02/2005-06 दिनांक 12.03.2012	1458/28 व्य-सामान्य/2011 दिनांक 08.10.2011	
670	15	अजीत सिंह	भगवान दास	कनिष्ठ अभियन्ता (सि०)	10.03.69	अनुसूचित जाति	अनुसूचित जाति	-	-	1661/04/ई-2/2005-06 दिनांक 26.09.2011 संशोधित आदेश संख्या- 3193/04/ई-02/2005-06 दिनांक 12.03.2012	111/28 व्य-सा०/11 दिनांक 29.03.12	
671	16	लक्ष्मण राम	शंकर राम	कनिष्ठ अभियन्ता (सि०)	01.07.84	अनुसूचित जाति	अनुसूचित जाति	-	-	1661/04/ई-2/2005-06 दिनांक 26.09.2011 संशोधित आदेश संख्या- 3193/04/ई-02/2005-06 दिनांक 12.03.2012	1458/28 व्य-सामान्य/2011 दिनांक 08.10.2011	
672	17	सुनील कुमार	धनराम बाबे	कनिष्ठ अभियन्ता (सि०)	07.11.83	अनुसूचित जाति	अनुसूचित जाति	-	-	1661/04/ई-2/2005-06 दिनांक 26.09.2011 संशोधित आदेश संख्या- 3193/04/ई-02/2005-06 दिनांक 12.03.2012	1458/28 व्य-सामान्य/2011 दिनांक 08.10.2011	
673	18	अरुण कुमार	रव० जगदीश प्रसाद	कनिष्ठ अभियन्ता (सि०)	23.08.84	अनुसूचित जाति	अनुसूचित जाति	-	-	1661/04/ई-2/2005-06 दिनांक 26.09.2011 संशोधित आदेश संख्या- 3193/04/ई-02/2005-06 दिनांक 12.03.2012	1458/28 व्य-सामान्य/2011 दिनांक 08.10.2011	

[Signature]

[Signature]

वर्ष/वर्ग क्रमांक	लोक सेवा आयोग का क्रमांक	नाम (पद की/कीमती /रु०)	पिछ का नाम (पद की)	पदनाम	जन्मदिनि	जाति	शेष विवरण अर्जित वसु रु० है।	लोक सेवा में लोकिक पिगुडि की दिनि	लोक सर्व का वर्ष/वर्ग क्रमांक	लोक सेवा आयोग का पत्रांक	अपिच अभियन्ता के वर पर पिगुडि पिगुडि/ वरदीनि का पत्रांक	दिनकी
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
674	19	अनीता मण्डारी	मोहन सिंह मण्डारी	कनिष्ठ अभियन्ता (सि०)	29.05.64	सामान्य	सामान्य/ उत्तराखण्ड महिला	-	-	1661/04/ई-2/2005-06 दिनांक 26.09.2011 संशोधित आदेश संख्या- 3193/04/ई-02/2005-06 दिनांक 12.03.2012	1459/28 वस-सामान्य/2011 दिनांक 08.10.2011	
675	20	प्रदीप कुमार	उत्तरसिंह	कनिष्ठ अभियन्ता (सि०)	02.08.77	अनुसूचित जाति	अनुसूचित जाति	-	-	1661/04/ई-2/2005-06 दिनांक 26.09.2011 संशोधित आदेश संख्या- 3193/04/ई-02/2005-06 दिनांक 12.03.2012	1458/28 वस-सामान्य/2011 दिनांक 08.10.2011	
676	21	कुलेश सिंह	रामभरत सिंह राणा	कनिष्ठ अभियन्ता (सि०)	30.07.83	सामान्य	सामान्य/ उत्तराखण्ड आशित	-	-	1661/04/ई-2/2005-06 दिनांक 26.09.2011 संशोधित आदेश संख्या- 3193/04/ई-02/2005-06 दिनांक 12.03.2012	1456/28 वस-सामान्य/2011 दिनांक 08.10.2011	
677	22	वेद प्रकाश	शेष प्रकाश	कनिष्ठ अभियन्ता (सि०)	27.03.85	अनुसूचित जाति	अनुसूचित जाति	-	-	1661/04/ई-2/2005-06 दिनांक 26.09.2011 संशोधित आदेश संख्या- 3193/04/ई-02/2005-06 दिनांक 12.03.2012	1456/28 वस-सामान्य/2011 दिनांक 08.10.2011	
678	23	शरद कुमार टन्टा	मदन लाल टन्टा	कनिष्ठ अभियन्ता (सि०)	01.01.86	अनुसूचित जाति	अनुसूचित जाति	-	-	1661/04/ई-2/2005-06 दिनांक 26.09.2011 संशोधित आदेश संख्या- 3193/04/ई-02/2005-06 दिनांक 12.03.2012	1458/28 वस-सामान्य/2011 दिनांक 08.10.2011	
679	24	आदेश	सनेश्वर दयाल	कनिष्ठ अभियन्ता (सि०)	23.08.83	अनुसूचित जाति	अनुसूचित जाति	-	-	1661/04/ई-2/2005-06 दिनांक 26.09.2011 संशोधित आदेश संख्या- 3193/04/ई-02/2005-06 दिनांक 12.03.2012	1458/28 वस-सामान्य/2011 दिनांक 08.10.2011	

(Signature)

ज्योषिता क्रमांक	लोक सेवा अवधि का क्रमांक	नाम (सर्व श्री/ श्रीमती / कु)	पिता का नाम (सर्व श्री)	पदनाम	जन्मदिनांक	जाति	कैसी जिले के अन्तर्गत रहने हुआ है।	पोषक संवर्ग में नैतिक निष्ठा की दिशि	पोषक संवर्ग का ज्योषिता क्रमांक	लोक सेवा आयोग का पत्रांक	कनिष्ठ अभियन्ता के पद पर विद्यमान में निधुक्ति/ पदोन्नति का पत्रांक	टिप्पणी
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
680	25	सुधीर कुमार	रवि कन्हूल सिंह	कनिष्ठ अभियन्ता (सि०)	05.09.76	अनुसूचित जाति	अनुसूचित जाति	-	-	1661/04/ई-2/2005-06 दिनांक 26.09.2011 संशोधित आदेश संख्या- 3193/04/ई-02/2005-06 दिनांक 12.03.2012	1546/28 व्यघ-सामान्य/2011 दिनांक 03.11.2011	
681	27	आनन्द किशोर	कुन्दन लाल	कनिष्ठ अभियन्ता (सि०)	05.05.85	अनुसूचित जाति	अनुसूचित जाति	-	-	1661/04/ई-2/2005-06 दिनांक 26.09.2011 संशोधित आदेश संख्या- 3193/04/ई-02/2005-06 दिनांक 12.03.2012	1458/28 व्यघ-सामान्य/2011 दिनांक 08.10.2011	
682	28	प्रकाश राम	जोहार राम	कनिष्ठ अभियन्ता (सि०)	22.04.84	अनुसूचित जाति	अनुसूचित जाति	-	-	1661/04/ई-2/2005-06 दिनांक 26.09.2011 संशोधित आदेश संख्या- 3193/04/ई-02/2005-06 दिनांक 12.03.2012	1458/28 व्यघ-सामान्य/2011 दिनांक 08.10.2011	
683	29	सुनील कुमार	बिजेन्द्र कुमार	कनिष्ठ अभियन्ता (सि०)	20.07.83	अनुसूचित जाति	अनुसूचित जाति	-	-	1661/04/ई-2/2005-06 दिनांक 26.09.2011 संशोधित आदेश संख्या- 3193/04/ई-02/2005-06 दिनांक 12.03.2012	1458/28 व्यघ-सामान्य/2011 दिनांक 08.10.2011	
684	30	अतर सिंह	प्रवीन सिंह	कनिष्ठ अभियन्ता (सि०)	08.03.82	अनुसूचित जाति	अनुसूचित जाति	-	-	1661/04/ई-2/2005-06 दिनांक 26.09.2011 संशोधित आदेश संख्या- 3193/04/ई-02/2005-06 दिनांक 12.03.2012	1458/28 व्यघ-सामान्य/2011 दिनांक 08.10.2011	
685	31	महावीर लाल	दर्शन लाल	कनिष्ठ अभियन्ता (सि०)	11.02.85	अनुसूचित जाति	अनुसूचित जाति	-	-	1661/04/ई-2/2005-06 दिनांक 26.09.2011 संशोधित आदेश संख्या- 3193/04/ई-02/2005-06 दिनांक 12.03.2012	1458/28 व्यघ-सामान्य/2011 दिनांक 08.10.2011	

[Signature]

[Signature]

प्रवेष्टता क्रमांक	लोक सेवा आयोग का क्रमांक	नाम (सर्व श्री/श्रीमती/शु)	पिता का नाम (सर्व श्री)	पदनाम	जन्मतिथि	जाति	सेवा जिसके अन्तर्गत धनन हुआ है।	पोषक सर्वर में भौतिक नियुक्ति की तिथि	पोषक सर्वर का प्रवेष्टता क्रमांक	लोक सेवा आयोग का पत्रांक	कनिष्ठ अभियन्ता के पद पर दिनांक में नियुक्ति/ पदोन्नति का पत्रांक	दिनांक
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
686	32	मुकेश कुमार	महेन्द्र पाल	कनिष्ठ अभियन्ता (सि०)	30.03.82	अनुसूचित जाति	अनुसूचित जाति	-	-	1661/04/ई-2/2005-06 दिनांक 26.09.2011 संशोधित आदेश संख्या- 3193/04/ई-02/2005-06 दिनांक 12.03.2012	1458/28 व्यध-सामान्य/2011 दिनांक 08.10.2011	
687	33	पवन कुमार	प्रेम सिंह	कनिष्ठ अभियन्ता (सि०)	15.07.74	अनुसूचित जाति	अनुसूचित जाति	-	-	1661/04/ई-2/2005-06 दिनांक 26.09.2011 संशोधित आदेश संख्या- 3193/04/ई-02/2005-06 दिनांक 12.03.2012	1458/28 व्यध-सामान्य/2011 दिनांक 08.10.2011	
688	34	मान सिंह	मदन सिंह	कनिष्ठ अभियन्ता (सि०)	05.02.79	अनुसूचित जाति	अनुसूचित जाति	-	-	1661/04/ई-2/2005-06 दिनांक 26.09.2011 संशोधित आदेश संख्या- 3193/04/ई-02/2005-06 दिनांक 12.03.2012	1504/28 व्यध-सामान्य/2011 दिनांक 19.10.2011	
689	35	ध्वजवीर सिंह	दौलत सिंह	कनिष्ठ अभियन्ता (सि०)	20.06.85	अनु० जनजाति	अनु० जनजाति	-	-	1661/04/ई-2/2005-06 दिनांक 26.09.2011 संशोधित आदेश संख्या- 3193/04/ई-02/2005-06 दिनांक 12.03.2012	1458/28 व्यध-सामान्य/2011 दिनांक 08.10.2011	
690	36	रुमा भारद्वाज	अतुल मिश्रा	कनिष्ठ अभियन्ता (सि०)	01.03.84	सामान्य	सामान्य/ उत्तराखण्ड महिला	-	-	1661/04/ई-2/2005-06 दिनांक 26.09.2011 संशोधित आदेश संख्या- 3193/04/ई-02/2005-06 दिनांक 12.03.2012	1458/28 व्यध-सामान्य/2011 दिनांक 08.10.2011	
691	37	रुषा मण्डारी	मूपेन्द्र सिंह मण्डारी	कनिष्ठ अभियन्ता (सि०)	12.08.82	सामान्य	सामान्य/ उत्तराखण्ड महिला	-	-	1661/04/ई-2/2005-06 दिनांक 26.09.2011 संशोधित आदेश संख्या- 3193/04/ई-02/2005-06 दिनांक 12.03.2012	1458/28 व्यध-सामान्य/2011 दिनांक 08.10.2011	

Am

Edith

ज्येष्ठता क्रमांक	लोक सेवा आयोग का क्रमांक	नाम (सर्व श्री/श्रीमती/श्री)	पिता का नाम (सर्व श्री)	वदनाम	जन्मतिथि	जाति	क्रेमी जिससे अन्तर्गत वयन हुआ है।	पोषक संवर्न में मौलिक नियुक्ति की तिथि	पोषक संवर्न का प्रवेष्टा क्रमांक	लोक सेवा आयोग का पत्रांक	कनिष्ठ अभियन्ता के पद पर विभाग में नियुक्ति/ परीक्षा का पत्रांक	टिप्पणी
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
692	38	अनिल कुमार	सोमपाल	कनिष्ठ अभियन्ता (सि०)	30.06.83	अनुसूचित जाति	अनुसूचित जाति	-	-	1661/04/ई-2/2005-06 दिनांक 26.09.2011 संशोधित आदेश संख्या- 3193/04/ई-02/2005-06 दिनांक 12.03.2012	1458/28 व्यघ-सामान्य/2011 दिनांक 08.10.2011	
693	39	समीक्षा शर्मा	कै०के० शर्मा	कनिष्ठ अभियन्ता (सि०)	17.12.82	सामान्य	सामान्य/ उत्तराखण्ड महिला	-	-	1661/04/ई-2/2005-06 दिनांक 26.09.2011 संशोधित आदेश संख्या- 3193/04/ई-02/2005-06 दिनांक 12.03.2012	1458/28 व्यघ-सामान्य/2011 दिनांक 08.10.2011	
694	40	सोहन लाल	भरोसी लाल	कनिष्ठ अभियन्ता (सि०)	15.01.79	अनुसूचित जाति	अनुसूचित जाति	-	-	1661/04/ई-2/2005-06 दिनांक 26.09.2011 संशोधित आदेश संख्या- 3193/04/ई-02/2005-06 दिनांक 12.03.2012	1458/28 व्यघ-सामान्य/2011 दिनांक 08.10.2011	
695	41	अर्चना बंगवाल	भरोसी लाल बंगवाल	कनिष्ठ अभियन्ता (सि०)	17.08.84	सामान्य	सामान्य/ उत्तराखण्ड महिला	-	-	1661/04/ई-2/2005-06 दिनांक 26.09.2011 संशोधित आदेश संख्या- 3193/04/ई-02/2005-06 दिनांक 12.03.2012	1458/28 व्यघ-सामान्य/2011 दिनांक 08.10.2011	
696	42	वन्दना धर्मशक्तू	कालू सिंह धर्मशक्तू	कनिष्ठ अभियन्ता (सि०)	02.09.81	अनु० जनजाति	अनु० जनजाति/ उत्तराखण्ड महिला	-	-	1661/04/ई-2/2005-06 दिनांक 26.09.2011 संशोधित आदेश संख्या- 3193/04/ई-02/2005-06 दिनांक 12.03.2012	1458/28 व्यघ-सामान्य/2011 दिनांक 08.10.2011	
697	43	दीपक सिंह	प्रेम सिंह	कनिष्ठ अभियन्ता (सि०)	05.06.84	अनु० जनजाति	अनु० जनजाति	-	-	1661/04/ई-2/2005-06 दिनांक 26.09.2011 संशोधित आदेश संख्या- 3193/04/ई-02/2005-06 दिनांक 12.03.2012	1458/28 व्यघ-सामान्य/2011 दिनांक 08.10.2011	

Handwritten signatures and marks at the bottom of the page.

ज्येष्ठता क्रमांक	लोक सेवा आयोग का क्रमांक	नाम (सर्व श्री/श्रीमती/श्री)	पिता का नाम (सर्व श्री)	व्यवसाय	जन्मतिथि	जति	श्रेणी जिसके अन्तर्गत चयन हुआ है।	बोर्ड सर्वन में मौलिक नियुक्ति की तिथि	प्राथमिक सर्वन का ज्येष्ठता क्रमांक	लोक सेवा आयोग का पत्रांक	कनिष्ठ अभियन्ता के पद पर विभाजन में नियुक्ति/ परीक्षा का पत्रांक	टिप्पणी
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
698	44	दिनेश कुमार	प्रकाश चन्द	कनिष्ठ अभियन्ता (सि०)	15.05.79	अनुसूचित जाति	अनुसूचित जाति	—	—	1661/04/ई-2/2005-06 दिनांक 26.09.2011 संशोधित आदेश संख्या- 3193/04/ई-02/2005-06 दिनांक 12.03.2012	1458/28 व्यय-सामान्य/2011 दिनांक 08.10.2011	
699	45	सुन्दर सिंह	शेर सिंह	कनिष्ठ अभियन्ता (सि०)	04.06.81	अनु० जनजाति	अनु० जनजाति	—	—	1661/04/ई-2/2005-06 दिनांक 26.09.2011 संशोधित आदेश संख्या- 3193/04/ई-02/2005-06 दिनांक 12.03.2012	1458/28 व्यय-सामान्य/2011 दिनांक 08.10.2011	
700	46	शुक्वीर सिंह	अर्जुन सिंह	कनिष्ठ अभियन्ता (सि०)	05.08.80	अनु० जनजाति	अनु० जनजाति	—	—	1661/04/ई-2/2005-06 दिनांक 26.09.2011 संशोधित आदेश संख्या- 3193/04/ई-02/2005-06 दिनांक 12.03.2012	1458/28 व्यय-सामान्य/2011 दिनांक 08.10.2011	
701	47	अमर सिंह	मोहन सिंह	कनिष्ठ अभियन्ता (सि०)	17.10.77	अनुसूचित जाति	अनुसूचित जाति	—	—	1661/04/ई-2/2005-06 दिनांक 26.09.2011 संशोधित आदेश संख्या- 3193/04/ई-02/2005-06 दिनांक 12.03.2012	1458/28 व्यय-सामान्य/2011 दिनांक 08.10.2011	
702	49	सुरेन्द्र मोहन	कृपाल आर्य	कनिष्ठ अभियन्ता (सि०)	08.09.76	अनुसूचित जाति	अनुसूचित जाति	—	—	1661/04/ई-2/2005-06 दिनांक 26.09.2011 संशोधित आदेश संख्या- 3193/04/ई-02/2005-06 दिनांक 12.03.2012	180/28 व्यय-सामान्य/2012 दिनांक 30.04.2012	
703	52	मनीषा डोभाल	वी०पी० डोभाल	कनिष्ठ अभियन्ता (सि०)	18.08.81	सामान्य	सामान्य/उत्तराखण्ड महिला	—	—	1661/04/ई-2/2005-06 दिनांक 26.09.2011 संशोधित आदेश संख्या- 3193/04/ई-02/2005-06 दिनांक 12.03.2012	1458/28 व्यय-सामान्य/2011 दिनांक 08.10.2011	

Ans

Pls

ज्वेष्टता क्रमांक	लोक सेवा आयोग का क्रमांक	नाम (सर्व श्री/श्रीमती/श्री)	पिता का नाम (सर्व श्री)	पदनाम	जन्मतिथि	जाति	श्रेणी जिसके अन्तर्गत चयन हुआ है।	प्राथमिक संदर्भ से मौलिक निश्चित की तिथि	संयोजक संदर्भ का ज्वेष्टता क्रमांक	लोक सेवा आयोग का पत्रांक	कनिष्ठ अभियन्ता के पद पर विभाग में नियुक्ति/ पदोन्नति का पत्रांक	टिप्पणी
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
704	55	सत्येन्द्र पाल सिंह	ब्रह्मपाल सिंह	कनिष्ठ अभियन्ता (सि०)	01.06.80	अनुसूचित जाति	अनुसूचित जाति	—	—	1661/04/ई-2/2005-06 दिनांक 26.09.2011 संशोधित आदेश संख्या- 3193/04/ई-02/2005-06 दिनांक 12.03.2012	180/28 व्यघ-सामान्य/2012 दिनांक 30.04.2012	
705	56	पंकज कुमार	दुर्गा प्रसाद	कनिष्ठ अभियन्ता (सि०)	05.06.82	अनुसूचित जाति	अनुसूचित जाति	—	—	1661/04/ई-2/2005-06 दिनांक 26.09.2011 संशोधित आदेश संख्या- 3193/04/ई-02/2005-06 दिनांक 12.03.2012	180/28 व्यघ-सामान्य/2012 दिनांक 30.04.2012	
706	57	ललित मोहन	गुसाई राम	कनिष्ठ अभियन्ता (सि०)	02.03.80	अनुसूचित जाति	अनुसूचित जाति	—	—	1661/04/ई-2/2005-06 दिनांक 26.09.2011 संशोधित आदेश संख्या- 3193/04/ई-02/2005-06 दिनांक 12.03.2012	180/28 व्यघ-सामान्य/2012 दिनांक 30.04.2012	
707	58	बिरेन्द्र सिंह राणा	करम सिंह राणा	कनिष्ठ अभियन्ता (सि०)	08.06.83	अनु० जनजाति	अनु० जनजाति	—	—	1661/04/ई-2/2005-06 दिनांक 26.09.2011 संशोधित आदेश संख्या- 3193/04/ई-02/2005-06 दिनांक 12.03.2012	1458/28 व्यघ-सामान्य/2011 दिनांक 08.10.2011	
708	59	विवेक सिंह धर्मशक्तू	एस०आर० सिंह धर्मशक्तू	कनिष्ठ अभियन्ता (सि०)	30.06.81	अनु० जनजाति	अनु० जनजाति	—	—	1661/04/ई-2/2005-06 दिनांक 26.09.2011 संशोधित आदेश संख्या- 3193/04/ई-02/2005-06 दिनांक 12.03.2012	1458/28 व्यघ-सामान्य/2011 दिनांक 08.10.2011	
709	60	धनन्जय वर्मा	भीमराय वर्मा	कनिष्ठ अभियन्ता (सि०)	23.03.86	सामान्य	सामान्य/ कुशल खिलाड़ी	—	—	1661/04/ई-2/2005-06 दिनांक 26.09.2011 संशोधित आदेश संख्या- 3193/04/ई-02/2005-06 दिनांक 12.03.2012	1458/28 व्यघ-सामान्य/2011 दिनांक 08.10.2011	

Am *Am*

प्रवेशिका क्रमांक	लोक सेवा आयोग का क्रमांक	नाम (सर्वे श्री/श्रीमती /शुद्ध)	पिता का नाम (सर्वे श्री)	परनाम	जन्मतिथि	जाति	कौमी जिसके अन्तर्गत प्रवेश हूया है।	प्रवेशक सर्वर में शैक्षणिक निष्पत्ति की स्थिति	प्रवेशक सर्वर का लेखांक क्रमांक	लोक सेवा आयोग का पत्रांक	कनिष्ठ अभियन्ता के पद पर विभाग में निर्दिष्ट/ प्रदत्तता का पत्रांक	टिप्पणी
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
710	61	वीरेन्द्र सिंह	केशर सिंह	कनिष्ठ अभियन्ता (सि०)	05.01.81	अनु० जनजाति	अनु० जनजाति	-	-	1661/04/ई-2/2005-06 दिनांक 26.09.2011 संशोधित आदेश संख्या- 3193/04/ई-02/2005-06 दिनांक 12.03.2012	1458/28 व्यघ-सामान्य/2011 दिनांक 08.10.2011	
711	62	मोहन सिंह खम्पा	पान सिंह खम्पा	कनिष्ठ अभियन्ता (सि०)	03.02.84	अनु० जनजाति	अनु० जनजाति	-	-	1661/04/ई-2/2005-06 दिनांक 26.09.2011 संशोधित आदेश संख्या- 3193/04/ई-02/2005-06 दिनांक 12.03.2012	1458/28 व्यघ-सामान्य/2011 दिनांक 08.10.2011	
712	63	वन्दन सिंह पंवार	सूरत सिंह पंवार	कनिष्ठ अभियन्ता (सि०)	30.04.82	अनु० जनजाति	अनु० जनजाति	-	-	1661/04/ई-2/2005-06 दिनांक 26.09.2011 संशोधित आदेश संख्या- 3193/04/ई-02/2005-06 दिनांक 12.03.2012	1458/28 व्यघ-सामान्य/2011 दिनांक 08.10.2011	
713	64	ब्रह्मदत्त	मायासाम	कनिष्ठ अभियन्ता (सि०)	16.01.77	अनु० जनजाति	अनु० जनजाति	-	-	1661/04/ई-2/2005-06 दिनांक 26.09.2011 संशोधित आदेश संख्या- 3193/04/ई-02/2005-06 दिनांक 12.03.2012	215/28 व्यघ-सा०/12 दिनांक 11.05.12	
714	66	सुरेश सिंह	स्व० भगत सिंह मर्तोसिया	कनिष्ठ अभियन्ता (सि०)	24.07.79	अनु०जनजाति	अनु०जनजाति	-	-	1661/04/ई-2/2005-06 दिनांक 26.09.2011 संशोधित आदेश संख्या- 3193/04/ई-02/2005-06 दिनांक 12.03.2012	180/28 व्यघ-सामान्य/2012 दिनांक 30.04.2012	
715	68	पूजा श्रेष्ठ	कृष्णगोपाल	कनिष्ठ अभियन्ता (सि०)	08.09.84	अनुसूचित जाति	अनुसूचित जाति / छात्रमहिला	-	-	1661/04/ई-2/2005-06 दिनांक 26.09.2011 संशोधित आदेश संख्या- 3193/04/ई-02/2005-06 दिनांक 12.03.2012	1458/28 व्यघ-सामान्य/2011 दिनांक 08.10.2011	

प्रदर्शक क्रमांक	लोक सेवा आयोग का क्रमांक	नाम (सर्व श्री/श्रीमती /कुल)	पिता का नाम (सर्व श्री)	पदनाम	जन्मतिथि	जाति	वर्ग जिसके अन्तर्गत वर्ण हुआ है।	पोषक संवर्ग में मौलिक नियुक्ति की तिथि	पोषक संवर्ग का लोभता क्रमांक	लोक सेवा आयोग का पत्रांक	कनिष्ठ अभियन्ता के पद पर विभाजन में नियुक्ति/ पदोन्नति का पत्रांक	टिप्पणी
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
716	69	मोनिका आर्या	पारस नाथ	कनिष्ठ अभियन्ता (सि०)	28.11.85	अनुसूचित जाति	अनुसूचित जाति/ उ०महिला	-	-	1661/04/ई-2/2005-06 दिनांक 26.09.2011 संशोधित आदेश संख्या- 3193/04/ई-02/2005-06 दिनांक 12.03.2012	1458/28 व्यध-सामान्य/2011 दिनांक 08.10.2011	
717		मदन सिंह बैसोड़ा	स्व० प्रताप सिंह	कनिष्ठ अभियन्ता (सि०)	08.11.60	सामान्य	सामान्य	-	-		शासनादेश संख्या- 966/111(1)/12-02 (सि०)/2012 दिनांक 14.08.2012 के क्रम में प्रमुख अभियन्ता कार्यालय लो०नि०वि० के पत्र संख्या-533/09 व्यध-सा०/05 दिनांक 22.08.12 के द्वारा समायोजित	
718	1	कमल सिंह बिष्ट	डी०एस० बिष्ट	कनिष्ठ अभियन्ता (सि०)	17.07.83	सामान्य	सामान्य	-	-	1653/02 ई०-02/डी०पी०सी०-12/13 दिनांक 10.01.13	422/20व्यध-30/02 दिनांक 09.05.02 द्वारा तदर्थ नियुक्त	
719	2	बालम सिंह जनी	तेज सिंह जनी	कनिष्ठ अभियन्ता (सि०)	25.11.69	सामान्य	सामान्य	-	-	1653/02 ई०-02/डी०पी०सी०-12/13 दिनांक 10.01.13	83/28 व्यध-सा०/05 दिनांक 18.01.06 द्वारा तदर्थ नियुक्त	
720	3	सुनील कुमार सिंह	स्व० भरत सिंह वर्मा	कनिष्ठ अभियन्ता (सि०)	11.02.67	अन्य पिछड़ा वर्ग	सामान्य	-	-	1653/02 ई०-02/डी०पी०सी०-12/13 दिनांक 10.01.13	83/28 व्यध-सा०/05 दिनांक 18.01.06 द्वारा तदर्थ नियुक्त	

[Handwritten signatures and marks]

ज्योत्सना क्रमांक	लोक सेवा कायदा का क्रमांक	नाम (श्री/श्रीमती/कुल)	पिता का नाम (श्री/श्री)	पदनाम	जनमतिथि	जाति	वेणी जिसके अन्तर्गत वर्णन हुआ है।	पोषक संवर्ग में मौलिक नियुक्ति की तिथि	पोषक संवर्ग का ज्योत्सना क्रमांक	लोक सेवा कायदा का पत्रांक	कनिष्ठ अभियन्ता के बंद पर विमान में नियुक्ति/ पदोन्नति का स्तर	टिप्पणी
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
721	1	रवीन्द्र डिमरी	राजेंद्र प्रसाद	कनिष्ठ अभियन्ता (सि०)	25.07.86	सामान्य	सामान्य	—	—	106/12/ई०-2/11-12 दिनांक 24.07.13	723/28 व्य-सामान्य/13 दिनांक 01.08.2013	
722	2	कुलदीर सिंह	मगवान सिंह	कनिष्ठ अभियन्ता (सि०)	15.05.89	सामान्य	सामान्य	—	—	106/12/ई०-2/11-12 दिनांक 24.07.13	723/28 व्य-सामान्य/13 दिनांक 01.08.2013	
723	3	दीपक चन्द्र तिवारी	मगवानन्द तिवारी	कनिष्ठ अभियन्ता (सि०)	24.05.90	सामान्य	सामान्य	—	—	106/12/ई०-2/11-12 दिनांक 24.07.13	723/28 व्य-सामान्य/13 दिनांक 01.08.2013	
724	4	अजय डोबरियाल	मनमोहन प्रसाद	कनिष्ठ अभियन्ता (सि०)	25.03.89	सामान्य	सामान्य	—	—	106/12/ई०-2/11-12 दिनांक 24.07.13	723/28 व्य-सामान्य/13 दिनांक 01.08.2013	
725	5	तकदीर सिंह	बलजीत सिंह	कनिष्ठ अभियन्ता (सि०)	19.01.90	सामान्य	सामान्य	—	—	106/12/ई०-2/11-12 दिनांक 24.07.13	723/28 व्य-सामान्य/13 दिनांक 01.08.2013	
726	6	हेमन्त कुमार पाठक	देवीदत्त पाठक	कनिष्ठ अभियन्ता (सि०)	10.08.87	सामान्य	सामान्य	—	—	106/12/ई०-2/11-12 दिनांक 24.07.13	723/28 व्य-सामान्य/13 दिनांक 01.08.2013	
727	7	दीपक सिंह	मदन कुमार	कनिष्ठ अभियन्ता (सि०)	08.02.88	सामान्य	सामान्य	—	—	106/12/ई०-2/11-12 दिनांक 24.07.13	723/28 व्य-सामान्य/13 दिनांक 01.08.2013	
728	8	नवीन गैरोला	सबो गिरजा शंकर गैरोला	कनिष्ठ अभियन्ता (सि०)	05.07.86	सामान्य	सामान्य	—	—	106/12/ई०-2/11-12 दिनांक 24.07.13	723/28 व्य-सामान्य/13 दिनांक 01.08.2013	

Handwritten signatures and marks at the bottom of the page.

जोधरा कमांक	लोक सेवा आयोग का कमांक	नाम (सर्व स्त्री/श्रीमती /श्री)	पिता का नाम (सर्व स्त्री)	पदनाम	जन्मतिथि	जाति	क्षेत्र जिसके अन्तर्गत रहने हुआ है।	पोषक सचिव में मौलिक निपुणता की स्थिति	पोषक सचिव का जोधरा कमांक	लोक सेवा आयोग का पत्रांक	कनिष्ठ अभियन्ता के पद पर विभाग में निपुणता/ पदोन्नति का पत्रांक	टिप्पणी
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
729	9	मोहित कौठारी	जगदम्बा दत्ता कौठारी	कनिष्ठ अभियन्ता (सि०)	28.06.89	सामान्य	सामान्य	-	-	106/12/ई०-2/11-12 दिनांक 24.07.13	723/28 व्यघ-सामान्य/13 दिनांक 01.08.2013	
730	10	गौरव जुयाल	राजेश प्रसाद जुयाल	कनिष्ठ अभियन्ता (सि०)	10.06.90	सामान्य	सामान्य	-	-	106/12/ई०-2/11-12 दिनांक 24.07.13	723/28 व्यघ-सामान्य/13 दिनांक 01.08.2013	
731	11	प्रमोद सिंह नेमी	कर्ण सिंह नेमी	कनिष्ठ अभियन्ता (सि०)	11.11.89	सामान्य	सामान्य	-	-	106/12/ई०-2/11-12 दिनांक 24.07.13	723/28 व्यघ-सामान्य/13 दिनांक 01.08.2013	
732	12	हर्देश कुमार	विजय माल सिंह	कनिष्ठ अभियन्ता (सि०)	15.01.74	सामान्य	सामान्य	-	-	106/12/ई०-2/11-12 दिनांक 24.07.13	723/28 व्यघ-सामान्य/13 दिनांक 01.08.2013	
733	13	राजेश सिंह रावत	सिमरु सिंह रावत	कनिष्ठ अभियन्ता (सि०)	13.05.84	सामान्य	सामान्य	-	-	106/12/ई०-2/11-12 दिनांक 24.07.13	787/28 व्यघ-सा०/13 दिनांक 30.08.2013	
734	14	प्रदीप कुमार सेमवाल	रव० अनुसूय्या प्रसाद सेमवाल	कनिष्ठ अभियन्ता (सि०)	05.06.75	सामान्य	सामान्य	-	-	106/12/ई०-2/11-12 दिनांक 24.07.13	723/28 व्यघ-सामान्य/13 दिनांक 01.08.2013	
735	15	विष्णु	राजपाल सिंह	कनिष्ठ अभियन्ता (सि०)	15.06.90	अनुसूचित जाति	सामान्य	-	-	106/12/ई०-2/11-12 दिनांक 24.07.13	723/28 व्यघ-सामान्य/13 दिनांक 01.08.2013	
736	16	अरुण सिंह राणा	राजवीर सिंह राणा	कनिष्ठ अभियन्ता (सि०)	17.07.89	सामान्य	सामान्य	-	-	106/12/ई०-2/11-12 दिनांक 24.07.13	723/28 व्यघ-सामान्य/13 दिनांक 01.08.2013	
737	17	राहुल गुप्ता	विजय कुमार गुप्ता	कनिष्ठ अभियन्ता (सि०)	14.12.78	सामान्य	सामान्य	-	-	106/12/ई०-2/11-12 दिनांक 24.07.13	723/28 व्यघ-सामान्य/13 दिनांक 01.08.2013	

(Handwritten signatures and marks)

ज्योत्सना क्रमांक	लोक सेवा आयोग का क्रमांक	नाम (सर्व श्री/श्रीमती/शुभ)	पिता का नाम (सर्व श्री)	परनाम	जन्मतिथि	व्यक्ति	श्रेणी जिसके अन्तर्गत चयन हुआ है।	पोषक संदर्भ में मौलिक विनिर्दिष्ट की स्थिति	पोषक समर्पण का ज्योत्सना क्रमांक	लोक सेवा आयोग का पत्रांक	कनिष्ठ अभियन्ता के पद पर विभाग में नियुक्ति/ परीक्षा का पत्रांक	दिनांक
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
738	18	मौजू इकराम	मुन्कैत अली	कनिष्ठ अभियन्ता (सि०)	05.06.83	अ०पि०व०	सामान्य	—	—	106/12/ई०-2/11-12 दिनांक 24.07.13	723/28 व्यप-सामान्य/13 दिनांक 01.08.2013	
739	19	सन्दीप प्रकाश घस्माना	हरीश चन्द कस्माना	कनिष्ठ अभियन्ता (सि०)	09.04.86	सामान्य	सामान्य	—	—	106/12/ई०-2/11-12 दिनांक 24.07.13	723/28 व्यप-सामान्य/13 दिनांक 01.08.2013	
740	20	मनीष वर्मा	उदय लाल वर्मा	कनिष्ठ अभियन्ता (सि०)	22.11.84	अ०पि०व०	सामान्य	—	—	106/12/ई०-2/11-12 दिनांक 24.07.13	723/28 व्यप-सामान्य/13 दिनांक 01.08.2013	
741	21	पंकज तियाड़ी	स्व० सुरेन्द्र वल्ल तियाड़ी	कनिष्ठ अभियन्ता (सि०)	19.11.86	सामान्य	सामान्य	—	—	106/12/ई०-2/11-12 दिनांक 24.07.13	723/28 व्यप-सामान्य/13 दिनांक 01.08.2013	
742	22	राजेश पैतौला	मदन मोहन पैतौला	कनिष्ठ अभियन्ता (सि०)	02.01.90	अ०पि०व०	सामान्य	—	—	106/12/ई०-2/11-12 दिनांक 24.07.13	723/28 व्यप-सामान्य/13 दिनांक 01.08.2013	
743	25	रवीन्द्र सिंह मेहरा	भगवान सिंह मेहरा	कनिष्ठ अभियन्ता (सि०)	15.07.73	सामान्य	सामान्य	—	—	106/12/ई०-2/11-12 दिनांक 24.07.13	723/28 व्यप-सामान्य/13 दिनांक 01.08.2013	
744	26	गौरव बिष्ट	जसोद सिंह	कनिष्ठ अभियन्ता (सि०)	19.06.89	सामान्य	सामान्य	—	—	106/12/ई०-2/11-12 दिनांक 24.07.13	723/28 व्यप-सामान्य/13 दिनांक 01.08.2013	
745	27	शशी प्रकाश	सुभाष चन्द्र	कनिष्ठ अभियन्ता (सि०)	20.07.89	सामान्य	सामान्य	—	—	106/12/ई०-2/11-12 दिनांक 24.07.13	723/28 व्यप-सामान्य/13 दिनांक 01.08.2013	

(Handwritten signatures)

प्लेष्ठता क्रमांक	लोक सेवा आयोग का क्रमांक	नाम (श्री/श्री/श्रीमती/सुनु)	पिता का नाम (श्री/श्री)	पदनाम	जन्मतिथि	व्यक्ति	श्रेणी जिससे अन्तर्गत व्यक्त हुआ है।	पोषक संवर्ग में मौलिक नियुक्ति की तिथि	पोषक संवर्ग का प्लेष्ठता क्रमांक	लोक सेवा आयोग का पत्रांक	कनिष्ठ अभियन्ता के पद पर विभाज्य में नियुक्ति/ परीक्षा का पत्रांक	टिप्पणी
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
746	28	नाजिम हुसैन	मोहम्मद फारुक	कनिष्ठ अभियन्ता (सि०)	15.03.90	सामान्य	सामान्य	—	—	106/12/ई०-2/11-12 दिनांक 24.07.13	723/28 व्य-सामान्य/13 दिनांक 01.08.2013	
747	29	गोविन्द सिंह महारा	बिशन सिंह	कनिष्ठ अभियन्ता (सि०)	04.11.74	सामान्य	सामान्य	—	—	106/12/ई०-2/11-12 दिनांक 24.07.13	723/28 व्य-सामान्य/13 दिनांक 01.08.2013	
748	30	विनोद चन्द्र पाण्डेय	शंकर दत्त पाण्डेय	कनिष्ठ अभियन्ता (सि०)	18.06.80	सामान्य	सामान्य	—	—	106/12/ई०-2/11-12 दिनांक 24.07.13	723/28 व्य-सामान्य/13 दिनांक 01.08.2013	
749	31	जयपाल सिंह दोसाद	नरेन्द्र सिंह दोसाद	कनिष्ठ अभियन्ता (सि०)	12.05.85	सामान्य	सामान्य	—	—	106/12/ई०-2/11-12 दिनांक 24.07.13	723/28 व्य-सामान्य/13 दिनांक 01.08.2013	
750	32	मनोज सिंह	दीवान सिंह	कनिष्ठ अभियन्ता (सि०)	23.03.84	सामान्य	सामान्य	—	—	106/12/ई०-2/11-12 दिनांक 24.07.13	723/28 व्य-सामान्य/13 दिनांक 01.08.2013	
751	33	शैलेन्द्र पाण्डेय	लौलाधर पाण्डेय	कनिष्ठ अभियन्ता (सि०)	01.05.79	सामान्य	सामान्य	—	—	106/12/ई०-2/11-12 दिनांक 24.07.13	723/28 व्य-सामान्य/13 दिनांक 01.08.2013	
752	35	मनमोहन सिंह	आनन्द सिंह	कनिष्ठ अभियन्ता (सि०)	10.07.85	सामान्य	सामान्य	—	—	106/12/ई०-2/11-12 दिनांक 24.07.13	723/28 व्य-सामान्य/13 दिनांक 01.08.2013	
753	36	हरीश प्रसाद	मरत राम	कनिष्ठ अभियन्ता (सि०)	23.07.72	सामान्य	सामान्य	—	—	106/12/ई०-2/11-12 दिनांक 24.07.13	723/28 व्य-सामान्य/13 दिनांक 01.08.2013	
754	38	जगमोहन सिंह	नरेन्द्र सिंह	कनिष्ठ अभियन्ता (सि०)	28.03.83	सामान्य	सामान्य	—	—	106/12/ई०-2/11-12 दिनांक 24.07.13	723/28 व्य-सामान्य/13 दिनांक 01.08.2013	

ज्येष्ठता क्रमांक	लोक सेवा आयोग का क्रमांक	नाम (सर्व श्री/श्रीमती/शुभे)	पिता का नाम (सर्व श्री)	पदनाम	जन्मतिथि	वर्गी	श्रेणी जिसके अन्तर्गत वर्गन हुआ है।	पोषक संवर्ग में मौलिक नियुक्ति की तिथि	पोषक संवर्ग का ज्येष्ठता क्रमांक	लोक सेवा आयोग का पत्रांक	कनिष्ठ अभियन्ता के पद पर विस्थापन में नियुक्ति/ पदोन्नति का पत्रांक	टिप्पणी
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
755	39	अजेन्द्र सिंह	मदन सिंह	कनिष्ठ अभियन्ता (सि०)	20.06.80	सामान्य	सामान्य	-	-	106/12/ई०-2/11-12 दिनांक 24.07.13	723/28 व्यध-सामान्य/13 दिनांक 01.08.2013	
756	40	कमलेश ममगाई	सीताराम ममगाई	कनिष्ठ अभियन्ता (सि०)	14.08.82	सामान्य	सामान्य	-	-	106/12/ई०-2/11-12 दिनांक 24.07.13	723/28 व्यध-सामान्य/13 दिनांक 01.08.2013	
757	41	प्रदीप खनसारी	दिनेश चन्द्र	कनिष्ठ अभियन्ता (सि०)	03.12.88	सामान्य	सामान्य	-	-	106/12/ई०-2/11-12 दिनांक 24.07.13	723/28 व्यध-सामान्य/13 दिनांक 01.08.2013	
758	42	प्रदीप ममगाई	मणिराम ममगाई	कनिष्ठ अभियन्ता (सि०)	25.06.81	सामान्य	सामान्य	-	-	106/12/ई०-2/11-12 दिनांक 24.07.13	723/28 व्यध-सामान्य/13 दिनांक 01.08.2013	
759	43	हेमन्त कुमार नौटियाल	नारायण नौटियाल	कनिष्ठ अभियन्ता (सि०)	01.07.81	सामान्य	सामान्य	-	-	106/12/ई०-2/11-12 दिनांक 24.07.13	723/28 व्यध-सामान्य/13 दिनांक 01.08.2013	
760	44	दीपक सिंह सामन्त	शकर सिंह सामन्त	कनिष्ठ अभियन्ता (सि०)	22.06.84	सामान्य	सामान्य	-	-	106/12/ई०-2/11-12 दिनांक 24.07.13	723/28 व्यध-सामान्य/13 दिनांक 01.08.2013	
761	45	अवतार सिंह	रमेश गौरवीर सिंह	कनिष्ठ अभियन्ता (सि०)	20.11.72	अ0पि०व०	सामान्य	-	-	106/12/ई०-2/11-12 दिनांक 24.07.13	723/28 व्यध-सामान्य/13 दिनांक 01.08.2013	
762	46	अशोक कुमार	बाबूराम	कनिष्ठ अभियन्ता (सि०)	01.01.69	अ0पि०व०	सामान्य	-	-	106/12/ई०-2/11-12 दिनांक 24.07.13	723/28 व्यध-सामान्य/13 दिनांक 01.08.2013	
763	47	ओमप्रकाश सेमवाल	रमेश चन्द्र सेमवाल	कनिष्ठ अभियन्ता (सि०)	18.08.89	सामान्य	सामान्य	-	-	106/12/ई०-2/11-12 दिनांक 24.07.13	723/28 व्यध-सामान्य/13 दिनांक 01.08.2013	

ज्येष्ठता क्रमांक	लोक सेवा आयोग का क्रमांक	नाम (सर्व श्री/श्रीमती/कुं)	पिता का नाम (सर्व श्री)	पदनाम	जन्मतिथि	जाति	बेगी जिसके अन्तर्गत वर्ण हुआ है।	लोक संघर्ष में भौतिक निर्युक्ति की स्थिति	लोक संघर्ष का ज्येष्ठता क्रमांक	लोक सेवा आयोग का पत्रांक	कनिष्ठ अभियन्ता के पद पर विभाग में नियुक्ति/ पदोन्नति का पत्रांक	टिप्पणी
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
764	48	सैयद लोक्मैस आलम	सईद सिफाउल हक	कनिष्ठ अभियन्ता (सि०)	15.08.83	सामान्य	सामान्य	—	—	106/12/ई०-2/11-12 दिनांक 24.07.13	723/28 व्यघ-सामान्य/13 दिनांक 01.08.2013	
765	49	मनोज कुमार राठौर	मकली सिंह	कनिष्ठ अभियन्ता (सि०)	04.03.86	अ०पि०व०	सामान्य/ विकलांग	—	—	106/12/ई०-2/11-12 दिनांक 24.07.13	723/28 व्यघ-सामान्य/13 दिनांक 01.08.2013	
766	50	मौ० इस्लाम	इन्तज़ार हुसैन	कनिष्ठ अभियन्ता (सि०)	15.06.83	अ०पि०व०	सामान्य	—	—	106/12/ई०-2/11-12 दिनांक 24.07.13	723/28 व्यघ-सामान्य/13 दिनांक 01.08.2013	
767	51	सन्तोष कुमार	योगेश्वर प्रसाद भारद्वाज	कनिष्ठ अभियन्ता (सि०)	05.07.84	सामान्य	सामान्य	—	—	106/12/ई०-2/11-12 दिनांक 24.07.13	787/28 व्यघ-सामान्य/13 दिनांक 30.08.2013	
768	52	हरीश चन्द्र विजल्लान	पूर्णानन्द	कनिष्ठ अभियन्ता (सि०)	08.07.78	सामान्य	सामान्य	—	—	106/12/ई०-2/11-12 दिनांक 24.07.13	723/28 व्यघ-सामान्य/13 दिनांक 01.08.2013	
769	54	नरेन्द्र कुमार डंडरियाल	शुबनेश्वर प्रसाद डंडरियाल	कनिष्ठ अभियन्ता (सि०)	12.06.82	सामान्य	सामान्य	—	—	106/12/ई०-2/11-12 दिनांक 24.07.13	723/28 व्यघ-सामान्य/13 दिनांक 01.08.2013	
770	55	कुलदीप सिंह रावत	बिजेन्द्र सिंह रावत	कनिष्ठ अभियन्ता (सि०)	04.08.83	सामान्य	सामान्य	—	—	106/12/ई०-2/11-12 दिनांक 24.07.13	723/28 व्यघ-सामान्य/13 दिनांक 01.08.2013	
771	56	दुर्रेश रावत	महाराज सिंह रावत	कनिष्ठ अभियन्ता (सि०)	03.04.90	सामान्य	सामान्य	—	—	106/12/ई०-2/11-12 दिनांक 24.07.13	723/28 व्यघ-सामान्य/13 दिनांक 01.08.2013	
772	57	मनमोहन सिंह ऐरी	स्व० प्रेम सिंह ऐरी	कनिष्ठ अभियन्ता (सि०)	10.07.84	सामान्य	सामान्य	—	—	106/12/ई०-2/11-12 दिनांक 24.07.13	723/28 व्यघ-सामान्य/13 दिनांक 01.08.2013	

[Signature]

[Signature]

प्रेषण क्रमांक	लोक सेवा आयोग का क्रमांक	नाम (सर्व-श्री/श्रीमती /श्री)	पिता का नाम (सर्व-श्री)	पदनाम	जन्मतिथि	जाति	श्रेणी जिसके अन्तर्गत वर्णन हुआ है।	प्राथमिक संदर्भ में मौलिक निर्दिष्ट की गिथि	प्राथमिक संदर्भ का प्रेषण क्रमांक	लोक सेवा आयोग का पत्रांक	कनिष्ठ अभियन्ता के पद पर विभाग में सिपुसि/ पदोन्नति का पत्रांक	दिथनी
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
773	58	ईश्वर जोशी	भुवन चन्द्र जोशी	कनिष्ठ अभियन्ता (सि०)	23.09.86	सामान्य	सामान्य	-	-	106/12/ई०-2/11-12 दिनांक 24.07.13	723/28 व्यघ-सामान्य/13 दिनांक 01.08.2013	
774	60	दीपेन्द्र सिंह रावत	मनवर सिंह रावत	कनिष्ठ अभियन्ता (सि०)	07.12.79	सामान्य	सामान्य	-	-	106/12/ई०-2/11-12 दिनांक 24.07.13	723/28 व्यघ-सामान्य/13 दिनांक 01.08.2013	
775	61	कमरुद्दीन अहमद	मौ० इकबाल अहमद	कनिष्ठ अभियन्ता (सि०)	01.04.81	अधिवर्ग	सामान्य	-	-	106/12/ई०-2/11-12 दिनांक 24.07.13	723/28 व्यघ-सामान्य/13 दिनांक 01.08.2013	
776	64	भरत सिंह कपूरवाण	वलीप सिंह	कनिष्ठ अभियन्ता (सि०)	15.06.77	सामान्य	सामान्य	-	-	106/12/ई०-2/11-12 दिनांक 24.07.13	723/28 व्यघ-सामान्य/13 दिनांक 01.08.2013	
777	65	बिपिन कुमार	राम प्रसाद	कनिष्ठ अभियन्ता (सि०)	18.11.84	सामान्य	सामान्य	-	-	106/12/ई०-2/11-12 दिनांक 24.07.13	723/28 व्यघ-सामान्य/13 दिनांक 01.08.2013	
778	66	जयनेन्द्र कुमार	कुवर सिंह	कनिष्ठ अभियन्ता (सि०)	31.10.83	सामान्य	सामान्य	-	-	106/12/ई०-2/11-12 दिनांक 24.07.13	723/28 व्यघ-सामान्य/13 दिनांक 01.08.2013	
779	68	अमित कुमार कश्यप	रामनाथ सिंह	कनिष्ठ अभियन्ता (सि०)	04.04.89	अन्य पिछड़ा वर्ग	सामान्य	-	-	106/12/ई०-2/11-12 दिनांक 24.07.13	723/28 व्यघ-सामान्य/13 दिनांक 01.08.2013	
780	70	प्रमोद कुमार तिवारी	बृज बिहारी तिवारी	कनिष्ठ अभियन्ता (सि०)	12.08.74	सामान्य	सामान्य	-	-	106/12/ई०-2/11-12 दिनांक 24.07.13	723/28 व्यघ-सामान्य/13 दिनांक 01.08.2013	
781	71	जसवंत सिंह	आजन लाल मौर्य	कनिष्ठ अभियन्ता (सि०)	08.09.73	सामान्य	सामान्य	-	-	106/12/ई०-2/11-12 दिनांक 24.07.13	723/28 व्यघ-सामान्य/13 दिनांक 01.08.2013	

उद्घोषणा क्रमांक	लोक सेवा आयोग का क्रमांक	नाम (सर्व श्री/श्रीमती/श्री)	शिक्षा का नाम (सर्व श्री)	पदनाम	जन्मतिथि	जाति	श्रेणी जिसके अन्तर्गत वर्गकृत हुआ है।	पोषक तालिका में मौलिक नियुक्ति की तिथि	पोषक तालिका का उद्घोषणा क्रमांक	लोक सेवा आयोग का पत्रांक	कनिष्ठ अभियन्ता के पद पर विभाग में नियुक्ति/ पदोन्नति का पत्रांक	टिप्पणी
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
782	72	प्रकाश सिंह	कर्म सिंह	कनिष्ठ अभियन्ता (सि०)	05.02.84	अ०पि०व०	सामान्य	-	-	106/12/ई०-2/11-12 दिनांक 24.07.13	723/28 व्यध-सामान्य/13 दिनांक 01.08.2013	
783	73	नितिन सेनी	नाथी राम सेनी	कनिष्ठ अभियन्ता (सि०)	12.04.82	अ०पि०व०	सामान्य	-	-	106/12/ई०-2/11-12 दिनांक 24.07.13	723/28 व्यध-सामान्य/13 दिनांक 01.08.2013	
784	74	उमेश लाल शर्मा	लक्ष्मी लाल शर्मा	कनिष्ठ अभियन्ता (सि०)	30.06.90	सामान्य	सामान्य	-	-	106/12/ई०-2/11-12 दिनांक 24.07.13	723/28 व्यध-सामान्य/13 दिनांक 01.08.2013	
785	75	सुशील सेमवाल	सिरोमणी सेमवाल	कनिष्ठ अभियन्ता (सि०)	10.07.76	सामान्य	सामान्य	-	-	106/12/ई०-2/11-12 दिनांक 24.07.13	723/28 व्यध-सामान्य/13 दिनांक 01.08.2013	
786	76	अजय पाल	ओमप्रकाश पाल	कनिष्ठ अभियन्ता (सि०)	15.03.85	अ०पि०व०	सामान्य	-	-	106/12/ई०-2/11-12 दिनांक 24.07.13	723/28 व्यध-सामान्य/13 दिनांक 01.08.2013	
787	77	प्रकाश चन्द्र पन्त	रमेश चन्द्र पन्त	कनिष्ठ अभियन्ता (सि०)	25.12.85	सामान्य	सामान्य	-	-	106/12/ई०-2/11-12 दिनांक 24.07.13	723/28 व्यध-सामान्य/13 दिनांक 01.08.2013	
788	78	हरीश मैसला	रमेश बालमोहिन्द मैसला	कनिष्ठ अभियन्ता (सि०)	20.05.86	सामान्य	सामान्य	-	-	106/12/ई०-2/11-12 दिनांक 24.07.13	723/28 व्यध-सामान्य/13 दिनांक 01.08.2013	
789	79	सुरेश सिंह डंगवाल	पूरन सिंह डंगवाल	कनिष्ठ अभियन्ता (सि०)	03.05.87	सामान्य	सामान्य	-	-	106/12/ई०-2/11-12 दिनांक 24.07.13	723/28 व्यध-सामान्य/13 दिनांक 01.08.2013	
790	80	राजेश जोशी	जयानन्द जोशी	कनिष्ठ अभियन्ता (सि०)	01.07.75	सामान्य	सामान्य	-	-	106/12/ई०-2/11-12 दिनांक 24.07.13	787/28 व्यध-सामान्य/13 दिनांक 30.08.2013	

[Signature]

[Signature]

उद्देश्य क्रमांक	लोक सेवा आयोग का क्रमांक	नाम (सर्वे शी/श्रीमती/श्री)	पिता का नाम (सर्वे शी)	व्यवसाय	जन्मतिथि	जाति	श्रेणी जिसके अन्तर्गत चयन हुआ है।	पोषक संवर्ग में मौजूद निरूपित की तिथि	पोषक संवर्ग का उद्देश्यता क्रमांक	लोक सेवा आयोग का पत्रांक	कनिष्ठ अभियन्ता के पद पर विमान में नियुक्ति/ परीक्षा का पत्रांक	दिप्पती
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
791	81	ललित मोहन गैहरी	श्रीमानन्द गैहरी	कनिष्ठ अभियन्ता (सि०)	11.02.89	सामान्य	सामान्य	-	-	106/12/ई०-2/11-12 दिनांक 24.07.13	723/28 व्यघ-सामान्य/13 दिनांक 01.08.2013	
792	83	अमित चमोली	ओमप्रकाश चमोली	कनिष्ठ अभियन्ता (सि०)	01.01.85	सामान्य	सामान्य	-	-	106/12/ई०-2/11-12 दिनांक 24.07.13	723/28 व्यघ-सामान्य/13 दिनांक 01.08.2013	त्याग-पत्र
793	84	दीपक रावत	आनन्द सिंह रावत	कनिष्ठ अभियन्ता (सि०)	04.06.86	सामान्य	सामान्य	-	-	106/12/ई०-2/11-12 दिनांक 24.07.13	723/28 व्यघ-सामान्य/13 दिनांक 01.08.2013	
794	85	अमित सेमवाल	ब्रह्मानन्द सेमवाल	कनिष्ठ अभियन्ता (सि०)	12.07.81	सामान्य	सामान्य	-	-	106/12/ई०-2/11-12 दिनांक 24.07.13	787/28 व्यघ-सा०/13 दिनांक 30.08.2013	
795	87	अरविन्द सिंह रावत	विजय पाल सिंह रावत	कनिष्ठ अभियन्ता (सि०)	15.06.85	अ०शि०व०	सामान्य	-	-	106/12/ई०-2/11-12 दिनांक 24.07.13	723/28 व्यघ-सामान्य/13 दिनांक 01.08.2013	
796	88	दीपक रावत	कैलाश चन्द्र रावत	कनिष्ठ अभियन्ता (सि०)	21.03.84	सामान्य	सामान्य	-	-	106/12/ई०-2/11-12 दिनांक 24.07.13	723/28 व्यघ-सामान्य/13 दिनांक 01.08.2013	
797	89	अमित कुमार	विरेन्द्र कुमार	कनिष्ठ अभियन्ता (सि०)	24.11.83	सामान्य	सामान्य	-	-	106/12/ई०-2/11-12 दिनांक 24.07.13	723/28 व्यघ-सामान्य/13 दिनांक 01.08.2013	
798	91	अरुण कुमार सैनी	मंगल सिंह	कनिष्ठ अभियन्ता (सि०)	04.02.88	अ०शि०व०	सामान्य	-	-	106/12/ई०-2/11-12 दिनांक 24.07.13	723/28 व्यघ-सामान्य/13 दिनांक 01.08.2013	
799	93	रूपेश भट्ट	खुशीराम भट्ट	कनिष्ठ अभियन्ता (सि०)	12.02.90	सामान्य	सामान्य	-	-	106/12/ई०-2/11-12 दिनांक 24.07.13	723/28 व्यघ-सामान्य/13 दिनांक 01.08.2013	

(Signature)

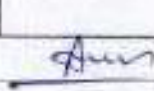
(Signature)

ज्येष्ठता क्रमांक	लोक सेवा आयोग का क्रमांक	नाम (सर्व श्री/श्रीमती/श्री)	पिता का नाम (सर्व श्री)	पदनाम	जन्मतिथि	जाति	सेवा जिसके अन्तर्गत वर्तमान हुआ है।	पोषक संदर्भ में मौलिक नियुक्ति की तिथि	पोषक संदर्भ का ज्येष्ठता क्रमांक	लोक सेवा आयोग का पत्रांक	कनिष्ठ अभियन्ता के पद पर विधान में नियुक्ति/ पदोन्नति का पत्रांक	टिप्पणी
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
800	94	दीपक कुमार	रामलाल विश्वकर्म	कनिष्ठ अभियन्ता (सि०)	31.08.89	अनुसूचित जाति	सामान्य	-	-	106/12/ई०-2/11-12 दिनांक 24.07.13	787/28 व्यघ-सामान्य/13 दिनांक 30.08.2013	
801	95	राजीव कुमार	ओमपाल शर्मा	कनिष्ठ अभियन्ता (सि०)	10.06.75	सामान्य	सामान्य	-	-	106/12/ई०-2/11-12 दिनांक 24.07.13	723/28 व्यघ-सामान्य/13 दिनांक 01.08.2013	
802	96	घेतन मट्ट	मनमोहन मट्ट	कनिष्ठ अभियन्ता (सि०)	14.04.83	सामान्य	सामान्य	-	-	106/12/ई०-2/11-12 दिनांक 24.07.13	723/28 व्यघ-सामान्य/13 दिनांक 01.08.2013	
803	97	विश्वास सेनी	जयपाल सिंह	कनिष्ठ अभियन्ता (सि०)	04.07.85	अपिठव	सामान्य	-	-	106/12/ई०-2/11-12 दिनांक 24.07.13	723/28 व्यघ-सामान्य/13 दिनांक 01.08.2013	
804	99	प्रभात शर्मा	रतन लाल शर्मा	कनिष्ठ अभियन्ता (सि०)	08.06.79	सामान्य	सामान्य	-	-	106/12/ई०-2/11-12 दिनांक 24.07.13	723/28 व्यघ-सामान्य/13 दिनांक 01.08.2013	
805	100	अशुमान गुप्ता	अशोक कुमार गुप्ता	कनिष्ठ अभियन्ता (सि०)	26.06.82	सामान्य	सामान्य	-	-	106/12/ई०-2/11-12 दिनांक 24.07.13	723/28 व्यघ-सामान्य/13 दिनांक 01.08.2013	
806	101	भारत सिंह रावत	गोविन्द सिंह रावत	कनिष्ठ अभियन्ता (सि०)	18.02.81	सामान्य	सामान्य	-	-	106/12/ई०-2/11-12 दिनांक 24.07.13	723/28 व्यघ-सामान्य/13 दिनांक 01.08.2013	
807	102	गोधन सिंह मनराल	ध्यान सिंह मनराल	कनिष्ठ अभियन्ता (सि०)	26.06.75	सामान्य	सामान्य	-	-	106/12/ई०-2/11-12 दिनांक 24.07.13	723/28 व्यघ-सामान्य/13 दिनांक 01.08.2013	

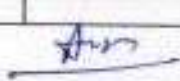
[Signature]

[Signature]

ज्येष्ठता क्रमांक	लोक सेवा आयोग का क्रमांक	नाम (सर्व-श्री/श्रीमती/श्री)	पिता का नाम (सर्व-श्री)	पदनाम	जन्मतिथि	व्यक्ति	श्रेणी जिसके अन्तर्गत चयन हुआ है।	पोषक संवर्ग में मौलिक नियुक्ति की तिथि	पोषक संवर्ग का ज्येष्ठता क्रमांक	लोक सेवा आयोग का पत्रांक	कनिष्ठ अभियन्ता के पद पर विमान में नियुक्ति/ प्रचौनक्ति का पत्रांक	टिप्पणी
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
808	103	विकास परमार	बुद्धि प्रकाश सिंह परमार	कनिष्ठ अभियन्ता (सि०)	22.11.83	सामान्य	सामान्य	-	-	106/12/ई०-2/11-12 दिनांक 24.07.13	723/28 व्यघ-सामान्य/13 दिनांक 01.08.2013	
809	104	निर्मल सिंह	गबर सिंह	कनिष्ठ अभियन्ता (सि०)	20.12.76	सामान्य	सामान्य	-	-	106/12/ई०-2/11-12 दिनांक 24.07.13	723/28 व्यघ-सामान्य/13 दिनांक 01.08.2013	
810	105	अरविन्द जोशी	देवेन्द्र दत्त जोशी	कनिष्ठ अभियन्ता (सि०)	02.01.84	सामान्य	सामान्य	-	-	106/12/ई०-2/11-12 दिनांक 24.07.13	723/28 व्यघ-सामान्य/13 दिनांक 01.08.2013	
811	106	सुदर्शन सिंह	रघु चन्द सिंह	कनिष्ठ अभियन्ता (सि०)	12.06.80	सामान्य	सामान्य	-	-	106/12/ई०-2/11-12 दिनांक 24.07.13	723/28 व्यघ-सामान्य/13 दिनांक 01.08.2013	
812	107	नीरज नौटियाल	रघु अश्लेषा प्रसाद नौटियाल	कनिष्ठ अभियन्ता (सि०)	18.04.90	सामान्य	सामान्य	-	-	106/12/ई०-2/11-12 दिनांक 24.07.13	723/28 व्यघ-सामान्य/13 दिनांक 01.08.2013	
813	108	ललित मोहन शर्मा	ईश्वरी दत्त शर्मा	कनिष्ठ अभियन्ता (सि०)	01.02.81	सामान्य	सामान्य/रघु सं०सि० आश्रित	-	-	106/12/ई०-2/11-12 दिनांक 24.07.13	723/28 व्यघ-सामान्य/13 दिनांक 01.08.2013	
814	109	गिरीश चन्द्र लोहनी	शिव शंकर लोहनी	कनिष्ठ अभियन्ता (सि०)	17.07.85	सामान्य	सामान्य	-	-	106/12/ई०-2/11-12 दिनांक 24.07.13	723/28 व्यघ-सामान्य/13 दिनांक 01.08.2013	
815	110	पंकज बड़ोनी	केशवानन्द बड़ोनी	कनिष्ठ अभियन्ता (सि०)	14.04.83	सामान्य	सामान्य	-	-	106/12/ई०-2/11-12 दिनांक 24.07.13	723/28 व्यघ-सामान्य/13 दिनांक 01.08.2013	




अवधि का क्रमांक	लोक सेवा आयोग का क्रमांक	नाम (सर्व श्री / श्रीमती / सुश्री)	पिता का नाम (सर्व श्री)	पदनाम	जन्मतिथि	जाति	श्रेणी जिसका अन्तर्गत चयन हुआ है।	चौधक संवर्ग में भौतिक नियुक्ति की तिथि	चौधक संवर्ग का अवधि का क्रमांक	लोक सेवा आयोग का पत्रांक	कनिष्ठ अभियन्ता के पद पर विमान में नियुक्ति/ परीक्षा का पत्रांक	दिनांक
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
816	111	दीपक सैनी	लोकेश कुमार सैनी	कनिष्ठ अभियन्ता (सि०)	12.07.88	अ० पि० ब०	सामान्य	-	-	106/12/ई०-2/11-12 दिनांक 24.07.13	723/28 व्यघ-सामान्य/13 दिनांक 01.08.2013	
817	112	अरुण प्रकाश	जगदीश प्रसाद	कनिष्ठ अभियन्ता (सि०)	19.11.89	सामान्य	सामान्य	-	-	106/12/ई०-2/11-12 दिनांक 24.07.13	787/28 व्यघ-सामान्य/13 दिनांक 30.08.2013	
818	113	अशुतोष पुरोहित	शिवप्रसाद पुरोहित	कनिष्ठ अभियन्ता (सि०)	01.07.73	सामान्य	सामान्य	-	-	106/12/ई०-2/11-12 दिनांक 24.07.13	787/28 व्यघ-सामान्य/13 दिनांक 30.08.2013	
819	114	किशोर सिंह पटवाल	रवि गोपाल सिंह पटवाल	कनिष्ठ अभियन्ता (सि०)	05.01.90	सामान्य	सामान्य	-	-	106/12/ई०-2/11-12 दिनांक 24.07.13	723/28 व्यघ-सामान्य/13 दिनांक 01.08.2013	
820	115	शाआलम	शौकत अली	कनिष्ठ अभियन्ता (सि०)	06.05.88	अ० पि० ब०	सामान्य	-	-	106/12/ई०-2/11-12 दिनांक 24.07.13	723/28 व्यघ-सामान्य/13 दिनांक 01.08.2013	
821	117	हरीश सिंह कुंवर	मोहन सिंह	कनिष्ठ अभियन्ता (सि०)	13.06.90	सामान्य	सामान्य	-	-	106/12/ई०-2/11-12 दिनांक 24.07.13	723/28 व्यघ-सामान्य/13 दिनांक 01.08.2013	
822	118	विजेन्द्र पाल सिंह	मदन सिंह मण्डारी	कनिष्ठ अभियन्ता (सि०)	09.07.68	सामान्य	सामान्य/गृ०पु० सैनिक	-	-	106/12/ई०-2/11-12 दिनांक 24.07.13	723/28 व्यघ-सामान्य/13 दिनांक 01.08.2013	
823	119	विजय सिंह	पान सिंह	कनिष्ठ अभियन्ता (सि०)	12.04.86	सामान्य	सामान्य	-	-	106/12/ई०-2/11-12 दिनांक 24.07.13	723/28 व्यघ-सामान्य/13 दिनांक 01.08.2013	

ज्योत्सव क्रमांक	लोक सेवा आयोग का क्रमांक	नाम (सर्व श्री/श्रीमती/श्री/श्रीमती)	पिता का नाम (सर्व श्री)	वदनाम	जन्मतिथि	जाति	श्रेणी जिसके अन्तर्गत चयन हुआ है।	पोषक संवर्ग में मौलिक नियुक्ति की तिथि	पोषक संवर्ग का ज्योत्सव क्रमांक	लोक सेवा आयोग का पत्रांक	कनिष्ठ अभियन्ता के पद पर विभाग में नियुक्ति/ पदोन्नति का पत्रांक	टिप्पणी
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
824	120	सदीप सिंह रावत	सुरेन्द्र सिंह रावत	कनिष्ठ अभियन्ता (सि०)	12.03.87	सामान्य	सामान्य	-	-	106/12/ई०-2/11-12 दिनांक 24.07.13	723/28 व्यघ-सामान्य/13 दिनांक 01.08.2013	
825	121	हरीश सिंह कनवाल	दीवान सिंह कनवाल	कनिष्ठ अभियन्ता (सि०)	08.06.85	सामान्य	सामान्य	-	-	106/12/ई०-2/11-12 दिनांक 24.07.13	723/28 व्यघ-सामान्य/13 दिनांक 01.08.2013	
826	122	चंचल सिंह कोरगा	कुंवर सिंह कोरगा	कनिष्ठ अभियन्ता (सि०)	20.05.89	सामान्य	सामान्य	-	-	106/12/ई०-2/11-12 दिनांक 24.07.13	723/28 व्यघ-सामान्य/13 दिनांक 01.08.2013	
827	123	रिग्विजय	वीरेंद्र सिंह	कनिष्ठ अभियन्ता (सि०)	03.01.86	सामान्य	सामान्य/विक लांग (ओएल०)	-	-	106/12/ई०-2/11-12 दिनांक 24.07.13	723/28 व्यघ-सामान्य/13 दिनांक 01.08.2013	
828	124	मगवान सिंह	जमन सिंह	कनिष्ठ अभियन्ता (सि०)	02.06.88	सामान्य	सामान्य/स्व० सं०सि० आश्रित	-	-	106/12/ई०-2/11-12 दिनांक 24.07.13	723/28 व्यघ-सामान्य/13 दिनांक 01.08.2013	
829	125	हरीश चन्द्र सिंह रावत	भूपाल सिंह रावत	कनिष्ठ अभियन्ता (सि०)	30.06.77	सामान्य	सामान्य	-	-	106/12/ई०-2/11-12 दिनांक 24.07.13	723/28 व्यघ-सामान्य/13 दिनांक 01.08.2013	
830	126	खजान सिंह रावत	बहादुर सिंह रावत	कनिष्ठ अभियन्ता (सि०)	11.04.88	सामान्य	सामान्य	-	-	106/12/ई०-2/11-12 दिनांक 24.07.13	723/28 व्यघ-सामान्य/13 दिनांक 01.08.2013	
831	127	अहमद रईहान	शुक्ल अली	कनिष्ठ अभियन्ता (सि०)	01.07.90	अ०पि०अ०	सामान्य	-	-	106/12/ई०-2/11-12 दिनांक 24.07.13	723/28 व्यघ-सामान्य/13 दिनांक 01.08.2013	
832	128	शरद कुमार	मनसा राम	कनिष्ठ अभियन्ता (सि०)	18.06.88	अनुसूचित जाति	सामान्य	-	-	106/12/ई०-2/11-12 दिनांक 24.07.13	787/28 व्यघ-सामान्य/13 दिनांक 30.08.2013	

उद्देशता क्रमांक	लोक सेवा आयोग का क्रमांक	नाम (सर्व श्री/श्रीमती/कुल)	पिता का नाम (सर्व श्री)	पदनाम	जन्मतिथि	वर्ग	श्रेणी जिसके अन्तर्गत बयान हुआ है।	पोषक संवर्ग में मौखिक विपुलता की स्थिति	पोषक संवर्ग का उद्देशता क्रमांक	लोक सेवा आयोग का पत्रांक	कनिष्ठ अभियन्ता के पद पर रिमान में नियुक्ति/ पदोन्नति का पत्रांक	टिप्पणी
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
833	129	रवि दानी	गिरीश चन्द दानी	कनिष्ठ अभियन्ता (सि०)	20.08.88	सामान्य	सामान्य	-	-	106/12/ई०-2/11-12 दिनांक 24.07.13	723/28 व्यघ-सामान्य/13 दिनांक 01.08.2013	
834	130	गजेन्द्र सिंह	लक्ष्म सिंह किरौला	कनिष्ठ अभियन्ता (सि०)	01.07.87	सामान्य	सामान्य	-	-	106/12/ई०-2/11-12 दिनांक 24.07.13	723/28 व्यघ-सामान्य/13 दिनांक 01.08.2013	
835	132	विकास चन्द	रामप्रसाद बडोला	कनिष्ठ अभियन्ता (सि०)	13.04.87	सामान्य	सामान्य	-	-	106/12/ई०-2/11-12 दिनांक 24.07.13	723/28 व्यघ-सामान्य/13 दिनांक 01.08.2013	
836	133	संदीप रावत	रवि यु०एस०रावत	कनिष्ठ अभियन्ता (सि०)	25.04.86	सामान्य	सामान्य	-	-	106/12/ई०-2/11-12 दिनांक 24.07.13	723/28 व्यघ-सामान्य/13 दिनांक 01.08.2013	
837	134	आशीष कुमार	प्रेम सिंह	कनिष्ठ अभियन्ता (सि०)	01.07.89	सामान्य	सामान्य	-	-	106/12/ई०-2/11-12 दिनांक 24.07.13	787/28 व्यघ-सामान्य/13 दिनांक 30.08.2013	
838	135	कमल किशोर पाठक	प्रकाश चन्द्र पाठक	कनिष्ठ अभियन्ता (सि०)	28.06.89	सामान्य	सामान्य	-	-	106/12/ई०-2/11-12 दिनांक 24.07.13	723/28 व्यघ-सामान्य/13 दिनांक 01.08.2013	
839	136	पूरण चन्द्र	जय दत्त	कनिष्ठ अभियन्ता (सि०)	03.06.74	सामान्य	सामान्य	-	-	106/12/ई०-2/11-12 दिनांक 24.07.13	787/28 व्यघ-सामान्य/13 दिनांक 30.08.2013	
840	137	अनूप कुमार	रतन सिंह रावत	कनिष्ठ अभियन्ता (सि०)	08.11.82	सामान्य	सामान्य	-	-	106/12/ई०-2/11-12 दिनांक 24.07.13	787/28 व्यघ-सामान्य/13 दिनांक 30.08.2013	
841	138	भावना जोशी	प्रकाश चन्द्र फन्त	कनिष्ठ अभियन्ता (सि०)	30.07.85	सामान्य	सामान्य/उ० महिला	-	-	106/12/ई०-2/11-12 दिनांक 24.07.13	723/28 व्यघ-सामान्य/13 दिनांक 01.08.2013	

(Signature)

क्र.सं.	लोक सेवा आयोग का क्रमांक	नाम (पूर्व श्री/श्रीमती/श्री)	पिता का नाम (पूर्व श्री)	पदनाम	जनतिथि	वर्ग	श्रेणी जिसके अन्तर्गत प्रवेश हुआ है।	पोषक संवर्ग में मौलिक नियुक्ति की तिथि	पोषक संवर्ग का ज्योत्सना क्रमांक	लोक सेवा आयोग का पत्रांक	कनिष्ठ अभियन्ता के पद पर विमान में नियुक्ति/ पदोन्नति का पत्रांक	टिप्पणी
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
842	139	हरीश सिंह	गोपाल सिंह	कनिष्ठ अभियन्ता (सि०)	02.12.88	सामान्य	सामान्य	-	-	106/12/ई०-2/11-12 दिनांक 24.07.13	723/28 व्यघ-सामान्य/13 दिनांक 01.08.2013	
843	140	मनीष सिंह खड़ायत	प्रदम सिंह खड़ायत	कनिष्ठ अभियन्ता (सि०)	10.09.88	सामान्य	सामान्य	-	-	106/12/ई०-2/11-12 दिनांक 24.07.13	723/28 व्यघ-सामान्य/13 दिनांक 01.08.2013	
844	141	अकबर शेख	अब्दुल कय्युम	कनिष्ठ अभियन्ता (सि०)	25.03.80	अ०पि०व०	सामान्य	-	-	106/12/ई०-2/11-12 दिनांक 24.07.13	723/28 व्यघ-सामान्य/13 दिनांक 01.08.2013	
845	142	गणेश सिंह रौतेला	लक्ष्मण सिंह	कनिष्ठ अभियन्ता (सि०)	02.07.87	सामान्य	सामान्य	-	-	106/12/ई०-2/11-12 दिनांक 24.07.13	723/28 व्यघ-सामान्य/13 दिनांक 01.08.2013	
846	143	सुरेश सिंह बुटोला	मरला चन्द बुटोला	कनिष्ठ अभियन्ता (सि०)	01.07.88	सामान्य	सामान्य	-	-	106/12/ई०-2/11-12 दिनांक 24.07.13	787/28 व्यघ-सामान्य/13 दिनांक 30.08.2013	
847	144	गणेश चन्द्र	खीमानन्द जोशी	कनिष्ठ अभियन्ता (सि०)	01.07.88	सामान्य	सामान्य	-	-	106/12/ई०-2/11-12 दिनांक 24.07.13	723/28 व्यघ-सामान्य/13 दिनांक 01.08.2013	
848	145	वैतन	दीवान सिंह रावत	कनिष्ठ अभियन्ता (सि०)	01.06.90	अ०पि०व०	सामान्य/स्व०संग्राम सैनानी	-	-	106/12/ई०-2/11-12 दिनांक 24.07.13	787/28 व्यघ-सामान्य/13 दिनांक 30.08.2013	
849	146	देवेश मोहन सेमवाल	ज्योति प्रसाद सेमवाल	कनिष्ठ अभियन्ता (सि०)	14.04.85	सामान्य	सामान्य	-	-	106/12/ई०-2/11-12 दिनांक 24.07.13	723/28 व्यघ-सामान्य/13 दिनांक 01.08.2013	
850	147	प्रतीक अग्रवाल	सज्जुमार अग्रवाल	कनिष्ठ अभियन्ता (सि०)	25.11.89	सामान्य	सामान्य	-	-	106/12/ई०-2/11-12 दिनांक 24.07.13	723/28 व्यघ-सामान्य/13 दिनांक 01.08.2013	

ज्योत्सना क्रमांक	लोक सेवा आयोग का क्रमांक	नाम (सर्व श्री/श्रीमती/श्री)	पिता का नाम (सर्व श्री)	वदनाम	जनतिथि	जाति	श्रेणी जिससे अन्तर्गत वर्गन हुआ है।	शोधक संदर्भ में मौखिक नियुक्ति की तिथि	शोधक संदर्भ का ज्योत्सना क्रमांक	लोक सेवा आयोग का पत्रांक	कनिष्ठ अभियन्ता से पर पर विभाग में नियुक्ति/ पदोन्नति का पत्रांक	टिप्पणी
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
851	148	वृजेश अन्धवाल	शशिकान्त अन्धवाल	कनिष्ठ अभियन्ता (सि०)	12.02.90	सामान्य	सामान्य	-	-	106/12/ई०-2/11-12 दिनांक 24.07.13	903/28 व्यघ-सामान्य/13 दिनांक 30.10.2013	
852	149	विपिन चन्द्र जोशी	वलदेव जोशी	कनिष्ठ अभियन्ता (सि०)	20.07.89	सामान्य	सामान्य	-	-	106/12/ई०-2/11-12 दिनांक 24.07.13	723/28 व्यघ-सामान्य/13 दिनांक 01.08.2013	
853	150	आलोक कुमार	सुभाष चन्द्र	कनिष्ठ अभियन्ता (सि०)	25.08.89	अनुसूचित जाति	सामान्य	-	-	106/12/ई०-2/11-12 दिनांक 24.07.13	826/28 व्यघ-सामान्य/13 दिनांक 19.09.2013	
854	151	अनिल कुमार भट्ट	राम प्रकाश भट्ट	कनिष्ठ अभियन्ता (सि०)	08.06.79	सामान्य	सामान्य	-	-	106/12/ई०-2/11-12 दिनांक 24.07.13	723/28 व्यघ-सामान्य/13 दिनांक 01.08.2013	
855	152	रश्मि रावत	रमेश सिंह रावत	कनिष्ठ अभियन्ता (सि०)	22.06.88	सामान्य	सामान्य/ उ० महिला	-	-	106/12/ई०-2/11-12 दिनांक 24.07.13	723/28 व्यघ-सामान्य/13 दिनांक 01.08.2013	
856	153	गोपाल सेनी	साधूराम	कनिष्ठ अभियन्ता (सि०)	07.08.85	अ०पि०व०	सामान्य	-	-	106/12/ई०-2/11-12 दिनांक 24.07.13	723/28 व्यघ-सामान्य/13 दिनांक 01.08.2013	
857	155	अमीन सिंह	आशम सिंह	कनिष्ठ अभियन्ता (सि०)	20.05.86	अ०पि०व०	सामान्य	-	-	106/12/ई०-2/11-12 दिनांक 24.07.13	723/28 व्यघ-सामान्य/13 दिनांक 01.08.2013	
858	156	सम्पूर्णानन्द	गंगा प्रसाद संगवाल	कनिष्ठ अभियन्ता (सि०)	03.07.89	अ०पि०व०	सामान्य	-	-	106/12/ई०-2/11-12 दिनांक 24.07.13	723/28 व्यघ-सामान्य/13 दिनांक 01.08.2013	
859	158	दीप चन्द्र चौधरी	विनोद चन्द्र चौधरी	कनिष्ठ अभियन्ता (सि०)	01.10.88	सामान्य	सामान्य	-	-	106/12/ई०-2/11-12 दिनांक 24.07.13	723/28 व्यघ-सामान्य/13 दिनांक 01.08.2013	

प्रवेष्टक कर्मचारी	लोक सेवा आयोग का कर्मचारी	नाम (सर्व श्री/श्रीमती /श्री)	पिता का नाम (सर्व श्री)	परनाम	जन्मतिथि	व्यक्ति	श्रेणी जिसमें अन्तर्गत वर्ग हुआ है।	व्यक्ति का वर्ग वैशेषिक नियुक्ति की स्थिति	प्रवेश संदर्भ का प्रवेष्टक कर्मचारी	लोक सेवा आयोग का क्रमांक	कनिष्ठ अभियन्ता के पद पर विभाग में नियुक्ति/ पदोन्नति का क्रमांक	दिनांक
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
860	159	जय प्रकाश भट्ट	वीरज मणी भट्ट	कनिष्ठ अभियन्ता (सि०)	07.07.81	अ० पि० वर्ग	सामान्य	-	-	106/12/ई०-2/11-12 दिनांक 24.07.13	787/28 व्य-सामान्य/13 दिनांक 30.08.2013	
861	160	बाहिर हुसैन	निजामुद्दीन	कनिष्ठ अभियन्ता (सि०)	20.12.72	अन्य पिछड़ा वर्ग	अन्य पिछड़ा वर्ग	-	-	106/12/ई०-2/11-12 दिनांक 24.07.13	723/28 व्य-सामान्य/13 दिनांक 01.08.2013	
862	161	वृजमोहन नौटियाल	हरीशचन्द्र नौटियाल	कनिष्ठ अभियन्ता (सि०)	24.05.89	अन्य पिछड़ा वर्ग	अन्य पिछड़ा वर्ग	-	-	106/12/ई०-2/11-12 दिनांक 24.07.13	826/28 व्य-सामान्य/13 दिनांक 19.09.2013	
863	162	शीला टम्टा	जोगराम टम्टा	कनिष्ठ अभियन्ता (सि०)	20.07.82	अनुसूचित जाति	अनुसूचित/ छात्रवृत्ति	-	-	106/12/ई०-2/11-12 दिनांक 24.07.13	787/28 व्य-सामान्य/13 दिनांक 30.08.2013	
864	163	गुलाम मोहम्मद	अनवर हुसैन	कनिष्ठ अभियन्ता (सि०)	05.07.84	अन्य पिछड़ा वर्ग	अन्य पिछड़ा वर्ग	-	-	106/12/ई०-2/11-12 दिनांक 24.07.13	723/28 व्य-सामान्य/13 दिनांक 01.08.2013	
865	164	सन्तोष कुमार	राजेंद्र प्रसाद मोस्सामी	कनिष्ठ अभियन्ता (सि०)	06.10.85	अन्य पिछड़ा वर्ग	अन्य पिछड़ा वर्ग	-	-	106/12/ई०-2/11-12 दिनांक 24.07.13	723/28 व्य-सामान्य/13 दिनांक 01.08.2013	
866	165	राकेश चन्द्र आर्या	गोविन्द राम आर्या	कनिष्ठ अभियन्ता (सि०)	21.06.88	अनुसूचित जाति	अनुसूचित जाति	-	-	106/12/ई०-2/11-12 दिनांक 24.07.13	723/28 व्य-सामान्य/13 दिनांक 01.08.2013	
867	166	सन्दीप सिंह पंवार	टिकम सिंह पंवार	कनिष्ठ अभियन्ता (सि०)	20.10.86	अन्य पिछड़ा वर्ग	अन्य पिछड़ा वर्ग	-	-	106/12/ई०-2/11-12 दिनांक 24.07.13	723/28 व्य-सामान्य/13 दिनांक 01.08.2013	
868	168	तुषार शर्मा	रमेश चन्द्र शर्मा	कनिष्ठ अभियन्ता (सि०)	16.06.90	सामान्य	सामान्य/ छात्र महिला	-	-	106/12/ई०-2/11-12 दिनांक 24.07.13	723/28 व्य-सामान्य/13 दिनांक 01.08.2013	

[Signature]

[Signature]

ज्येष्ठता क्रमांक	लोक सेवा आयोग का क्रमांक	नाम (हर्ष श्री/श्रीमती/कु)	पिता का नाम (हर्ष श्री)	वदनाम	जन्मतिथि	जाति	बेची जिसके अन्तर्गत पदनाम हुआ है।	चौधक संवर्ग में मौलिक नियुक्ति की तिथि	चौधक संवर्ग का ज्येष्ठता क्रमांक	लोक सेवा आयोग का पत्रांक	कनिष्ठ अभियन्ता के पद पर विभाग में नियुक्ति/ पदोन्नति का पत्रांक	टिप्पणी
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
869	169	गुणेंद्र सिंह	देवेन्द्र सिंह मुसाई	कनिष्ठ अभियन्ता (सि०)	17.08.81	अन्य पिछड़ा वर्ग	अन्य पिछड़ा वर्ग	-	-	106/12/ई०-2/11-12 दिनांक 24.07.13	723/28 व्यघ-सामान्य/13 दिनांक 01.08.2013	
870	170	विनोद	नरेंद्र सिंह सैनी	कनिष्ठ अभियन्ता (सि०)	03.11.83	अनुसूचित जाति	अनुसूचित जाति	-	-	106/12/ई०-2/11-12 दिनांक 24.07.13	251/28 व्यघ-सा०/14 दिनांक 02.03.2015	
871	171	विनोद सिंह	विजय सिंह	कनिष्ठ अभियन्ता (सि०)	17.04.83	अन्य पिछड़ा वर्ग	अन्य पिछड़ा वर्ग	-	-	106/12/ई०-2/11-12 दिनांक 24.07.13	723/28 व्यघ-सामान्य/13 दिनांक 01.08.2013	
872	172	प्रदीप कुमार	स्व० राजेंद्र सिंह वर्मा	कनिष्ठ अभियन्ता (सि०)	15.06.74	अन्य पिछड़ा वर्ग	अन्य पिछड़ा वर्ग	-	-	106/12/ई०-2/11-12 दिनांक 24.07.13	723/28 व्यघ-सामान्य/13 दिनांक 01.08.2013	
873	173	सन्तोष वैशाली	दयालू लाल	कनिष्ठ अभियन्ता (सि०)	01.08.84	अनुसूचित जाति	अनुसूचित जाति	-	-	106/12/ई०-2/11-12 दिनांक 24.07.13	787/28 व्यघ-सामान्य/13 दिनांक 30.08.2013	
874	174	प्रशान्त कुमार	गजेन्द्र सिंह	कनिष्ठ अभियन्ता (सि०)	03.07.86	अनुसूचित जाति	अनुसूचित जाति	-	-	106/12/ई०-2/11-12 दिनांक 24.07.13	723/28 व्यघ-सामान्य/13 दिनांक 01.08.2013	
875	175	नारायण सिंह	खुशाल सिंह	कनिष्ठ अभियन्ता (सि०)	10.09.88	अनुसूचित जाति	अनुसूचित जाति	-	-	106/12/ई०-2/11-12 दिनांक 24.07.13	723/28 व्यघ-सामान्य/13 दिनांक 01.08.2013	
876	176	गजेन्द्र पाल	दीवान चन्द	कनिष्ठ अभियन्ता (सि०)	10.02.85	अन्य पिछड़ा वर्ग	अन्य पिछड़ा वर्ग	-	-	106/12/ई०-2/11-12 दिनांक 24.07.13	723/28 व्यघ-सामान्य/13 दिनांक 01.08.2013	
877	177	रज्जाक अहमद	रज्जाक	कनिष्ठ अभियन्ता (सि०)	05.01.80	अन्य पिछड़ा वर्ग	अन्य पिछड़ा वर्ग	-	-	106/12/ई०-2/11-12 दिनांक 24.07.13	723/28 व्यघ-सामान्य/13 दिनांक 01.08.2013	

ज्येष्ठता क्रमांक	लोक सेवा आयोग का क्रमांक	नाम (सर्व श्री/श्रीमती/श्री)	पिता का नाम (सर्व श्री)	पदनाम	जन्मतिथि	जाति	श्रेणी जिसमें अन्तर्गत वर्धन हुआ है।	पोषक संवर्ग में मौलिक नियुक्ति की तिथि	पोषक संवर्ग का ज्येष्ठता क्रमांक	लोक सेवा आयोग का पत्रांक	कनिष्ठ अभियन्ता के पद पर विमान में नियुक्ति/ पदोन्नति का पत्रांक	टिप्पणी
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
878	178	अभिषेक भास्कराज	विजय प्रकाश शर्मा	कनिष्ठ अभियन्ता (सि०)	04.07.87	अन्य पिछड़ा वर्ग	अन्य पिछड़ा वर्ग	-	-	106/12/ई०-2/11-12 दिनांक 24.07.13	787/28 व्यघ-सामान्य/13 दिनांक 30.08.2013	रसायन-यंत्र
879	179	तनुजा राणा	सत्येन्द्र सिंह राणा	कनिष्ठ अभियन्ता (सि०)	01.01.88	सामान्य	सामान्य/ उ० महिला	-	-	106/12/ई०-2/11-12 दिनांक 24.07.13	787/28 व्यघ-सामान्य/13 दिनांक 30.08.2013	
880	180	प्रदीप उनियाल	रक्षाकृष्ण उनियाल	कनिष्ठ अभियन्ता (सि०)	01.11.70	अन्य पिछड़ा वर्ग	अन्य पिछड़ा वर्ग	-	-	106/12/ई०-2/11-12 दिनांक 24.07.13	723/28 व्यघ-सामान्य/13 दिनांक 01.08.2013	
881	181	सजय सिंह काकरी	महादुर सिंह काकरी	कनिष्ठ अभियन्ता (सि०)	21.06.89	अन्य पिछड़ा वर्ग	अन्य पिछड़ा वर्ग	-	-	106/12/ई०-2/11-12 दिनांक 24.07.13	723/28 व्यघ-सामान्य/13 दिनांक 01.08.2013	
882	182	धीरेन्द्र सिंह बिष्ट	रविन्द्र सिंह बिष्ट	कनिष्ठ अभियन्ता (सि०)	20.06.88	अन्य पिछड़ा वर्ग	अन्य पिछड़ा वर्ग	-	-	106/12/ई०-2/11-12 दिनांक 24.07.13	723/28 व्यघ-सामान्य/13 दिनांक 01.08.2013	
883	183	खलील अहमद	असगर अली	कनिष्ठ अभियन्ता (सि०)	01.07.79	अन्य पिछड़ा वर्ग	अन्य पिछड़ा वर्ग	-	-	106/12/ई०-2/11-12 दिनांक 24.07.13	723/28 व्यघ-सामान्य/13 दिनांक 01.08.2013	
884	184	बबीता शाह	ज्योति प्रसाद	कनिष्ठ अभियन्ता (सि०)	15.07.89	अनुसूचित जाति	अनुसूचित जाति/ उ० महिला	-	-	106/12/ई०-2/11-12 दिनांक 24.07.13	787/28 व्यघ-सामान्य/13 दिनांक 30.08.2013	
885	185	प्रियका सिंह	रोहिताश सिंह	कनिष्ठ अभियन्ता (सि०)	28.07.88	अनुसूचित जाति	अनुसूचित जाति/ उ० महिला	-	-	106/12/ई०-2/11-12 दिनांक 24.07.13	787/28 व्यघ-सामान्य/13 दिनांक 30.08.2013	
886	186	मुरताक जालम	जह्दिरुद्दीन	कनिष्ठ अभियन्ता (सि०)	13.02.81	अन्य पिछड़ा वर्ग	अन्य पिछड़ा वर्ग	-	-	106/12/ई०-2/11-12 दिनांक 24.07.13	903/28 व्यघ-सामान्य/13 दिनांक 30.10.2013	

(Handwritten signatures)

ज्येष्ठता क्रमांक	लोक सेवा आयोग का क्रमांक	नाम (सर्व श्री/श्रीमती/श्री)	पिता का नाम (सर्व श्री)	पदनाम	जन्मतिथि	जाति	श्रेणी जिसके अन्तर्गत प्रवेश हुआ है।	वैधिका संदर्भ से वैधिका नियुक्ति की तिथि	वैधिका संदर्भ का ज्येष्ठता क्रमांक	लोक सेवा आयोग का पत्रांक	कनिष्ठ अभियन्ता के पद पर विभाग में नियुक्ति/ प्रवर्तन की तिथि का पत्रांक	दिनांक
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
887	187	सोमराव रावत	राजेश्वर सिंह रावत	कनिष्ठ अभियन्ता (सि०)	20.03.90	सामान्य	सामान्य/उ० महिला	-	-	106/12/ई०-2/11-12 दिनांक 24.07.13	787/28 व्यघ-सामान्य/13 दिनांक 30.08.2013	
888	188	दीपिका	जयचन्द्र	कनिष्ठ अभियन्ता (सि०)	31.12.84	सामान्य	सामान्य/उ० महिला	-	-	106/12/ई०-2/11-12 दिनांक 24.07.13	787/28 व्यघ-सामान्य/13 दिनांक 30.08.2013	
889	189	गोविन्द सिंह	भुवन सिंह	कनिष्ठ अभियन्ता (सि०)	12.02.88	अनुसूचित जनजाति	अनुसूचित जनजाति	-	-	106/12/ई०-2/11-12 दिनांक 24.07.13	723/28 व्यघ-सामान्य/13 दिनांक 01.08.2013	
890	190	कुलदीप आर्य	बंशी लाल	कनिष्ठ अभियन्ता (सि०)	12.10.87	अनुसूचित जाति	अनुसूचित जाति	-	-	106/12/ई०-2/11-12 दिनांक 24.07.13	723/28 व्यघ-सामान्य/13 दिनांक 01.08.2013	
891	191	सोनू कुमार	वेदपाल सिंह	कनिष्ठ अभियन्ता (सि०)	11.06.88	अनुसूचित जाति	अनुसूचित जाति	-	-	106/12/ई०-2/11-12 दिनांक 24.07.13	723/28 व्यघ-सामान्य/13 दिनांक 01.08.2013	
892	192	रुन्दना	कवीन्द्र सिंह ठाकुर	कनिष्ठ अभियन्ता (सि०)	01.07.87	सामान्य	सामान्य/उ० महिला	-	-	106/12/ई०-2/11-12 दिनांक 24.07.13	723/28 व्यघ-सामान्य/13 दिनांक 01.08.2013	
893	193	कोकिला	देवेन्द्र सिंह	कनिष्ठ अभियन्ता (सि०)	04.02.90	सामान्य	सामान्य/उ० महिला	-	-	106/12/ई०-2/11-12 दिनांक 24.07.13	787/28 व्यघ-सामान्य/13 दिनांक 30.08.2013	
894	194	नेहा पटवा	सुभाष पटवा	कनिष्ठ अभियन्ता (सि०)	21.06.90	अन्य पिछड़ा वर्ग	अ० पि० व०/उ० महिला	-	-	106/12/ई०-2/11-12 दिनांक 24.07.13	723/28 व्यघ-सामान्य/13 दिनांक 01.08.2013	
895	195	गिरीश कुमार	हरिशम	कनिष्ठ अभियन्ता (सि०)	02.04.90	अनुसूचित जाति	अनुसूचित जाति	-	-	106/12/ई०-2/11-12 दिनांक 24.07.13	723/28 व्यघ-सामान्य/13 दिनांक 01.08.2013	

(Signature)

ज्येष्ठता क्रमंक	लोक सेवा आयोग का क्रमांक	नाम (सर्ये श्री/श्रीमती/श्री)	पिता का नाम (सर्ये श्री)	पदनाम	प्रवर्तित तिथि	जाति	श्रेणी जिसके अन्तर्गत चयन हुआ है।	योग्यता संवर्ग में मौलिक नियुक्ति की तिथि	योग्यता संवर्ग का ज्येष्ठता क्रमांक	लोक सेवा आयोग का पत्रांक	कनिष्ठ अभियन्ता के पद पर विमान में नियुक्ति/ प्रवर्तित का पत्रांक	टिप्पणी
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
896	196	अमित शर्मा	धर्मवीर सिंह	कनिष्ठ अभियन्ता (सि०)	10.07.89	सामान्य	सामान्य/विक्रम लामा (ओएलओ)	-	-	106/12/ई०-2/11-12 दिनांक 24.07.13	723/28 व्यध-सामान्य/13 दिनांक 01.08.2013	
897	197	आलोक कुमार	फूल कुमार	कनिष्ठ अभियन्ता (सि०)	15.03.89	अनुसूचित जाति	अनुसूचित जाति	-	-	106/12/ई०-2/11-12 दिनांक 24.07.13	723/28 व्यध-सामान्य/13 दिनांक 01.08.2013	
898	198	पायल जोशी	प्रवीन कुमार जोशी	कनिष्ठ अभियन्ता (सि०)	13.03.90	सामान्य	सामान्य/उ०म हिला	-	-	106/12/ई०-2/11-12 दिनांक 24.07.13	251/28 व्यध-सा०/14 दिनांक 02.03.2015	
899	199	कविता तिवारी	विनोद कुमार लोहानी	कनिष्ठ अभियन्ता (सि०)	30.06.84	सामान्य	सामान्य/उ०म हिला	-	-	106/12/ई०-2/11-12 दिनांक 24.07.13	723/28 व्यध-सामान्य/13 दिनांक 01.08.2013	मृत्यु
900	200	चन्द्रप्रभा आर्या	देवराम आर्या	कनिष्ठ अभियन्ता (सि०)	02.02.90	अनुसूचित जाति	अनु० जाति/उ० महिला	-	-	106/12/ई०-2/11-12 दिनांक 24.07.13	723/28 व्यध-सामान्य/13 दिनांक 01.08.2013	
901	202	जितेन्द्र कुमार	अमर सिंह	कनिष्ठ अभियन्ता (सि०)	05.07.89	अनुसूचित जाति	अनुसूचित जाति	-	-	106/12/ई०-2/11-12 दिनांक 24.07.13	723/28 व्यध-सामान्य/13 दिनांक 01.08.2013	
902	203	योगेश कुमार	शिव कुमार	कनिष्ठ अभियन्ता (सि०)	01.01.89	अनुसूचित जाति	अनुसूचित जाति	-	-	106/12/ई०-2/11-12 दिनांक 24.07.13		
903	204	सत्यपाल सिंह	कलीराम सिंह	कनिष्ठ अभियन्ता (सि०)	11.06.90	अनुसूचित जाति	अनुसूचित जाति	-	-	106/12/ई०-2/11-12 दिनांक 24.07.13	723/28 व्यध-सामान्य/13 दिनांक 01.08.2013	
904	205	मकान सिंह	रामपाल सिंह	कनिष्ठ अभियन्ता (सि०)	28.01.88	सामान्य	सामान्य/पू० सैनिक	-	-	106/12/ई०-2/11-12 दिनांक 24.07.13	723/28 व्यध-सामान्य/13 दिनांक 01.08.2013	

ज्योत्सना क्रमांक	लोक सेवा आयोग का क्रमांक	नाम (सर्व श्री/श्रीमती/श्री)	पिता का नाम (सर्व श्री)	पदनाम	प्रमातिथि	जाति	श्रेणी जिसके अन्तर्गत वर्गन हुआ है।	पोषक स्तर में मौलिक नियुक्ति की तिथि	पोषक स्तर का ज्योत्सना क्रमांक	लोक सेवा आयोग का पत्रांक	कनिष्ठ अभियन्ता के पद पर विमान में नियुक्ति/ पदोन्नति का पत्रांक	टिप्पणी
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
905	206	जयेंद्र लाल	राजेंद्र लाल	कनिष्ठ अभियन्ता (सि०)	10.07.89	अनुसूचित जाति	अनुसूचित जाति	-	-	106/12/ई०-2/11-12 दिनांक 24.07.13	723/28 व्यघ-सामान्य/13 दिनांक 01.08.2013	
906	207	मैनपाल	प्रेम सिंह	कनिष्ठ अभियन्ता (सि०)	10.11.82	अनुसूचित जाति	अनुसूचित जाति	-	-	106/12/ई०-2/11-12 दिनांक 24.07.13	723/28 व्यघ-सामान्य/13 दिनांक 01.08.2013	
907	208	जय प्रकाश	नरथूलाल	कनिष्ठ अभियन्ता (सि०)	05.07.83	अनुसूचित जाति	अनुसूचित जाति	-	-	106/12/ई०-2/11-12 दिनांक 24.07.13	723/28 व्यघ-सामान्य/13 दिनांक 01.08.2013	
908	209	प्रदीप कुमार	भगवती लाल	कनिष्ठ अभियन्ता (सि०)	01.08.84	अनुसूचित जाति	अनुसूचित जाति	-	-	106/12/ई०-2/11-12 दिनांक 24.07.13	723/28 व्यघ-सामान्य/13 दिनांक 01.08.2013	
909	210	संदीप कुमार	दिनेश चन्द्र	कनिष्ठ अभियन्ता (सि०)	29.12.85	अनुसूचित जाति	अनुसूचित जाति	-	-	106/12/ई०-2/11-12 दिनांक 24.07.13	723/28 व्यघ-सामान्य/13 दिनांक 01.08.2013	
910	211	ऊषा बिष्ट	रमेश सिंह बिष्ट	कनिष्ठ अभियन्ता (सि०)	15.10.87	सामान्य	सामान्य/७० महिला	-	-	106/12/ई०-2/11-12 दिनांक 24.07.13	723/28 व्यघ-सामान्य/13 दिनांक 01.08.2013	
911	212	मोहन सिंह	झान सिंह	कनिष्ठ अभियन्ता (सि०)	07.09.89	अनुसूचित जाति	अनुसूचित जाति	-	-	106/12/ई०-2/11-12 दिनांक 24.07.13	723/28 व्यघ-सामान्य/13 दिनांक 01.08.2013	
912	213	जगमोहन सिंह	मंगल सिंह	कनिष्ठ अभियन्ता (सि०)	22.09.81	अन्य पिछड़ा वर्ग	अ०पि०व०/र व०स०सि०अ०	-	-	106/12/ई०-2/11-12 दिनांक 24.07.13	723/28 व्यघ-सामान्य/13 दिनांक 01.08.2013	
913	214	नवीन चन्द्र	त्रिलोक चम	कनिष्ठ अभियन्ता (सि०)	01.07.81	अनुसूचित जाति	अनुसूचित जाति	-	-	106/12/ई०-2/11-12 दिनांक 24.07.13	723/28 व्यघ-सामान्य/13 दिनांक 01.08.2013	

ज्येष्ठता क्रमांक	लोक सेवा आयोग का क्रमांक	नाम (सर्व श्री/श्रीमती/शुद्ध)	पिता का नाम (सर्व श्री)	पदनाम	जन्मतिथि	जाति	श्रेणी जिसके अन्तर्गत चयन हुआ है।	पोस्टल संवर्ग में मौलिक निशुक्ति की दिवि	पोस्टल संवर्ग का ज्येष्ठता क्रमांक	लोक सेवा आयोग का पत्रांक	कनिष्ठ अभियन्ता के पद पर विमान में नियुक्ति/ पदोन्नति का पत्रांक	टिप्पणी
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
914	215	पंकज कुमार	मोहन लाल	कनिष्ठ अभियन्ता (सि०)	21.06.89	अनुसूचित जाति	अनुसूचित जाति	-	-	106/12/ई०-2/11-12 दिनांक 24.07.13	723/28 व्यघ-सामान्य/13 दिनांक 01.08.2013	
915	216	नरेन्द्र गौड़	चैतराम गौड़	कनिष्ठ अभियन्ता (सि०)	30.05.89	अनुसूचित जनजाति	अनुसूचित जनजाति	-	-	106/12/ई०-2/11-12 दिनांक 24.07.13	723/28 व्यघ-सामान्य/13 दिनांक 01.08.2013	
916	217	नयनीत सिंह पोखरियाल	प्रकाश चन्द्र सिंह पोखरियाल	कनिष्ठ अभियन्ता (सि०)	15.05.89	सामान्य	सामान्य/विक लांग	-	-	106/12/ई०-2/11-12 दिनांक 24.07.13	826/28 व्यघ-सामान्य/13 दिनांक 19.08.2013	
917	218	विशाला	रमेश सिंह	कनिष्ठ अभियन्ता (सि०)	08.09.89	सामान्य	सामान्य/उ० महिला	-	-	106/12/ई०-2/11-12 दिनांक 24.07.13	787/28 व्यघ-सामान्य/13 दिनांक 30.08.2013	
918	220	रुबी	अमित कुमार घौमान	कनिष्ठ अभियन्ता (सि०)	20.05.85	सामान्य	सामान्य/उ० महिला	-	-	106/12/ई०-2/11-12 दिनांक 24.07.13	787/28 व्यघ-सामान्य/13 दिनांक 30.08.2013	
919	221	रोशन लाल	रतनदास	कनिष्ठ अभियन्ता (सि०)	03.02.84	अनुसूचित जाति	अनुसूचित जाति	-	-	106/12/ई०-2/11-12 दिनांक 24.07.13	723/28 व्यघ-सामान्य/13 दिनांक 01.08.2013	
920	222	प्रीति नेगी	चन्द्रवीर सिंह नेगी	कनिष्ठ अभियन्ता (सि०)	08.05.86	सामान्य	सामान्य/उ० महिला	-	-	106/12/ई०-2/11-12 दिनांक 24.07.13	723/28 व्यघ-सामान्य/13 दिनांक 01.08.2013	
921	223	जयप्रकाश कोठियाल	पुष्कर लाल	कनिष्ठ अभियन्ता (सि०)	19.02.90	अनुसूचित जाति	अनुसूचित जाति	-	-	106/12/ई०-2/11-12 दिनांक 24.07.13	787/28 व्यघ-सामान्य/13 दिनांक 30.08.2013	

[Signature]

[Signature]

ज्वेष्ठता क्रमांक	लोक सेवा आयोग का क्रमांक	नाम (सर्व श्री / श्रीमती / यु०)	पिता का नाम (सर्व श्री)	पदनाम	जन्मतिथि	जाति	श्रेणी जिसके अन्तर्गत प्रवेश हुआ है।	प्राथमिक सर्वेक्षण में मौखिक प्रतिक्रिया की तिथि	प्राथमिक सर्वेक्षण का ज्वेष्ठता क्रमांक	लोक सेवा आयोग का प्रकाश	कनिष्ठ अभियन्ता के पद पर विमान में नियुक्ति / पदोन्नति का प्रकाश	टिप्पणी
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
922	224	शालू वर्मा	मनोज कुमार वर्मा	कनिष्ठ अभियन्ता (सि०)	21.01.89	अन्य पिछड़ा वर्ग	अनु० जाति / उ० महिला	-	-	106/12/ई०-2/11-12 दिनांक 24.07.13	723/28 व्यघ-सामान्य/13 दिनांक 01.08.2013	
923	225	शशि बिष्ट	राम सिंह बिष्ट	कनिष्ठ अभियन्ता (सि०)	21.01.90	सामान्य	सामान्य / उ० महिला	-	-	106/12/ई०-2/11-12 दिनांक 24.07.13	723/28 व्यघ-सामान्य/13 दिनांक 01.08.2013	
924	226	कामिनी	रमेश चन्द्र	कनिष्ठ अभियन्ता (सि०)	05.07.88	सामान्य	सामान्य / उ० महिला	-	-	106/12/ई०-2/11-12 दिनांक 24.07.13	723/28 व्यघ-सामान्य/13 दिनांक 01.08.2013	
925	227	मीनाक्षी पन्त	पूरन चन्द्र पन्त	कनिष्ठ अभियन्ता (सि०)	25.01.90	सामान्य	सामान्य / उ० महिला	-	-	106/12/ई०-2/11-12 दिनांक 24.07.13	723/28 व्यघ-सामान्य/13 दिनांक 01.08.2013	
926	228	अलका रानी	स्व० जयप्रकाश	कनिष्ठ अभियन्ता (सि०)	01.07.89	अनुसूचित जाति	अनु० जाति / उ० महिला	-	-	106/12/ई०-2/11-12 दिनांक 24.07.13	723/28 व्यघ-सामान्य/13 दिनांक 01.08.2013	
927	229	दीपिका आर्या	केशर राम आर्या	कनिष्ठ अभियन्ता (सि०)	19.07.86	अनुसूचित जाति	अनु० जाति / उ० महिला	-	-	106/12/ई०-2/11-12 दिनांक 24.07.13	723/28 व्यघ-सामान्य/13 दिनांक 01.08.2013	
928	230	दिनेश कुमार	कन्हैया लाल	कनिष्ठ अभियन्ता (सि०)	01.07.85	अनुसूचित जाति	अनु० जाति / वकलांग (ओ०एल०)	-	-	106/12/ई०-2/11-12 दिनांक 24.07.13	723/28 व्यघ-सामान्य/13 दिनांक 01.08.2013	
929	231	रुचि जंगपांगी	सुरेन्द्र सिंह जंगपांगी	कनिष्ठ अभियन्ता (सि०)	12.03.88	अनु० जनजाति	अनु० जनजाति / उ० महिला	-	-	106/12/ई०-2/11-12 दिनांक 24.07.13	723/28 व्यघ-सामान्य/13 दिनांक 01.08.2013	
930	232	देवेन्दी	रामनाथ सिंह	कनिष्ठ अभियन्ता (सि०)	12.10.87	अन्य पिछड़ा वर्ग	अनु० जाति / उ० महिला	-	-	106/12/ई०-2/11-12 दिनांक 24.07.13	723/28 व्यघ-सामान्य/13 दिनांक 01.08.2013	

[Signature]

[Signature]

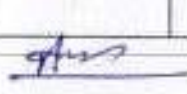
प्रवेशिका क्रमांक	लोक सेवा आयोग का क्रमांक	नाम (सर श्री/श्रीमती/शु)	पिता का नाम (सर श्री)	व्यवसाय	जन्मतिथि	जाति	श्रेणी जिसके अन्तर्गत चयन हुआ है।	प्राथमिक सर्वे में मौलिक निपुणता की स्थिति	प्राथमिक सर्वे का प्रवेशिका क्रमांक	लोक सेवा आयोग का पत्रांक	कनिष्ठ अभियन्ता के पद पर विभाग में नियुक्ति/ चयनित का पत्रांक	टिप्पणी
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
931	233	शिवानी सेनी	शिव कुमार	कनिष्ठ अभियन्ता (सि०)	01.07.90	अन्य पिछड़ा वर्ग	अ०पि०व०/उ० महिला	-	-	106/12/ई०-2/11-12 दिनांक 24.07.13	903/28 व्यघ-सामान्य/13 दिनांक 30.10.2013	
932	235	सरस्वती	शूरवीर सिंह	कनिष्ठ अभियन्ता (सि०)	25.11.89	अन्य पिछड़ा वर्ग	अ०पि०व०/उ० महिला	-	-	106/12/ई०-2/11-12 दिनांक 24.07.13	787/28 व्यघ-सामान्य/13 दिनांक 30.08.2013	
933	236	दीपा	सुरेश कुमार	कनिष्ठ अभियन्ता (सि०)	01.08.89	अनुसूचित जाति	अनु०जाति/उ० महिला	-	-	106/12/ई०-2/11-12 दिनांक 24.07.13	723/28 व्यघ-सामान्य/13 दिनांक 01.08.2013	
934	237	शिल्पा	अमर सिंह	कनिष्ठ अभियन्ता (सि०)	17.07.87	अनुसूचित जाति	अनु०जाति/उ० महिला	-	-	106/12/ई०-2/11-12 दिनांक 24.07.13	723/28 व्यघ-सामान्य/13 दिनांक 01.08.2013	
935	238	राखी	स्व० रणजीत सिंह	कनिष्ठ अभियन्ता (सि०)	09.01.90	अनुसूचित जाति	अनु०जाति/उ० महिला	-	-	106/12/ई०-2/11-12 दिनांक 24.07.13	723/28 व्यघ-सामान्य/13 दिनांक 01.08.2013	
936		रणजीत बहादुर	श्री काशीनाथ	कनिष्ठ अभियन्ता (सि०)	15.09.72	सामान्य	सामान्य/विकलांग	-	-	विनियमितकरण नियमावली 2013 के अन्तर्गत विनियमितीकरण किया गया।	1498/145 व्यघ-सामान्य/16 दिनांक 28.10.16	
937		अनुशग बिष्ट	श्री बालग सिंह बिष्ट	कनिष्ठ अभियन्ता (सि०)	18.11.79	सामान्य	सामान्य	-	-	विनियमितकरण नियमावली 2013 के अन्तर्गत विनियमितीकरण किया गया।	1498/145 व्यघ-सामान्य/16 दिनांक 28.10.16	
938		अनुपमा डोमाल	श्री दिनेश चन्द्र डोमाल	कनिष्ठ अभियन्ता (सि०)	26.06.80	सामान्य	सामान्य/महिला	-	-	विनियमितकरण नियमावली 2013 के अन्तर्गत विनियमितीकरण किया गया।	1498/145 व्यघ-सामान्य/16 दिनांक 28.10.16	
939		निधि पुण्डीर	श्री तीर्थ सिंह नेगी	कनिष्ठ अभियन्ता (सि०)	12.08.80	सामान्य	सामान्य/महिला	-	-	विनियमितकरण नियमावली 2013 के अन्तर्गत विनियमितीकरण किया गया।	1498/145 व्यघ-सामान्य/16 दिनांक 28.10.16	

(Signature)

ज्वेष्ठता क्रमांक	लोक सेवा आयोग का क्रमांक	नाम (सर्व श्री/श्रीमती/शु0)	पिता का नाम (सर्व श्री)	पदनाम	जन्मतिथि	जाति	श्रेणी जिसके अन्तर्गत वर्गन हुआ है।	पौषक संदर्भ में शैक्षिक विधुक्ति की तिथि	पौषक संदर्भ का ज्वेष्ठता क्रमांक	लोक सेवा आयोग का पत्रांक	कनिष्ठ अभियन्ता के पद पर विमान में नियुक्ति/ पदोन्नति का पत्रांक	टिप्पणी
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
940		अंजली जोशी	श्री जगदीश चन्द्र गरुरानी	कनिष्ठ अभियन्ता (सि0)	31.05.81	सामान्य	सामान्य	-	-	विनियमितकरण नियमावली 2013 के अन्तर्गत विनियमितीकरण किया गया।	1498/145 व्यध-सामान्य/16 दिनांक 28.10.16	
941		मकान लाल	श्री धनपति लाल	कनिष्ठ अभियन्ता (सि0)	10.06.81	अनुसूचित जाति	अनुसूचित जाति	-	-	विनियमितकरण नियमावली 2013 के अन्तर्गत विनियमितीकरण किया गया।	1498/145 व्यध-सामान्य/16 दिनांक 28.10.16	
942		कीर्ति उनियाल	श्री सी0बी0 उनियाल	कनिष्ठ अभियन्ता (सि0)	24.06.82	सामान्य	सामान्य/ महिला	-	-	विनियमितकरण नियमावली 2013 के अन्तर्गत विनियमितीकरण किया गया।	1498/145 व्यध-सामान्य/16 दिनांक 28.10.16	
943		मनोज कुमार	श्री चन्दन सिंह	कनिष्ठ अभियन्ता (सि0)	01.01.83	अनुसूचित जाति	अनुसूचित जाति	-	-	विनियमितकरण नियमावली 2013 के अन्तर्गत विनियमितीकरण किया गया।	1498/145 व्यध-सामान्य/16 दिनांक 28.10.16	
944		संगीता रावत	पत्नी श्री कलमेन्द सिंह	कनिष्ठ अभियन्ता (सि0)	19.05.83	सामान्य	सामान्य	-	-	विनियमितकरण नियमावली 2013 के अन्तर्गत विनियमितीकरण किया गया।	1498/145 व्यध-सामान्य/16 दिनांक 28.10.16	
945		सुकौंति राठौर	पति श्री सुधीर सिंह राठौर	कनिष्ठ अभियन्ता (सि0)	20.06.83	सामान्य	सामान्य/ महिला	-	-	विनियमितकरण नियमावली 2013 के अन्तर्गत विनियमितीकरण किया गया।	1498/145 व्यध-सामान्य/16 दिनांक 28.10.16	
946		पूनम बिष्ट	श्री वीरेन्द्र सिंह बिष्ट	कनिष्ठ अभियन्ता (सि0)	24.06.83	सामान्य	सामान्य	-	-	विनियमितकरण नियमावली 2013 के अन्तर्गत विनियमितीकरण किया गया।	1498/145 व्यध-सामान्य/16 दिनांक 28.10.16	
947		बालकृष्ण	श्री जोगेन्द्र कुमार	कनिष्ठ अभियन्ता (सि0)	02.09.83	अनुसूचित जाति	अनुसूचित जाति	-	-	विनियमितकरण नियमावली 2013 के अन्तर्गत विनियमितीकरण किया गया।	1498/145 व्यध-सामान्य/16 दिनांक 28.10.16	

अपेक्षित क्रमांक	लोक सेवा आयोग का क्रमांक	नाम (श्री/श्रीमती/श्री/श्री)	पिता का नाम (श्री/श्री)	पदनाम	जन्मतिथि	जाति	कैसी जिसके अन्तर्गत वर्ण हुआ है।	पोषक संवर्ग में मौलिक नियुक्ति की तिथि	पोषक संवर्ग का अपेक्षित क्रमांक	लोक सेवा आयोग का पत्रांक	कनिष्ठ अभियन्ता के पद पर विमान में नियुक्ति/ पदोन्नति का पत्रांक	टिप्पणी
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
948		मंजू	श्री संसार सिंह	कनिष्ठ अभियन्ता (सि०)	26.11.83	अनुसूचित जाति	अनुसूचित जाति	-	-	विनियमितकरण नियमावली 2013 के अन्तर्गत विनियमितीकरण किया गया।	1608/145 व्यध-सामान्य/16 दिनांक 08.12.16	
949		अंजना डिमरी	श्री रमेश चन्द	कनिष्ठ अभियन्ता (सि०)	01.01.84	सामान्य	सामान्य	-	-	विनियमितकरण नियमावली 2013 के अन्तर्गत विनियमितीकरण किया गया।	1498/145 व्यध-सामान्य/16 दिनांक 28.10.16	
950		सुकम सिंह चौहान	श्री सुरत सिंह चौहान	कनिष्ठ अभियन्ता (सि०)	05.01.84	अनुसूचित जनजाति	अनुसूचित जनजाति	-	-	विनियमितकरण नियमावली 2013 के अन्तर्गत विनियमितीकरण किया गया।	1538/145 व्यध-सामान्य/16 दिनांक 10.11.16	
951		अजीत सत्संगी	श्री सुभाष कुमार सत्संगी	कनिष्ठ अभियन्ता (सि०)	01.08.84	अनुसूचित जाति	अनुसूचित जाति	-	-	विनियमितकरण नियमावली 2013 के अन्तर्गत विनियमितीकरण किया गया।	1498/145 व्यध-सामान्य/16 दिनांक 28.10.16	
952		अजय कुमार	श्री नाथी राम	कनिष्ठ अभियन्ता (सि०)	04.12.84	अन्य पिछड़ा वर्ग	अन्य पिछड़ा वर्ग	-	-	विनियमितकरण नियमावली 2013 के अन्तर्गत विनियमितीकरण किया गया।	1538/145 व्यध-सामान्य/16 दिनांक 10.11.16	
953		पूजा अंसवाल	श्री मातबर सिंह राड़ियाल	कनिष्ठ अभियन्ता (सि०)	02.02.85	सामान्य	सामान्य	-	-	विनियमितकरण नियमावली 2013 के अन्तर्गत विनियमितीकरण किया गया।	1498/145 व्यध-सामान्य/16 दिनांक 28.10.16	
954		सुमन बिष्ट	श्री ललित मोहन	कनिष्ठ अभियन्ता (सि०)	19.07.85	सामान्य	सामान्य	-	-	विनियमितकरण नियमावली 2013 के अन्तर्गत विनियमितीकरण किया गया।	1498/145 व्यध-सामान्य/16 दिनांक 28.10.16	
955		कमल साह	श्री गोविन्द लाल साह	कनिष्ठ अभियन्ता (सि०)	05.08.85	सामान्य	सामान्य	-	-	विनियमितकरण नियमावली 2013 के अन्तर्गत विनियमितीकरण किया गया।	1498/145 व्यध-सामान्य/16 दिनांक 28.10.16	
956		पूजा नेगी	श्री राजेन्द्र सिंह नेगी	कनिष्ठ अभियन्ता (सि०)	14.11.85	सामान्य	सामान्य	-	-	विनियमितकरण नियमावली 2013 के अन्तर्गत विनियमितीकरण किया गया।	1498/145 व्यध-सामान्य/16 दिनांक 28.10.16	

ज्येष्ठता क्रमांक	लोक सेवा आयोग का क्रमांक	नाम (सर्व श्री/श्रीमती/कु)	पिता का नाम (सर्व श्री)	मरणस्थान	जन्मतिथि	जाति	केन्द्रीय जिसके अन्तर्गत प्रवेश हुआ है।	पौषक संवर्धन में मौलिक विद्युक्ति की स्थिति	पौषक संवर्धन का ज्येष्ठता क्रमांक	लोक सेवा आयोग का पत्रांक	कनिष्ठ अभियन्ता के पद पर किमान में निश्चित/ चयनित का पत्रांक	दिप्पती
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
957		मातवर सिंह रावत	श्री बादर सिंह	कनिष्ठ अभियन्ता (सि०)	15.05.74	अनुसूचित जनजाति	अनुसूचित जनजाति	-	-	विनियमितकरण नियमावली 2013 के अन्तर्गत विनियमितीकरण किया गया।	1498/145 व्यघ-सामान्य/16 दिनांक 28.10.16	
958		अशोक सिंह	श्री रामेन्द्र प्रताप सिंह	कनिष्ठ अभियन्ता (सि०)	07.10.74	सामान्य	सामान्य	-	-	विनियमितकरण नियमावली 2013 के अन्तर्गत विनियमितीकरण किया गया।	1498/145 व्यघ-सामान्य/16 दिनांक 28.10.16	
959		सन्तोष पन्त	श्री गोपालदत्त पन्त	कनिष्ठ अभियन्ता (सि०)	30.08.82	सामान्य	सामान्य	-	-	विनियमितकरण नियमावली 2013 के अन्तर्गत विनियमितीकरण किया गया।	1498/145 व्यघ-सामान्य/16 दिनांक 28.10.16	
960		कुसुमलता तिवारी	श्री कशवानन्द मट्ट /	कनिष्ठ अभियन्ता (सि०)	29.04.83	सामान्य	सामान्य	-	-	विनियमितकरण नियमावली 2013 के अन्तर्गत विनियमितीकरण किया गया।	1498/145 व्यघ-सामान्य/16 दिनांक 28.10.16	
961		प्रदीप कुमार नेगी	श्री यशपाल सिंह नेगी	कनिष्ठ अभियन्ता (सि०)	10.09.84	सामान्य	सामान्य	-	-	विनियमितकरण नियमावली 2013 के अन्तर्गत विनियमितीकरण किया गया।	1538/145 व्यघ-सामान्य/16 दिनांक 10.11.16	
962		शैलेन्द्र सिंह	श्री गोपाल सिंह	कनिष्ठ अभियन्ता (सि०)	07.02.85	सामान्य	सामान्य	-	-	विनियमितकरण नियमावली 2013 के अन्तर्गत विनियमितीकरण किया गया।	1498/145 व्यघ-सामान्य/16 दिनांक 28.10.16	
963		प्रियंका पुण्डीर	पति श्री राजेन्द्र सिंह पुण्डीर	कनिष्ठ अभियन्ता (सि०)	20.04.85	सामान्य	सामान्य	-	-	विनियमितकरण नियमावली 2013 के अन्तर्गत विनियमितीकरण किया गया।	1498/145 व्यघ-सामान्य/16 दिनांक 28.10.16	
964		प्रदीप मट्टा	श्री मंगल सिंह	कनिष्ठ अभियन्ता (सि०)	15.06.85	सामान्य	सामान्य	-	-	विनियमितकरण नियमावली 2013 के अन्तर्गत विनियमितीकरण किया गया।	1498/145 व्यघ-सामान्य/16 दिनांक 28.10.16	

Am

20/10/16

अवस्थापक कर्मचारी	लोक सेवा आयोग का कर्मचारी	नाम (श्री/श्री/श्री/श्री/श्री/श्री)	पिता का नाम (श्री/श्री)	पदनाम	जन्मतिथि	जाति	श्रेणी जिसके अन्तर्गत प्रवेश हुआ है।	सर्वोच्च सैनिक नियुक्ति की तिथि	सर्वोच्च सैनिक सर्वोच्च का अवस्थापक कर्मचारी	लोक सेवा आयोग का पत्रांक	कनिष्ठ अभियन्ता के पद पर विमान में नियुक्ति/ पदोन्नति का पत्रांक	टिप्पणी
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
965		मनीष कोटियाल	श्री प्यारे लाल कोटियाल	कनिष्ठ अभियन्ता (सि0)	30.06.85	सामान्य	सामान्य	-	-	विनियमितकरण नियमावली 2013 के अन्तर्गत विनियमितकरण किया गया।	1498/145 व्य-सामान्य/16 दिनांक 28.10.16	
966		भूपेन्द्र सिंह रावत	श्री एस0 एस0 रावत	कनिष्ठ अभियन्ता (सि0)	18.08.85	सामान्य	सामान्य	-	-	विनियमितकरण नियमावली 2013 के अन्तर्गत विनियमितकरण किया गया।	1498/145 व्य-सामान्य/16 दिनांक 28.10.16	
967		अर्जुन सिंह राणा	श्री जित सिंह राणा	कनिष्ठ अभियन्ता (सि0)	04.10.85	सामान्य/F F	सामान्य/FF	-	-	विनियमितकरण नियमावली 2013 के अन्तर्गत विनियमितकरण किया गया।	1498/145 व्य-सामान्य/16 दिनांक 28. 10.16	
968		सन्तोष कुमार	श्री रुद्र प्रकाश	कनिष्ठ अभियन्ता (सि0)	24.11.85	अनुसूचित जाति	अनुसूचित जाति	-	-	विनियमितकरण नियमावली 2013 के अन्तर्गत विनियमितकरण किया गया।	1498/145 व्य-सामान्य/16 दिनांक 28. 10.16	
969		राधिका चिल्लियाल	श्री आर0पी0 चिल्लियाल	कनिष्ठ अभियन्ता (सि0)	22.12.85	सामान्य	सामान्य	-	-	विनियमितकरण नियमावली 2013 के अन्तर्गत विनियमितकरण किया गया।	1498/145 व्य-सामान्य/16 दिनांक 28. 10.16	
970		पूजा	श्री राजेन्द्र सिंह	कनिष्ठ अभियन्ता (सि0)	11.03.86	सामान्य	सामान्य	-	-	विनियमितकरण नियमावली 2013 के अन्तर्गत विनियमितकरण किया गया।	1498/145 व्य-सामान्य/16 दिनांक 28. 10.16	
971		विश्वजीत खत्री	श्री कुंवर सिंह खत्री	कनिष्ठ अभियन्ता (सि0)	21.06.86	सामान्य	सामान्य	-	-	विनियमितकरण नियमावली 2013 के अन्तर्गत विनियमितकरण किया गया।	1498/145 व्य-सामान्य/16 दिनांक 28. 10.16	
972		मीनाक्षी नेगी	श्री विक्रम सिंह नेगी	कनिष्ठ अभियन्ता (सि0)	22.06.86	सामान्य	सामान्य	-	-	विनियमितकरण नियमावली 2013 के अन्तर्गत विनियमितकरण किया गया।	1498/145 व्य-सामान्य/16 दिनांक 28. 10.16	

उम्मेदवार क्रमांक	लोक सेवा आयोग का क्रमांक	नाम (सर्व श्री/श्रीमती /शुभ)	पिता का नाम (सर्व श्री)	पदनाम	जन्मतिथि	जाति	श्रेणी जिसके अन्तर्गत चयन हुआ है।	प्रेषक सर्व में मौलिक नियुक्ति की तिथि	प्रेषक सर्व का उम्मेदवार क्रमांक	लोक सेवा आयोग का पत्रांक	कनिष्ठ अभियन्ता के पद पर विभाग में नियुक्ति/ पदोन्नति का पत्रांक	टिप्पणी
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
973	1	अनूप कुमार सकलानी	श्री टी०एल० सकलानी	कनिष्ठ अभियन्ता (सि०)	04.10.66	सामान्य	सामान्य	18.10.90	772	27/09/ई-2/लो०नि०वि०/कनि०अभि०/पदों/20 15-16 दिनांक 25.04.2017	851/20 व्यध-सामान्य/11 दिनांक 21.05.2011 द्वारा तदर्थ पदोन्नत।	आयोग द्वारा वर्ष 2011-12 हेतु चयन किया गया है।
974	2	सन्दीप वर्मा	स्व० श्री यशपाल सिंह वर्मा	कनिष्ठ अभियन्ता (सि०)	17.08.72	सामान्य	सामान्य	30.08.91	808	27/09/ई-2/लो०नि०वि०/कनि०अभि०/पदों/20 15-16 दिनांक 25.04.2017	पत्र संख्या-1174/20 व्यध-सामान्य/11 दिनांक 13. 08.2010 द्वारा तदर्थ पदोन्नत।	आयोग द्वारा वर्ष 2011-12 हेतु चयन किया गया है।
975	3	दिनेश सिंह	श्री हिम्मत सिंह	कनिष्ठ अभियन्ता (सि०)	16.07.76	सामान्य	सामान्य	31.01.96	979	27/09/ई-2/लो०नि०वि०/कनि०अभि०/पदों/20 15-16 दिनांक 25.04.2017	पत्र संख्या- 1335/20 व्यध-सामान्य/10 दिनांक 20. 08.11 द्वारा तदर्थ पदोन्नत।	आयोग द्वारा वर्ष 2011-12 हेतु चयन किया गया है।
976	4	संजय भारद्वाज	स्व० श्री विजय राम भारद्वाज	कनिष्ठ अभियन्ता (सि०)	06.05.79	सामान्य	सामान्य	06.11.97	169	27/09/ई-2/लो०नि०वि०/कनि०अभि०/पदों/20 15-16 दिनांक 25.04.2017	पत्र संख्या-851/20 व्यध-सामान्य/11 दिनांक 21. 05.2011 द्वारा तदर्थ पदोन्नत।	आयोग द्वारा वर्ष 2011-12 हेतु चयन किया गया है।
977	5	हिमांशु पाण्डे	स्व० श्री महेश चन्द	कनिष्ठ अभियन्ता (सि०)	23.01.79	सामान्य	सामान्य	02.05.98	64	27/09/ई-2/लो०नि०वि०/कनि०अभि०/पदों/20 15-16 दिनांक 25.04.2017	851/20 व्यध-सामान्य/11 दिनांक 21.05.2011 द्वारा तदर्थ पदोन्नत।	आयोग द्वारा वर्ष 2011-12 हेतु चयन किया गया है।
978	6	विनोद कुमार रतूड़ी	स्व० श्री चिन्तामणी रतूड़ी	कनिष्ठ अभियन्ता (सि०)	10.06.68	सामान्य	सामान्य	10.12.99	1015	27/09/ई-2/लो०नि०वि०/कनि०अभि०/पदों/20 15-16 दिनांक 25.04.2017	851/20 व्यध-सामान्य/11 दिनांक 21.05.2011 द्वारा तदर्थ पदोन्नत।	आयोग द्वारा वर्ष 2011-12 हेतु चयन किया गया है।
979	7	ललित मोहन खत्री	स्व० श्री कुन्दन सिंह खत्री	कनिष्ठ अभियन्ता (सि०)	02.01.76	सामान्य	सामान्य	16.12.99	1016	27/09/ई-2/लो०नि०वि०/कनि०अभि०/पदों/20 15-16 दिनांक 25.04.2017	1223/20 व्यध-सामान्य/10 दिनांक 30.07.11 द्वारा तदर्थ पदोन्नत।	आयोग द्वारा वर्ष 2011-12 हेतु चयन किया गया है।

लोक सेवा आयोग का क्रमांक	लोक सेवा आयोग का क्रमांक	नाम (सर्व श्री/श्रीमती/कुंज)	पिता का नाम (सर्व श्री)	वदनाम	जन्मतिथि	जाति	श्रेणी जिसके अन्तर्गत चयन हुआ है।	पोषक संदर्भ व मौखिक निवृत्ति की तिथि	पोषक संदर्भ का ज्ञेयता क्रमांक	लोक सेवा आयोग का पत्रांक	कनिष्ठ अभियन्ता के पद पर विमान में नियुक्ति/ पदोन्नति का पत्रांक	टिप्पणी
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
980	8	आशीष मित्तल	श्री मनमोहन सिंह	कनिष्ठ अभियन्ता (सि०)	29.12.81	सामान्य	सामान्य	19.01.2000	1021	27/09/ई-2/लो०नि०वि०/कनि०अभि०/पदों/2015-16 दिनांक 25.04.2017	1086/20 व्यघ-सामान्य/11 दिनांक 02.07.11 द्वारा तदर्थ पदोन्नत।	आयोग द्वारा वर्ष 2011-12 हेतु चयन किया गया है।
981	9	सन्दीप कुमार	श्री जयपाल	कनिष्ठ अभियन्ता (सि०)	01.01.79	सामान्य	सामान्य	01.09.2000	1032	27/09/ई-2/लो०नि०वि०/कनि०अभि०/पदों/2015-16 दिनांक 25.04.2017	1335/20 व्यघ-सामान्य/11 दिनांक 20.08.11 द्वारा तदर्थ पदोन्नत।	आयोग द्वारा वर्ष 2011-12 हेतु चयन किया गया है।
982	10	योगेश तटराडी	स्व० श्री नारायण दत्त	कनिष्ठ अभियन्ता (सि०)	03.08.75	सामान्य	सामान्य	10.09.93	865	27/09/ई-2/लो०नि०वि०/कनि०अभि०/पदों/2015-16 दिनांक 25.04.2017	1329/20 व्यघ-सामान्य/11 दिनांक 21.07.14 द्वारा तदर्थ पदोन्नत।	आयोग द्वारा वर्ष 2012-13 हेतु चयन किया गया है।
983	11	सत्येन्द्र सिंह परमार	श्री खेमराज सिंह	कनिष्ठ अभियन्ता (सि०)	10.09.76	सामान्य	सामान्य	29.08.96	1106	27/09/ई-2/लो०नि०वि०/कनि०अभि०/पदों/2015-16 दिनांक 25.04.2017	1329/20 व्यघ-सामान्य/11 दिनांक 21.07.14 द्वारा तदर्थ पदोन्नत।	आयोग द्वारा वर्ष 2012-13 हेतु चयन किया गया है।
984	12	योगेन्द्र सिंह	श्री सुन्दर सिंह नेगी	कनिष्ठ अभियन्ता (सि०)	05.05.75	सामान्य	सामान्य	01.06.99	88	27/09/ई-2/लो०नि०वि०/कनि०अभि०/पदों/2015-16 दिनांक 25.04.2017	1329/20 व्यघ-सामान्य/11 दिनांक 21.07.14 द्वारा तदर्थ पदोन्नत।	आयोग द्वारा वर्ष 2013-14 हेतु चयन किया गया है।
985	13	आशीष अरोड़ा	श्री नारायण दास	कनिष्ठ अभियन्ता (सि०)	18.09.81	सामान्य	सामान्य	28.05.03	1068	27/09/ई-2/लो०नि०वि०/कनि०अभि०/पदों/2015-16 दिनांक 25.04.2017	1329/20 व्यघ-सामान्य/11 दिनांक 21.07.14 द्वारा तदर्थ पदोन्नत।	आयोग द्वारा वर्ष 2013-14 हेतु चयन किया गया है।
986	14	सत्यप्रकाश	श्री जानकी प्रसाद	कनिष्ठ अभियन्ता (सि०)	16.12.64	अनुसूचित जाति	सामान्य	23.08.84	639	27/09/ई-2/लो०नि०वि०/कनि०अभि०/पदों/2015-16 दिनांक 25.04.2017	1329/20 व्यघ-सामान्य/11 दिनांक 21.07.14 द्वारा तदर्थ पदोन्नत।	आयोग द्वारा वर्ष 2014-15 हेतु चयन किया गया है।

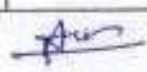
ज्येष्ठता क्रमांक	लोक सेवा आयोग का क्रमांक	नाम (सर्व श्री/श्रीमती/श्री)	पिता का नाम (सर्व श्री)	पदनाम	जन्मदिनांक	जाति	श्रेणी जिसको अन्तर्गत चयन हुआ है।	लोक सेवा में नौकरियाँ की तिथि	पेशा संदर्भ का ज्येष्ठता क्रमांक	लोक सेवा आयोग का पत्रांक	कनिष्ठ अभियन्ता के पद पर विमान में नियुक्ति/ पदोन्नति का पत्रांक	टिप्पणी
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
987	15	वन्द लाल भारती	श्री खिमा	कनिष्ठ अभियन्ता (सि०)	10.08.70	अनुसूचित जाति	सामान्य	14.08.97	163	27/09/ई-2/लो०नि०वि०/कनि०अभि०/पदो/20 15-16 दिनांक 25.04.2017	1329/20 व्यघ-सामान्य/11 दिनांक 21.07.14 द्वारा तदर्थ पदोन्नत।	आयोग द्वारा वर्ष 2014-15 हेतु चयन किया गया है।
988	16	बलवन्त सिंह दानू	स्व० श्री भगत सिंह	कनिष्ठ अभियन्ता (सि०)	01.05.75	सामान्य	सामान्य	28.09.98	80	27/09/ई-2/लो०नि०वि०/कनि०अभि०/पदो/20 15-16 दिनांक 25.04.2017	1329/20 व्यघ-सामान्य/11 दिनांक 21.07.14 द्वारा तदर्थ पदोन्नत।	आयोग द्वारा वर्ष 2014-15 हेतु चयन किया गया है।
989	17	अतुल कुमार राना	स्व० श्री ओम घाल सिंह राना	कनिष्ठ अभियन्ता (सि०)	01.07.75	सामान्य	सामान्य	20.05.03	1065	27/09/ई-2/लो०नि०वि०/कनि०अभि०/पदो/20 15-16 दिनांक 25.04.2017	1329/20 व्यघ-सामान्य/11 दिनांक 21.07.14 द्वारा तदर्थ पदोन्नत।	आयोग द्वारा वर्ष 2014-15 हेतु चयन किया गया है।
990	18	भीम सिंह महर	श्री अब्बल सिंह महर	कनिष्ठ अभियन्ता (सि०)	05.01.78	सामान्य	सामान्य	13.06.03	1069	27/09/ई-2/लो०नि०वि०/कनि०अभि०/पदो/20 15-16 दिनांक 25.04.2017	1329/20 व्यघ-सामान्य/11 दिनांक 21.07.14 द्वारा तदर्थ पदोन्नत।	आयोग द्वारा वर्ष 2014-15 हेतु चयन किया गया है।
991	1	नवनीत कुमार त्यागी	स्व० श्री जगन्नाथ त्यागी	कनिष्ठ अभियन्ता (सि०)	29.04.74	सामान्य	सामान्य	05.02.94	879	27/09/ई-2/लो०नि०वि०/कनि०अभि०/पदो/20 15-16 दिनांक 25.04.2017	277/20 व्यघ-सामान्य/17 दिनांक 03.05.17 द्वारा पदोन्नत।	आयोग द्वारा वर्ष 2015-16 हेतु चयन किया गया है।
992	2	श्री राजवर सिंह लिंगवाल	श्री दीन दयाल सिंह	कनिष्ठ अभियन्ता (सि०)	20.12.69	अन्य पिछड़ा वर्ग	सामान्य	24.07.95	952	27/09/ई-2/लो०नि०वि०/कनि०अभि०/पदो/20 15-16 दिनांक 25.04.2017	277/20 व्यघ-सामान्य/17 दिनांक 03.05.17 द्वारा पदोन्नत।	आयोग द्वारा वर्ष 2015-16 हेतु चयन किया गया है।





प्रेषण क्रमांक	लोक सेवा आयोग का क्रमांक	नाम (लव शी/श्रीमती/कु)	शिता का नाम (लव शी)	वदनाम	जन्मदिनि	जाति	शेपी जिससे अनर्गत घन हूया है।	पोषक सवर्ग में मौलिक नियुक्ति की दिनि	पोषक सवर्ग का ज्येष्ठता क्रमांक	लोक सेवा आयोग का पत्रांक	कनिष्ठ अभियन्ता के पद पर शिमान न नियुक्ति/ पदोन्नति का पत्रांक	दिन्या
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
993	4	मनोज कुमार	श्री धर्मानन्द नीगाइ	कनिष्ठ अभियन्ता (सि)	15.04.79	सामान्य	सामान्य	05.09.01	107	27/09/ई-2/लोनिवि/कनिअभि/पदो/20 15-16 दिनांक 25.04.2017	277/20 व्यघ-सामान्य/17 दिनांक 03.05.17 द्वारा पदोन्नत।	आयोग द्वारा वर्ष 2015-16 हेतु चयन किया गया है।
994	5	आशीष सेमवाल	स्वो श्री बिजेन्द्र प्रसाद सेमवाल	कनिष्ठ अभियन्ता (सि)	26.08.82	सामान्य	सामान्य	16.07.03	1074	27/09/ई-2/लोनिवि/कनिअभि/पदो/20 15-16 दिनांक 25.04.2017	277/20 व्यघ-सामान्य/17 दिनांक 03.05.17 द्वारा पदोन्नत।	आयोग द्वारा वर्ष 2015-16 हेतु चयन किया गया है।
995	6	स्वतन्त्र कुमार	श्री तोता राम	कनिष्ठ अभियन्ता (सि)	02.07.84	अनुसूचित जाति	सामान्य	07.08.03	1078	27/09/ई-2/लोनिवि/कनिअभि/पदो/20 15-16 दिनांक 25.04.2017	277/20 व्यघ-सामान्य/17 दिनांक 03.05.17	आयोग द्वारा वर्ष 2015-16 हेतु चयन किया गया है।
996	7	श्री सुभाष चन्द्र बिजलवाण	श्री सूरज माणी बिजलवाण	कनिष्ठ अभियन्ता (सि)	21.09.73	सामान्य	सामान्य	25.08.04	1184	27/09/ई-2/लोनिवि/कनिअभि/पदो/20 15-16 दिनांक 25.04.2017	277/20 व्यघ-सामान्य/17 दिनांक 03.05.17 द्वारा पदोन्नत।	आयोग द्वारा वर्ष 2015-16 हेतु चयन किया गया है।
997	8	आलोक कुमार शर्मा	स्वो श्री दगोदर प्रसाद शर्मा	कनिष्ठ अभियन्ता (सि)	20.05.83	सामान्य	सामान्य	17.03.05	1100	27/09/ई-2/लोनिवि/कनिअभि/पदो/20 15-16 दिनांक 25.04.2017	277/20 व्यघ-सामान्य/17 दिनांक 03.05.17 द्वारा पदोन्नत।	आयोग द्वारा वर्ष 2015-16 हेतु चयन किया गया है।
998	9	ललित मोहन बिष्ट	स्वो श्री मोहन सिंह बिष्ट	कनिष्ठ अभियन्ता (सि)	01.07.86	सामान्य	सामान्य	07.05.05	178	27/09/ई-2/लोनिवि/कनिअभि/पदो/20 15-16 दिनांक 25.04.2017	277/20 व्यघ-सामान्य/17 दिनांक 03.05.17 द्वारा पदोन्नत।	आयोग द्वारा वर्ष 2015-16 हेतु चयन किया गया है।
999	10	विपिन धूलिया	स्वो श्री दिनेश चन्द्र धूलिया	कनिष्ठ अभियन्ता (सि)	01.07.81	सामान्य	सामान्य	06.10.05	1156	27/09/ई-2/लोनिवि/कनिअभि/पदो/20 15-16 दिनांक 25.04.2017	277/20 व्यघ-सामान्य/17 दिनांक 03.05.17 द्वारा पदोन्नत।	आयोग द्वारा वर्ष 2015-16 हेतु चयन किया गया है।

ज्येष्ठता क्रमांक	लोक सेवा आयोग का क्रमांक	नाम (सर्व श्री / श्रीमती / कुल)	पिता का नाम (सर्व श्री)	पदनाम	जन्मतिथि	जाति	सेवा जिसके अन्तर्गत प्रयत्न हुआ है।	प्रोपक सर्वर में नैतिक नियुक्ति की तिथि	प्रोपक सर्वर का ज्येष्ठता क्रमांक	लोक सेवा आयोग का पत्रांक	कनिष्ठ अभियन्ता के पद पर रिमान में नियुक्ति/ पदोन्नति का पत्रांक	टिप्पणी
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1000	11	शीलेन्द्र प्रसाद तिवारी	स्व. श्री जय शंकर प्रसाद तिवारी	कनिष्ठ अभियन्ता (सि०)	08.08.87	सामान्य	सामान्य	24.10.05	128	27/09/ई-2/लो०नि०वि०/कनि०अभि०/पदों/2015-16 दिनांक 25.04.2017	277/20 व्यघ-सामान्य/17 दिनांक 03.05.17 द्वारा पदोन्नत।	आयोग द्वारा वर्ष 2015-16 हेतु चयन किया गया है।
1001	12	महेन्द्र सिंह दवाण	स्व. श्री शेर सिंह दवाण	कनिष्ठ अभियन्ता (सि०)	15.07.76	सामान्य	सामान्य	31.12.05	1185	27/09/ई-2/लो०नि०वि०/कनि०अभि०/पदों/2015-16 दिनांक 25.04.2017	277/20 व्यघ-सामान्य/17 दिनांक 03.05.17 द्वारा पदोन्नत।	आयोग द्वारा वर्ष 2015-16 हेतु चयन किया गया है।
1002	13	श्रुति बेलवाल	श्री वृजमोहन अग्रवाल	कनिष्ठ अभियन्ता (सि०)	14.01.86	सामान्य	सामान्य/महिला	05.06.06	138	27/09/ई-2/लो०नि०वि०/कनि०अभि०/पदों/2015-16 दिनांक 25.04.2017	277/20 व्यघ-सामान्य/17 दिनांक 03.05.17 द्वारा पदोन्नत।	आयोग द्वारा वर्ष 2015-16 हेतु चयन किया गया है।
1003	14	अरविन्द सिंह रावत	स्व. श्री चैन सिंह रावत	कनिष्ठ अभियन्ता (सि०)	20.12.82	अन्य पिछड़ा वर्ग	सामान्य	10.01.08	1168	27/09/ई-2/लो०नि०वि०/कनि०अभि०/पदों/2015-16 दिनांक 25.04.2017	277/20 व्यघ-सामान्य/17 दिनांक 03.05.17 द्वारा पदोन्नत।	आयोग द्वारा वर्ष 2015-16 हेतु चयन किया गया है।
1004	15	प्रदीप सिंह शाही	श्री भरत सिंह शाही	कनिष्ठ अभियन्ता (सि०)	16.07.85	सामान्य	सामान्य	25.02.08	1189	27/09/ई-2/लो०नि०वि०/कनि०अभि०/पदों/2015-16 दिनांक 25.04.2017	277/20 व्यघ-सामान्य/17 दिनांक 03.05.17 द्वारा पदोन्नत।	आयोग द्वारा वर्ष 2015-16 हेतु चयन किया गया है।
1005	16	सुरेन्द्र सिंह	श्री जगू सिंह	कनिष्ठ अभियन्ता (सि०)	28.04.81	अनुसूचित जाति	सामान्य	05.03.08	142	27/09/ई-2/लो०नि०वि०/कनि०अभि०/पदों/2015-16 दिनांक 25.04.2017	277/20 व्यघ-सामान्य/17 दिनांक 03.05.17 द्वारा पदोन्नत।	आयोग द्वारा वर्ष 2015-16 हेतु चयन किया गया है।

प्रवेष्टता क्रमिक	लोक सेवा आयोग का क्रमिक	नाम (सर्व श्री/श्रीमती /कुल)	पिता का नाम (सर्व श्री)	पदनाम	जनतिथि	जाति	श्रेणी जिसके अन्तर्गत चयन हुआ है।	पोषक सार्व भौतिक नियुक्ति की तिथि	पोषक संघर्ष का प्रवेष्टता क्रमिक	लोक सेवा आयोग का पत्रांक	कनिष्ठ अभियन्ता के पद पर विभाग में नियुक्ति/ परीक्षा का पत्रांक	टिप्पणी
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1006	17	नरेश कुमार	स्व. श्री दिल्लू राम	कनिष्ठ अभियन्ता (सि०)	02.11.84	अनुसूचित जनजाति	सामान्य	01.08.09	203	27/09/ई-2/लो०नि०वि०/कनि०अभि०/पदो/20 15-16 दिनांक 25.04.2017	277/20 व्यघ-सामान्य/17 दिनांक 03.05.17 द्वारा पदोन्नत।	आयोग द्वारा वर्ष 2015-16 हेतु चयन किया गया है।
1007	78	ललित मोहन तिवारी	चैरव दत्त	कनिष्ठ अभियन्ता (सि०)	15.05.68	सामान्य	सामान्य	-	-	47/9/अतिगोपन/2002-03 दिनांक 15.05.2004	233/09 व्यघ-सामान्य/16 दिनांक 23.05.18 द्वारा संविलियन	शासन के पत्र संख्या- 610/111(1)/18-04 (99)/2013 दिनांक 12.05. 2018 द्वारा अनुमोदन प्राप्त
1008	79	विजेन्द्र सिंह पोखरिया	श्री कंशर सिंह पोखरिया	कनिष्ठ अभियन्ता (सि०)	15.06.69	सामान्य	सामान्य	-	-	47/9/अतिगोपन/2002-03 दिनांक 15.05.2004	233/09 व्यघ-सामान्य/16 दिनांक 23.05.18 द्वारा संविलियन	शासन के पत्र संख्या- 610/111(1)/18-04 (99)/2013 दिनांक 12.05. 2018 द्वारा अनुमोदन प्राप्त
1009	80	राज किशोर जोशी	श्री गोविन्द बल्लभ	कनिष्ठ अभियन्ता (सि०)	08.09.70	सामान्य	सामान्य	-	-	47/9/अतिगोपन/2002-03 दिनांक 15.05.2004	233/09 व्यघ-सामान्य/16 दिनांक 23.05.18 द्वारा संविलियन	शासन के पत्र संख्या- 610/111(1)/18-04 (99)/2013 दिनांक 12.05. 2018 द्वारा अनुमोदन प्राप्त
1010	81	तपेन्द्र कुमार गोयल	श्री पूरनमल गोयल	कनिष्ठ अभियन्ता (सि०)	18.08.69	सामान्य	सामान्य	-	-	47/9/अतिगोपन/2002-03 दिनांक 15.05.2004	233/09 व्यघ-सामान्य/16 दिनांक 23.05.18 द्वारा संविलियन	शासन के पत्र संख्या- 610/111(1)/18-04 (99)/2013 दिनांक 12.05. 2018 द्वारा अनुमोदन प्राप्त

[Handwritten signatures]

ज्येष्ठता क्रमांक	लोक सेवा आयोग का क्रमांक	नाम (सर्व श्री/श्रीमती/श्री)	पिता का नाम (सर्व श्री)	परनाम	जन्मतिथि	वर्ग	श्रेणी जिसके अन्तर्गत चयन हुआ है।	पौषक संवर्ष में मौलिक नियुक्ति की तिथि	पौषक संवर्ष का ज्येष्ठता क्रमांक	लोक सेवा आयोग का पत्रांक	कनिष्ठ अभियन्ता के पद पर विभाग में नियुक्ति/ परीक्षा का पत्रांक	टिप्पणी
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1011	82	राजेश्वर प्रसाद सती	श्री जीवनन्द सती	कनिष्ठ अभियन्ता (सि०)	18.11.67	सामान्य	सामान्य	—	—	47/9/अतिगोपन/2002-03 दिनांक 15.05.2004	233/09 व्यघ-सामान्य/16 दिनांक 23.05.18 द्वारा सविलियन	शासन के पत्र संख्या- 610/111(1)/18-04 (99)/2013 दिनांक 12.05.2018 द्वारा अनुमोदन प्राप्त
1012	83	राधा कन्ध पन्त	श्री शंकर दत्त पन्त	कनिष्ठ अभियन्ता (सि०)	20.6.68	सामान्य	सामान्य	—	—	47/9/अतिगोपन/2002-03 दिनांक 15.05.2004	233/09 व्यघ-सामान्य/16 दिनांक 23.05.18 द्वारा सविलियन	शासन के पत्र संख्या- 610/111(1)/18-04 (99)/2013 दिनांक 12.05.2018 द्वारा अनुमोदन प्राप्त
1013	84	हरीश कुमार	श्री बलकरन सिंह	कनिष्ठ अभियन्ता (सि०)	08.06.69	सामान्य	सामान्य	—	—	47/9/अतिगोपन/2002-03 दिनांक 15.05.2004	233/09 व्यघ-सामान्य/16 दिनांक 23.05.18 द्वारा सविलियन	शासन के पत्र संख्या- 610/111(1)/18-04 (99)/2013 दिनांक 12.05.2018 द्वारा अनुमोदन प्राप्त
1014	85	वासुदेव कुकरेती	श्री मायाराम	कनिष्ठ अभियन्ता (सि०)	01.01.71	सामान्य	सामान्य	—	—	47/9/अतिगोपन/2002-03 दिनांक 15.05.2004	233/09 व्यघ-सामान्य/16 दिनांक 23.05.18 द्वारा सविलियन	शासन के पत्र संख्या- 610/111(1)/18-04 (99)/2013 दिनांक 12.05.2018 द्वारा अनुमोदन प्राप्त
1015	86	मनीष कुमार	श्री मंगल दत्त शर्मा	कनिष्ठ अभियन्ता (सि०)	13.06.68	सामान्य	सामान्य	—	—	47/9/अतिगोपन/2002-03 दिनांक 15.05.2004	233/09 व्यघ-सामान्य/16 दिनांक 23.05.18 द्वारा सविलियन	शासन के पत्र संख्या- 610/111(1)/18-04 (99)/2013 दिनांक 12.05.2018 द्वारा अनुमोदन प्राप्त

[Signature]

[Signature]

ज्येष्ठता क्रमांक	लोक सेवा आयोग का क्रमांक	नाम (सर्व श्री/श्रीमती/कु)	पिता का नाम (सर्व श्री)	पदनाम	जन्मतिथि	जाति	श्रेणी जिसके अन्तर्गत चयन हुआ है।	पोषक संवर्ग में मौलिक नियुक्ति की तिथि	पोषक संवर्ग का ज्येष्ठता क्रमांक	लोक सेवा आयोग का पत्रांक	कनिष्ठ अभियन्ता के पद पर विभाग में नियुक्ति/ पदोन्नति का पत्रांक	टिप्पणी
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1016	89	प्रदीप कुमार जोशी	श्री युधिष्ठिर जोशी	कनिष्ठ अभियन्ता (सि०)	06.07.72	सामान्य	सामान्य	—	—	47/9/अतिगोपन/2002-03 दिनांक 15.05.2004	233/09 व्यघ-सामान्य/16 दिनांक 23.05.18 द्वारा संविलियन	शासन के पत्र संख्या- 610/।।।(1)/18-04 (99)/2013 दिनांक 12.05. 2018 द्वारा अनुमोदन प्राप्त
1017	90	हरीश सिंह	श्री देव सिंह	कनिष्ठ अभियन्ता (सि०)	01.07.70	सामान्य	सामान्य	—	—	47/9/अतिगोपन/2002-03 दिनांक 15.05.2004	233/09 व्यघ-सामान्य/16 दिनांक 23.05.18 द्वारा संविलियन	शासन के पत्र संख्या- 610/।।।(1)/18-04 (99)/2013 दिनांक 12.05. 2018 द्वारा अनुमोदन प्राप्त
1018	113	सुशील कुमार	श्री सुगन चन्द्र	कनिष्ठ अभियन्ता (सि०)	30.05.77	अन्य पिछड़ा वर्ग	अन्य पिछड़ा वर्ग	—	—	47/9/अतिगोपन/2002-03 दिनांक 15.05.2004	233/09 व्यघ-सामान्य/16 दिनांक 23.05.18 द्वारा संविलियन	शासन के पत्र संख्या- 610/।।।(1)/18-04 (99)/2013 दिनांक 12.05. 2018 द्वारा अनुमोदन प्राप्त
1019	114	शिव सिंह मेवाड	श्री सत्ये सिंह	कनिष्ठ अभियन्ता (सि०)	14.10.81	सामान्य	सामान्य	—	—	47/9/अतिगोपन/2002-03 दिनांक 15.05.2004	233/09 व्यघ-सामान्य/16 दिनांक 23.05.18 द्वारा संविलियन	शासन के पत्र संख्या- 610/।।।(1)/18-04 (99)/2013 दिनांक 12.05. 2018 द्वारा अनुमोदन प्राप्त
1020	115	विजयपाल सिंह सैनी	स्व० श्री ज्ञानचन्द्र सैनी	कनिष्ठ अभियन्ता (सि०)	03.01.67	अन्य पिछड़ा वर्ग	अन्य पिछड़ा वर्ग	—	—	47/9/अतिगोपन/2002-03 दिनांक 15.05.2004	233/09 व्यघ-सामान्य/16 दिनांक 23.05.18 द्वारा संविलियन	शासन के पत्र संख्या- 610/।।।(1)/18-04 (99)/2013 दिनांक 12.05. 2018 द्वारा अनुमोदन प्राप्त

प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष
लोक निर्माण विभाग, देहरादून

23/12/19

23/12/19